हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2014–15

अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2014–15 में हिमाचल प्रदेश अर्थ–व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है।

मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

डा0 श्रीकांत बाल्दी
प्रधान सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

		पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा	..	1
2. राज्य आय एवम् लोक वित्त	..	11
3. संस्थागत् एवम् बैंक वित्त	..	16
4 आबकारी एवम् कराधान	..	35
5. भाव संचलन	..	37
6. खाद्य सुरक्षा एवम् नागरिक आपूर्ति	..	39
7. कृषि एवम् उद्यान	..	45
8. पशु तथा मत्स्य पालन	..	59
9. वन तथा पर्यावरण	..	69
10.जल स्त्रोत प्रबंधन	..	73
11. उद्योग एवम् खनन	..	76
12. श्रम और रोजगार	..	80
13. विद्युत	..	85
14. परिवहन एवम् संचार	..	119
15. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	..	124
16. शिक्षा	..	128
17. स्वास्थ्य	..	143
18. समाज कल्याण कार्यक्रम	..	150
19. ग्रामीण विकास	..	162
20. आवास एवम् शहरी विकास	..	169
21. पंचायती राज	..	175
22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी	..	178

भाग–1

वर्ष 2014–15 की प्रगति की समीक्षा

---

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2014–15 में पुनर्जीवित हुई जबकि पिछले वर्षों में आंतरिक संरचनाओं एवं बाहरी तथ्यों के कारण भारतीय अर्थव्यस्था में ठहराव महसूस किया गया। यह आर्थिक ठहराव खासकर औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभावित रहा। यद्यपि मुद्रा–स्फीति इन वर्षों में कम हुई परन्तु फिर भी एक सहनीय सीमा से ऊपर रही।

1.2 बृहत आर्थिक उन्नति स्थायित्व की दिशा, में विशेषतया बाहरी आर्थिक स्थितियों तथा तेल की कीमतों में गिरावट के कारण, प्रचलित खातों पर घाटे को (CAD) प्रबन्धकीय स्तर पर लाया गया है जो कि पिछले दो वर्षों में असहनीय स्तर पर था। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय जैसे कि खुदरा व्यापार, उड्ड़यन, दूरसंचार तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशके लिए उदारीकरण करना तथा घरेलू कम्पनियों द्वारा विदेशों से उधार लेने की प्रकिया में कर की कमी व मुद्रा–स्फीति में कमी के कारण अर्थ–व्यवस्था में सुधार नजर आ रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान देश की आर्थिक वृद्वि दर 6.6 प्रतिशत आंकी गई है।

1.3 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.0 प्रतिशत आंकी गई है जोकि निर्धारित लक्ष्य 9.0 प्रतिशत से कम रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है।

1.4 नए आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2013–14 में कुल सकल घरेलू उत्पाद ₹99.2 लाख करोड़ आंका गया है जबकि 2012–13 में यह ₹92.8 लाख करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 में ₹99.9 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 में लगभग ₹113.5 लाख करोड़ आंका गया है जोकि 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में मूल भाव (आधार 2011–12 में) सकल मूल्य संवर्धन में 4.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013–14 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2013–14के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्वि मुख्यतः, होटल, परिवहन और संचार (11.1 प्रतिशत), लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (7.9 प्रतिशत), कृषि वानिकी और मछली पकड़ने में (3.7 प्रतिशत), निर्माण में (2.5 प्रतिशत), और बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में (4.8 प्रतिशत), के कारण से हासिल की गई है।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012–13 में ₹71,593 थी जो वर्ष 2013–14 में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यह ₹80,388 हो गई। स्थिर (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वर्ष 2012–13 में ₹66,344से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹69,959 हो गई जो कि 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2014–15 में विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 मुद्रा स्फीति दर थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है। प्रचलित वित्त वर्ष 2014–15 में मुद्रा–स्फीति पिछले वर्ष (8.96 प्रतिशत) की तुलना में कम रही है। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2014 में मुद्रा–स्फीति की दर 0.11 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 2013 में 6.40 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि दिसम्बर, 2014, में 5.9 प्रतिशत रही जबकि यह दिसम्बर, 2013 में 9.1 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.8 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शुन्य से गतिशीलता आरम्भ हुई है इस कारण आज प्रदेश ना केवल देश में पहाड़ी राज्यों के विकास का आदर्श राज्य के रुप में उभरकर आया है बल्कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के रुप में मार्गदर्शक भी बना है। इन सभी परिर्वतनों के कारण प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था व पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में उभरा है। हिमाचल प्रदेश ने उद्योग ऊर्जा, बागवानी कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है जिस कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रचलित वर्ष में 6.5 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है।

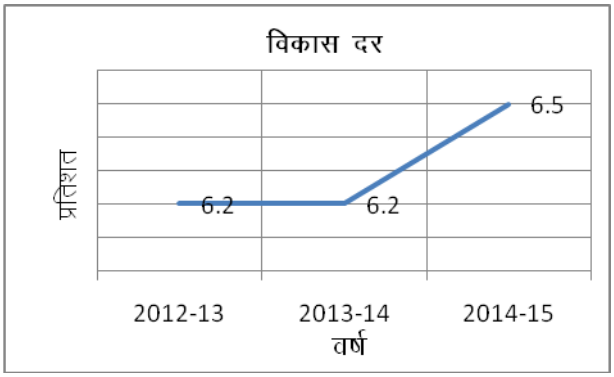

1.9 वर्ष 2012–13 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) पर ₹44,610 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹47,376 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.2 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष भी 6.2 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 में ₹76,259 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष 2013–14 में ₹85,841 करोड़ आंका गया है। यह 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.10 वर्ष 2012–13 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय ₹85,792 से बढ़कर वर्ष 2013–14 अनुमानों के अनुसार ₹95,582 हो गई जो कि 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण प्राथमिक क्षेत्र में 15.3 प्रतिशत, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं 9.8 प्रतिशत, यातायात व व्यापार क्षेत्र की 2.6 प्रतिशत, वित्त व स्थावर सम्पदा 4.5 प्रतिशत वृद्धि रही जबकि गौण क्षेत्र में केवल 2.6 प्रतिशत की वृद्वि रही है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2012–13 में 15.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2013–14 में

15.76 लाख मीट्रिक टन रहा और 2014–15 में उत्पादन बढ़कर 16.20 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में भी 55.8 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। जो कि वर्ष 2012–13 में 5.56 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2013–14 में 8.66 लाख मीट्रिक टन तथा 2014–15 में (दिसम्बर,2014 तक) 6.53 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1

मुख्य सूचक

सूचक	2011–12	2012–13	2011–12	2012–13
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
प्रचलित भावों पर	76259	85841	14.8	12.6
स्थिर भावों पर	44610	47376	6.2	6.2
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	15.41	15.76	2.3	(-) 0.2
फलोत्पादन (लाख टन)	5.56	8.66	49.1	55.8
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)*	15402	15795	15.6	2.6
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1815	1951	(-) 4.7	7.5
थोक भाव सूचकांक	167.6	177.6	7.4	6.0
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	193	213	10.3	10.4

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.11 वर्ष 2014 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2014–15 में लगभग 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है।

1.12 प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2013–14 में 14.25 प्रतिशत रह गया।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2013–14 में 18.40 तथा 42.85 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2013–14 में 24.50 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.14 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं

पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्ष 2014–15 में (दिसम्बर,2014 तक) 6.53 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2014 तक 3,447 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2014 तक 9.59 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 में 14.30 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2012–13 में 13.98 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 2.3 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2014–15 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 14.50 लाख टन होने का अनुमान है।

1.17 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रमुख भूमिका निभा रही है। ऊर्जा संसाधन के रुप में जल विद्युत उत्पादन एक व्यवहारिक, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मित्र है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.18 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें नागरिक सुविधाएं, सड़क मार्ग,दूर संचार, विमानपतन, यातायात सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या

में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:–

सारणी 1.2
आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15

1.19 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमस्वान के माध्यम से जी.टू.जी., जी.टू.सी., जी.टू.बी. ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान, तंत्र प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.20 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व ऊचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.21 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक 5.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.9 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि सरकार का मूल्य वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.22 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ₹22,800.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2015–16 की योजना के लिए ₹4,800.00 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2014–15 से 9.09 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार व्यौरा निम्न है:–

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (₹करोड़)	प्रतिशत भाग	प्राथमिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2,906.79	12.75	III
2	ग्रामीण विकास	1,276.73	5.60	VI
3	विशेष क्षेत्र	155.75	0.68	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,972.37	8.65	V
5	विद्युत	2,805.59	12.31	IV
6.	उद्योग एवं खनिज	224.42	0.98	IX
7	यातायात एवं संचार	4,709.88	20.66	II
8.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	104.92	0.46	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.59	2.62	VII
10	सामाजिक सेवाएं	7,674.22	33.66	I
11	सामान्य सेवाएं	372.74	1.63	VIII
	कुल	**22,800.00**	**100.00**	

1.23 भारत निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.24 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक

सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार देश में पहला प्रदेश है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.25 प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है। सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रही है। लोक सेवा प्रदान करने में दक्षता व गुणवता, में सुधार लाने हेतु एकताबद्ध प्रयास किये गये हैं।

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को बिना किसी आय सीमा के (सिवाय पेंशन भोगी) ₹1,000 मासिक पैंशन दी जा रही है।
- पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है।योजना के अंतर्गत आयु की पात्रता 16 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
- समाजिक सुरक्षा पैंशन ₹500 से बढ़ाकर ₹550 प्रतिमाह की गई है।
- सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- नवजात शिशुओं व उनकी माताओं को अस्पताल से घर जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।
- विभिन्न बैंकों द्वारा सितम्बर,2014 तक 6,43,355 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए तथा ₹3,809.50 करोड़ की राशि आंवटित की गई।
- किसान काल सैंटर योजना के तहत कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800–180–1551 पर निःशुल्क कॉल की सुविधा दी जाती है।
- चाय उत्थान योजना के अन्तर्गत अनुसुचित जााति के चाय उत्पादकों को कृषि लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 10,881 किसान आवर्णित किए गए तथा ₹1.70 करोड़ की राशि आंवटित की गई।
- सेब तथा आम के लिए चलाई जा रही मौसम आधारित फसल बीमा योजना को आड़ू, पलम और किन्नू जैसे फलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए ₹48.00 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।
- ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर 50 प्रतिशत उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है
- विभिन्न श्रेणी की ऊन के प्रापण मूल्यों में 7.5 प्रतिशत से लेकर 32.5 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी।
- राजीव गांधी अन्न योजना के अंर्तगत 36 लाख 82 हजार

उपभोक्ताओं को प्रतिमाह तीन किलो गेहू व दो किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्धि से जुझना न पड़े।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2013–14दर में ₹95,582 हो गई है जोकि वर्ष 2012–13 से 11.4 प्रतिशत अधिक है। 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय **₹1,04,943** होने का अनुमान है।
- प्रदेश में उपलब्ध 27,436 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 9,433 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है जो कि कुल क्षमता का 34.38 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 में 1,951 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- वर्ष 2013–14 में प्रदेश राज्य आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.40 प्रतिशत रहा है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज को मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् इस वर्ष 132.68 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 3,82,250 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 4,688 घर स्वीकृत किए गए।
- राजीव आवास योजनाओं के अंतर्गत 300 घरों का निर्माण किया जाना है।
- महिला मण्डलों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई तथा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹131.04 लाख पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है।
- 10 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं को उनकी मृत्यु एवं अपंगता होने पर महिला शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पुरूष व महिला साक्षरता दर के अनुपात को कम करने के लिए शिक्षा से पिछड़े हुए ब्लॉकों में लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू किए गए।
- राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 7,500 नोट बुक्स प्रदान की गई है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अधीन 31,359 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- सूचना एवं संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) परियोजना के अंतर्गत नवीं से बाहरवीं कक्षा तक स्मार्ट

कलास रुम की सहायता से पढ़ाए जाएंगें।

- समाज के वंचित वर्ग के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृति/ बजीफा प्रदान किया जा रहा है।
- 2014–15 में महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत 7,72,733 विद्यार्थी लाभान्वित किए गए।
- मुख्यमन्त्री प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आई.आई.टी., आई.आई.एम. एस. अथवा आई.आई.एम. में चयनित होने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार ₹75,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही।
- कन्या शिशु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के उद्वेश्य से **बेटी है अनमोल** नामक योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कन्या जन्म (दो कन्याओं) पर ₹10,000 की अनुदान राशि कन्या के नाम पर डाकघर में जमा किए जाते हैं जो उन्हें 18 वर्ष की आयु पर दिए जाने हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निराश्रित कन्याओं के संरक्षकों को ₹25,000 की राशि विवाह अनुदान के रुप में दी जा रही है।
- अन्तरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अन्तर्गत महिलाओं को नगद ₹6,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 24 घंटे आपातकालीन सेवाऐं प्रदान करने वाले 121 स्वास्थ्य संस्थानों को चिन्हित किया गया है।
- राज्य में ''मातृ सेवा योजना'' के अंतर्गत् सभी वर्गों की गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव सुविधा प्रदान की जा रही है।
- बलात्कार प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शिमला नगर में 75 बसों को शामिल किया गया।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 568 फलैट्स निर्मित किए गए।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,765 सरकारी कार्यालयों को हिम स्वान से जोड़ा है।
- सरकार ने सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और भण्डार नियंत्रक की खरीद प्रणाली में पार्दशिता लाने के लिए ई.जी.पी. (ई–सरकारी खरीद) व्यवस्था को लागू किया है।

- वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 38 जी.टू.सी. सेवाओं को www.eserviceshp.gov.inपर राज्य पोर्टल से नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- आधार योजना के अंतर्गत कुल जनसंख्या 68,64,602 में से 68,34,000 निवासियों का नामांकन किया गया जिसमें से 65,47,000 का आधार कार्ड बनाया गया।
- राज्य में जन सुविधा हेतु सार्वजनिक सेवा वितरित हेतु हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
- सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देने के लिए निशुल्क दूरभाष सेवा सुविधा प्रदान की गई है।
- जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य को मारे जाने पर मुआवज़े की राशि ₹1.00 लाख से बढ़कार ₹1.50 लाख की गई।
- टी.डी. हकदारों को मकान निर्माण हेतु टी0डी0 नियमों को उदार बनाया गया है।
- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ₹90.00 करोड़ व्यय होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन पर बल दिया जाएगा।
- पंचायत चौकीदार के अनुदान को ₹1,650 से बढ़ाकर ₹1,850 प्रतिमाह किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण स्थलों पर वाटर एटीएम स्थापित होंगे।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति की पात्रता हेतु ₹35,000 कीवार्षिक आय की एक समान सीमा निर्धारित की गई।
- द्वितीय विश्व के योद्धाओं की वितीय सहायता को ₹750 से बढ़ाकर ₹2,000 किया गया।
- शिमला तथा धर्मशाला में 2 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए।
- गृह रक्षकों का मानदेय ₹225 से बढ़ाकर ₹260 प्रतिदिन किया गया।
- अंशकालिक जलवाहकों का मासिक मानदेय ₹1,300 से बढ़ाकर ₹1,500 किया गया।
- आंगनवाड़ी कर्मियों के अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रदेश में बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए ''सेवा अधिनियम'' लागू किया गया।
- हिमाचल प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए उत्कृष्ट राज्य के रुप में आंका गया है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	2011–12 (वा.)	2012–13 (वा.)	2013–14 (स.)	2014–15 (ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**14543**	15598	**16663**	**16522**
2. कर राजस्व	6107	6908	7863	8702
3. कर रहित राजस्व	1915	1377	1408	1389
4. सहाय अनुदान	6521	7313	7392	6431
5. राजस्व व्यय	**13898**	16174	**18473**	**19784**
क. ब्याज भुगतान	2130	2370	2503	2750
6. राजस्व घाटा (1–5)	**645**	(–) 576	(–) **1810**	(–) **3262**
7. पूंजी प्राप्तियां	**2828**	4434	**5395**	**4985**
क. उधार वसूलियां	25	21	28	26
ख. अन्य प्राप्तियां	819	1042	1645	1325
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	1984	3371	3722	3634
8. पूंजी व्यय	**3431**	4540	**4477**	**3830**
9. कुल व्यय	**17329**	20714	**22950**	**23614**
क. योजना व्यय	3943	4386	4799	4413
ख. गैर योजना व्यय	13386	16328	18151	199201
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत				
1. राजस्व प्राप्तियां	**21.89**	**20.45**	**19.41**	**17.28**
2. कर राजस्व	9.19	9.06	9.16	9.10
3. कर रहित राजस्व	2.88	1.81	1.64	1.45
4. सहाय अनुदान	9.81	9.59	8.61	6.73
5. राजस्व व्यय	**20.92**	**21.21**	**21.52**	**20.70**
क. ब्याज भुगतान	3.21	3.11	2.92	2.88
6. राजस्व घाटा	**0.97**	(–) **0.76**	(–) **2.11**	(–) **3.41**
7. पूंजी प्राप्तियां	**4.26**	**5.81**	**6.28**	**5.22**
क. उधार वसूलियां	0.04	0.03	0.03	0.03
ख. अन्य प्राप्तियां	1.23	1.37	1.51	1.18
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	2.99	4.42	4.74	4.01
8. पूंजी व्यय	**5.16**	**5.95**	**5.22**	**4.01**
9. कुल व्यय	**26.08**	**27.16**	**26.74**	**24.70**
क. योजना व्यय	5.93	5.75	5.59	4.62
ख. गैर योजना व्यय	20.15	21.41	21.14	20.09

टिप्पणीः वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14(द्रुत) तथा 2014–15(अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड़ है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013–14 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹47,376 करोड़ आंका गया जबकि वर्ष 2012–13 में यह ₹44,610 करोड़ था। वर्ष 2013–14 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:2004–2005) पर 6.2 प्रतिशत रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2013–14 में पिछले वर्ष 2012–13 के ₹76,259 करोड़ की तुलना में ₹85,841 करोड़ आंका गया है,जो कि 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2013–14 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2012–13 के 15.41 लाख मी0टन से बढकर 15.76 लाख मी0 टन हो गया है। जबकि, वर्ष 2013–14 में सेब उत्पादन वर्ष 2012–13 के 4.12 लाख मी0 टन से बढकर 7.38 लाख मी0 टन हो गया ।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 14.25 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2014–15 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश की आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

वर्ष	**हिमाचल प्रदेश**
1	**2**
2012–13(संशोधित)	6.2
2013–14 (द्रुत)	6.2
2014–15 (अग्रिम)	6.5

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2013–14 (नई श्रंखला आधार वर्ष 2004–05) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर ₹95,582 है जोकि वर्ष 2012–13 ₹85,792 की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है। 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्ष 2012–13 में प्रति व्यक्ति आय ₹51,584 आंकी गई थी जो कि वर्ष 2013–14 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹54,536 हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2013–14 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 19.28 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 37.87 प्रतिशत,

सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 19.21 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 15.29 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 8.35 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 2000–01 में 21.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2013–14 में 14.25 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 2000–01 में 25.1 प्रतिशत से घट कर 2013–14 में 19.28 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है जिस में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 37.87 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 8.4 प्रतिशत हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2013–14 में 42.85 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2013–14 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.2 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2013–14 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. कषि एवं पशुपालन	6,594	20.4
2. वन	2,201	4.9
3. मत्सय	55	14.8
4.खनन तथा उत्खनन	110	25.9
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**8,960**	**15.3**

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्सय खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2013–14 में 15.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्वि रही। कृषि व फल उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बढने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में वृद्वि सकारात्मक रही।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2013–14 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	8,094	4.0
2. निर्माण	6,181	0.3
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	3,886	3.5
कुल गौण क्षेत्र	**18,161**	**2.6**

2.12 गौण क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत

गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2013–14 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में पिछले वर्षो की अच्छी उपलब्धियो की अपेक्षा इस वर्ष विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि घट गई है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2013-14 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1.परिवहन, संचार व व्यापार	7,768	2.6
2.वित्त एवं स्थावर सम्पदायें	4,210	4.5
3.सामुदायिक एवं वैयक्तिक संवायें	8,276	9.8
कुल सेवा क्षेत्र	**20,254**	**5.8**

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2013–14 में इस क्षेत्र की विकास दर 2.6 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के परिवहन के अन्य साधनों से सम्बन्धित विकास दर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2013–14 मे 4.5 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2013–14 में 9.8 प्रतिशत है।

2.16 राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थानीय निकायों का योगदानः

राज्य सकल घरेलू राज्य उत्पाद में स्थानीय निकायों का वर्ष 2011–12 में 1.35 प्रतिशत योगदान ऑका गया। सारणी में वर्षवार स्थानीय निकायों का प्रगतिशील कार्यों द्वारा राज्य आर्थिक में योगदान दर्शाया गया है।

स्थानीय निकायों का प्रतिशत योगदान

वर्ष	प्रतिशत योगदान
2011–12	1.35
2012–13	1.26
2013–14(P)	1.59

सम्भावनाएं–2014–15

2.17 दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014–15 में विकास दर **6.5 प्रतिशत** आने की संभावना है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 6.2 प्रतिशत प्राप्त रही हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग ₹95,586 करोड़ होने की संभावना है।

2.18 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2014–15 में ₹1,04,943 आंकी गई है जोकि वर्ष 2013–14 में ₹95,582 की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

2.19 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012	(+) 8.0	(+) 8.0
वारवीं पंचवर्षीय योजना 2012–2017		
(i) 2012-13	(+) 6.2	*
(ii) 2013-14	(+) 6.2	*
(iii) 2014-15	(+) 6.5	*

***** भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष 2004–05 से बदल कर 2011–12 कर लिया है जबकि प्रदेश ने अभी तक यह आधार वर्ष नहीं बदला है इसलिए इन वर्षों के लिए विकास दर की तुलना नहीं की जा सकती है।

लोक वित्त

2.20 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹16,522 करोड़ है जोकि वर्ष 2013–14 (संशोधित) में ₹16,663 करोड़ थी। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2013–14 (संशोधित अनुमान) से 0.85 प्रतिशत की कमी हुई है।

2.21 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2014–15(बजट अनुमान) में ₹5,338 करोड तथा वर्ष 2013–14 संशोधित में ₹4,847 करोड़ व वर्ष 2012–13 (वा0) में ₹4,626 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2014–15 (बजट अनुमान) की अपेक्षा वर्ष 2013–14 (संशोधित अनुमान) से 10.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.22 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें विषेशकर ब्याज प्राप्ति, उर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2014–15 (बजट अनुमान) में ₹1,389 करोड़ आंका गया हैं, जोकि वर्ष 2014–15 के कुल राजस्व का 8.41 प्रतिशत हैं,।

2.23 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2014–15 (बजट अनुमान) में ₹3,364 करोड़ आंका गया है।

2.24 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय ₹3,196 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 36.72 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 व वर्ष 2012–13 में यह क्रमशः 37.53 व 39.49 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014–15 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹941 करोड़ आंकी गई है।

2.25 वर्ष 2012–13 व 2013–14 में राजस्व धाटा, कुल सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता क्रमशः (-) 0.76 व (-) 2.11 प्रतिशत थी।

3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिले हैं। प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को 6 जिलों में, यूको बैंक को 4 जिलों में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों का कार्य आवंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। सितम्बर, 2014 तक राज्य में कुल 1,859 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और ये शाखा विस्तार लगातार बढ़ रहा है। अक्तूबर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक 153 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,483 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 293 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 83 शिमला में स्थित हैं, जिसे आर.बी.आई. द्वारा राज्य में केवल शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। सितम्बर, 2014 तक ए.टी.एम. नेटवर्क की संख्या 1,540 हुई है, और अक्तूबर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक 484 नए ए.टी.एम. जोड़ लिए गए हैं।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 3,693 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। राज्य में पंजाब नैशनल बैंक की सबसे ज्यादा 286, एस.बी.आई. और इसके सहयोगियों की 345 और यूको बैंक की 161 शाखाएं हैं। सहकारी बैंक का 461 शाखाओं का नेटवर्क है और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण शाखाओं की संख्या 98 हो गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक भी कार्य कर रहे हैं। कांगड़ा ज़िले में सबसे अधिक 374 बैंक शाखाएं जबकि जिला लाहौल–स्पिति में सबसे कम 22 शाखाएं कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक तीन स्तरीय अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के 6 जिलों में 190 शाखाएं और 17 विस्तार पटलों (जिनमें से अधिकतर प्रदेश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं) के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस.प्रणाली पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य बैंकों के ग्राहक भी हमारे बैंक के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक ने अपने 41 ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंक विस्तार को लेकर शाखाएं खोलने हेतु 28 आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमति के लिए लम्बित हैं। बैंक सीधे तौर पर आर.टी.जी.एस. व एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कहीं भी पैसों का हस्तांतरण कर सकते हैं। बैंक ने वित्तीय समावेश हेतु सार्थक पग उठाये हैं और दो ग्रामों में, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से बी.सी. मॉडल अपनाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पूरे प्रदेश में पैंशन देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

3.4 राज्य में आर.बी.आई., नाबार्ड तथा एस.आई.डी.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पी.एन.बी., एस.बी.आई., यूको, एस.बी.ओ.पी., सैन्ट्रल बैंक तथा कैनरा बैंक राज्य के नियंत्रण कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 1,540 ए.टी.एम. स्थापित करने के कारण बैंक सेवाओं में वृद्धि हुई है।

3.5 महिलाओं की वित्तीय जरुरतों को पूरा करने के लिए देश में भारतीय महिला बैंक एक विशेष जनादेश के साथ स्थापित किया गया है और महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश बड़े पैमाने पर सुनिश्चित किया जा रहा है। बैंक की टेगलाइन है "महिलाओं का सशक्तिकरण भारत को सशक्त बनाना है।" राज्य के इतिहास में स्वर्ण शब्दों में भारतीय महिला बैंक अपना पहला कदम पहली शाखा के रुप में 18 मार्च, 2014 को 2,494 बैंक खातों के साथ शुरु हुआ।

3.6 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास का पहिया बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मोदारी निभा रहा है। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2014 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों के विरूद्व 4 राष्ट्रीय मानकों की स्थिति को प्राप्त किया है। वर्तमान में क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए अग्रिम 72.37 प्रतिशत, कृषि के लिए 28.71 प्रतिशत, जो कि राष्टीय मानकों के क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत से अधिक है। सितम्बर, 2014 तक कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम 19.44 प्रतिशत, राष्ट्रीय मानकों 10 प्रतिशत से अधिक है। क्रेडिट जमा अनुपात पिछले वर्ष की अवधि में 60 प्रतिशत से थोड़ा कम 57.07 प्रतिशत रहा। बैंक जिन जिलों का क्रेडिट जमा अनुपात कम है उन्हें राष्टीय मानकों के 60 प्रतिशत के स्तर पर लाने के प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 3.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.1
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2013	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2014	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1	प्राथमिकता के क्षेत्र में उधार	68.20	72.37	40
2	कृषि ऋण	18.41	28.71	18
3	एम.एस.ई.ऋण(पी.एस.सी.)	48.12	45.03	
4	अन्य प्राथमिक क्षेत्र (पी.एस.सी.)	24.88	26.26	
5	कमजोर वर्ग ऋण	19.62	19.44	10
6	पिछले वर्ष के कुल ऋण के डी.आर.आई.ऋण	0.05	0.09	1
7	महिला ऋण	6.99	8.29	5
8	जमा एवं अग्रिम अनुपात	60.20	57.07	60
9	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ऋण (पी.एस.सी.)	18.49	28.89	
10	अल्पसंख्यक ऋण	3.71	4.30	

वित्तीय समावेशः

3.7 वित्तीय समावेश कम आय वर्ग तथा वहन करने योग्य विशाल भाग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण को दर्शाता है। भारत में समाज के आर्थिक रुप से अपवर्जित भाग को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का प्रयास राज्य में नया नहीं है। वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने हाल ही में वित्तीय समावेश पर एक फलैगशिप कार्यक्रम के रुप में प्रधानमन्त्री जन धन योजना (PMJDY) को शुरु किया है। राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमन्त्री ने शिमला में 28.08.2014 को प्रधानमन्त्री जन धन योजना को शुरु किया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी परिवारों को मिशन रुप में शामिल करने के लिए छः स्तंभ दृष्टिकोण निम्नलिखित है :–

1. बैंकिंग सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच।
2. बुनियादी बैंकिंग खाता, ओवरडाफ्ट सुविधा तथा रुपे डेबिट कार्ड सभी परिवारों को प्रदान करना।
3. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।
4. क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण।
5. माइक्रो इंशयोरेंस।
6. स्वावलंबन की तरह असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना।

3.8 राज्य की कुल 3,243 ग्राम पंचायतों के कुल ग्रामीण क्षेत्र के 17,882 बसे हुए गावों के 13,10,538 घरों में उप सेवा क्षेत्र (SSAs) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रधानमन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के 10 जिलों के 424 शहरी वार्डों के 1,66,043 घर बैंकों को आबंटित किए गए है। राज्य में इस योजना के शुभारंभ होने के बाद से 27.12.2014 तक बैंकों ने ग्राम क्षेत्रों के 10,98,522 घरों को कवर किया तथा उप सेवा क्षेत्र (SSAs) वार्डों में 6,35,030 नए बेसिक सेविंग बैंक जमा खातों को खोला। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 4,40,234 रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए।

3.9 भारत सरकार ने देश भर के 54 जिलों में 15 नवम्बर, 2014 से रसोई गैस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण संशोधित (एम. डी.बी.टी.एल) को शुरु किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में यह योजना लागू की गई है। (लाहौल स्पिति तथा किन्नौर जिलों में यह योजना 1.1.2015 से लागू की गई है) पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय (एम.ओ.पी.एन.जी.) ने पहल (डी.बी.टी.एल.) टैग नाम से इस योजना को लागू किया है। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत एल. पी.जी. उपभोक्ता अपने बैंक खाता संख्या को आधार संख्या से जोड़ कर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं या बिना आधार संख्या के भी सीधे बैंक खाते में अनुदान प्राप्त कर सकते है। प्रदेश के निर्धारित 10 जिलों में 12,76,949 एल.पी.जी. उपभोक्ता है। बैंको ने 8,86,414 एल.पी.जी. उपभोक्ता को पूरा करते हुए 70 प्रतिशत कवर कर लिया है। राज्य में कुल जनसंख्या का 95 प्रतिशत आधार नामाकंन कर लिया गया है।

3.10 बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के रोडमैप 2013 से 2016 के अन्तर्गत जिन गांवों की जनसंख्या 2,000 से कम है तथा जिन में बैंक नहीं है ऐसे 16,640 गांव में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर अच्छी प्रगति की है। सितम्बर, 2014 तक बैंकों ने रोडमैप

योजना के अधीन 66 गांवों में नए ब्रिक तथा मोरटार (Brick & Mortar) शाखाएं एवं 7,968 गावों में बी.सी.ए. (BCA) माडल तथा अन्य मोडस को शुरु किया इस प्रकार कुल 8,034 बैंक रहित गांवों को कवर किया गया।

बैंको की व्यापारिक मात्राः

3.11 राज्य के सभी कार्यरत बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष दर 9.71 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई तथा सितम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक ₹ 63,458.86 करोड़ से ₹ 69,620.96 करोड़ की वृद्वि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 71.48 प्रतिशत आर.आर.बी. का 3.80 प्रतिशत सहकारी बैंकों का 18.99 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र बैंक का 5.73 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दर्ज की गई। सकल अग्रिमों में भी 4 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई है। सितम्बर, 2013 में ₹26,090.04 करोड़ से बढ़कर सितम्बर, 2014 तक ₹ 27,128.82 करोड़ हो गये हैं।कुल व्यापार मात्रा सितम्बर, 2013 में ₹ 89,548.90 करोड़ से बढ़कर सितम्बर, 2014 तक ₹ 96,749.78 करोड़ हो गये हैं जो कि वार्षिक दर में 8.04 प्रतिशत की वृद्वि है। सितम्बर, 2014 तक कुल कारोबार में आर.आर.बी. का 3.72 प्रतिशत निजी बैंको का 5.42 प्रतिशत तथा सहकारी बैंकों का 20.91 प्रतिशत की हिस्सेदारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको ने 69.95 प्रतिशत के शेयर पर कब्जा किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 3.2 में दर्शाए गए है।

सारणी 3.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकडे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.9.2013	30.9.2014	सितम्बर, 2013 से परिवर्तन एवं वृद्धि प्रतिशत	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
	ग्रामीण	36257.43	43036.06	6778.63	18.70
	शहरी /अर्ध शहरी	27201.43	26584.90	(-) 616.53	(-) 2.27
	कुल	**63458.86**	**69620.96**	**6162.1**	**9.71**
2	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	16129.88	17186.86	1056.98	6.55
	शहरी /अर्ध शहरी	9960.16	9941.96	(-)18.20	(-) 0.18
	कुल	**26090.04**	**27128.82**	**1038.78**	**3.98**
3	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवेश	2260.49	3389.11	1128.62	49.93
4	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	60.20%	57.07%	(-) 5.19	(-) 3.13
5	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	**17794.11**	**19632.09**	**1837.98**	**10.33**
	(i) कृषि	4803.27	5637.17	833.9	17.36
	(ii) एम.एस.ई.	8563.30	8839.35	276.05	3.22
	(iii) ओ.पी.एस.	4427.54	5155.57	728.03	16.44
6	गरीबों को अग्रिम	5119.20	5274.68	155.48	3.04
7	डी.आर.आई.अग्रिम	14.19	24.10	9.91	69.84
8	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	8295.93	7496.73	(-) 799.20	(-) 9.63
9	शाखाओं की संख्या	1706	1859	153	8.97
10	महिलाओं के लिए अग्रिम	1823.18	2248.51	425.33	23.33
11	अल्प–संख्यकों को ऋण	660.28	1166.84	506.56	76.72
12	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	3290.55	6444.63	3154.08	95.85

वार्षिक जमा योजना 2014–15 के अन्तर्गत प्रदर्शनः

3.12 बैंको **ने** नाबार्ड की सहायता से काम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण अदा किए गए। वार्षिक जमा योजना 2014–15 के अधीन पिछली योजना के वितीय परिव्यय में 11.40 प्रतिशत की वृद्वि हुई तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र खंडों के तहत कुल ₹ 10,964.98 करोड़ निर्धारित किए गए। वार्षिक जमा योजना 2014–15 के अधीन कुल परिव्यय 12,931 करोड़ पर तय किए गए, जो कि 12 प्रतिशत समग्र वृद्वि है। सितम्बर, 2014 तक बैंको ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹ 4,558

करोड़ के ताजा क्रेडिट वितरित किए तथा 35.25 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता हासिल की । क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.9.2014 तक सारणी 3.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.3
सितम्बर–2014 तक स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2014–15	लक्ष्य सितम्बर, 2014	उपलब्धि सितम्बर, 2014		त्रैमासिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
				नई ईकाइयां	राशि	
1	कृषि	4710.45	2261.02	162790	1540.07	68.11
2	एम.एस.ई.	3588.27	1722.36	27161	1316.78	76.45
3	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	2666.25	1279.80	19379	634.35	49.57
4	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 3)**	**10964.97**	**5263.18**	**209330**	**3491.20**	**66.33**
5	गैर प्राथमिक क्षेत्र	1966.43	943.98	37117	1066.79	113.01
	कुल योग(4+5):	**12931.40**	**6207.16**	**246447**	**4557.99**	**73.43**

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यन्वयनः

क) प्रधानमन्त्री रोज़गार जनन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)

3.13 एम0एस0एम0ई0 (MSME) तथा के0वी0आई0सी0 (KVIC) मन्त्रालय की पी0एम0ई0जी0पी0 योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में बेहद सफल रही है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों ने सितम्बर, 2014 तक के0बी0आई0सी0 (KBIC),के0बी0 आई0बी0(KBIB) तथा डी0आई0सी0 (DIC) द्वारा प्रायोजित 640 परियोजनाओं के लिए ₹ 2,242 लाख की राशि मंजूर की है। वित्तपोषण के कुल 1,619 परियोजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य मार्जिन मनी ₹ 1,991.87 लाख रखे गए तथा 12,952 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन किया गया।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

3.14 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (MOHOPA) मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में राष्टीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) लागू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किफायती कमजोर वर्ग के लिए इस योजना के अंतर्गत रियायती ऋण, स्व–रोजगार वेंचर्स, कौशल विकास और आवास ऋण शुरु किए गए। इस योजना में सड़क विक्रेताओं को भी शामिल किया गया। पिछले वर्ष के दौरान मार्च, 2014 तक बैंको ने कुल 76 ईकाइयों का ₹ 52.05 लाख से वित्त पोषण किया है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान बैंको द्वारा कुल 350 ईकाइयों का वित्त पोषण करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)

3.15 राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) के अन्तर्गत बैंको द्वारा वित्त रियायती दर पर स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा है। राज्य में राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 8000 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 48 करोड़ का ऋण श्रंखला की लय पर ऋण जुटाना लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2014 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,586 लाख की ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

घ) राजीव ऋण योजना

3.16 भारत के शहरी क्षेत्र में ई0 डब्ल्यू0 एस0/एल0 आई0जी0 (EWS/LIG) क्षेत्रों की आवासीय जरुरतों के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (एम0एच0&यू0पी0ए0) भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा राजीव ऋण योजना के अन्तर्गत संशोधित ब्याज उपदान योजना शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान 500 ईकाइयों के लक्ष्य आबंटित किए गए थे।

ड) दूध गंगा डेयरी योजनाः

3.17 आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए तथा साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए नाबार्ड द्वारा डेयरी उद्यमी विकास योजना, पूंजी उपदान के साथ शुरु की है। सितम्बर, 2014 तक बैंको ने 676 ईकाइयों को ₹ 786.66 लाख के ऋण परिव्यय की मंजूरी दी है।

3.18 बैंक किसानों को ऋण लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बैंकों ने अब तक कुल ऋण परिव्यय ₹ 4,242.36 लाख के साथ किसानों को 6,43,355 किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए है।

नाबार्ड

3.19 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित ऋणयुक्त अनुदान योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.), पोल्ट्री वेंचर कैपीटल फंड, कृषि विपणन आधार सरंचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का सशक्तिकरण योजना, जुगाली करने वाले छोटे पशु व खरगोश का एकीकृत विकास, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण आधार संरचना

3.20 भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की

गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है।

3.21 ग्रामीण आधार संरचना विकास (आर0आई0डी0 एफ0) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरुआत से ही, यह राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में उभरा है। इस हेतु केन्द्रीय बजट में वार्षिक आवंटन हर वर्ष जारी रखा गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य के अधीन आने वाले निगमों को चालू परियोजनाओं को पूरा करने व कुछ चिन्हित नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिया जाता है। प्रारम्भ में आर0आई0डी0एफ0 निधि का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 34 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों में विभक्त कर दिया है।

3.22 इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आर0आई0डी0एफ0–1 में ₹ 15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर0आई0डी0एफ0 XX में वर्ष 2014–15 में ₹ 550.00 करोड़ हो गया है। आर0आई0डी0एफ0 ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षो में पॉली हाउस, तकनीक व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की है जो व्यवसायिक आधार, पर कृषि व्यवसाय और खेती के विकास के लिए नवीन दिशा है।

3.23 आर0आई0डी0एफ0 निधि के अन्तर्गत राज्य को 31 दिसम्बर, 2014 तक 5,063 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹4,947.61 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिन में से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें तथा पुल के लिए 51 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 31 प्रतिशत, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 16 प्रतिशत तथा शेष अन्य परियोजनाओं के लिए जिन में शिक्षा, पशु पालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं, स्वीकृति दी है। इस वर्ष 31 दिसम्बर, 2014 तक निधि के अन्तर्गत ₹ 558.69 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा राज्य सरकार को ₹ 350.00 करोड वितरित किए गए तथा अब तक कुल मिलाकर ₹3,386.80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.24 स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 33.36

लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, 7,723 किलो मीटर मोटर योग्य सड़कें, 19,997 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 1,06,604 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

3.25 इसके अतिरिक्त 27,100 हैक्टेयर भूमि का बचाव, बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से होगा, 6,219 हैक्टेयर भूमि जलागम विकास योजनाओं से लाभान्वित होगी। कृषि खेती हेतु 231 हैक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के साथ पॉली हाउस के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,921 कमरे, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 सूचना तकनीक केन्द्र तथा 397 पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाकरण केन्द्रों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

नई व्यापार पहल

क) नाबार्ड भण्डारण योजना 2014–15 (एन0डब्ल्यू0एस0)

3.26 नाबार्ड ने सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे ऋण प्रदान करने हेतु भण्डारण, शीत भण्डारण तथा अन्य वातानुकूलित चेन संरचना निर्माण के लिए ₹ 5,000 करोड़ से यह योजना शुरू की है। पहले से ही स्थापित परियोजना को आधुनिकीकरण करने के लिए वैज्ञानिक रूप से अधिक सक्ष्म करने हेतु यह योजना उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के उपक्रम, सहकारी समितियां, संघ, ए0पी0एम0सी0एस0, राज्य स्तरीय बोर्ड, निजी कम्पनियां तथा निजी उद्यमी आदि ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना से निर्मित गोदाम और कोल्डस्टोरेज क्रमशः वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) /राष्ट्रीय केन्द्र कोल्ड चेन विकास (NCCCD) केन्द्र के मानदंडों के अनुरूप होंगे।

ख) नाबार्ड अधोसंरचना विकास सहायता (नीडा)

3.27 वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/ निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है परन्तु इन संस्थानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य होगा। ऋण की यह व्यवस्था आर0आई0डी0एफ0 ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दायरे को बढ़ाने के लिए नीडा के तहत पीपीपी मोड से भी वित्तपोषण किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जिनसे बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलता है और आर0आई0डी0एफ0 और रुरबन मिशन के तहत भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गतिविधियां भी पीपीपी के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

ग) खाद्य प्रसंस्करण फंड (एफपीएफ) 2014–15

3.28 नाबार्ड ने वर्ष 2014–15 में ₹2,000 करोड़ का खाद्य प्रसंस्करण फंड स्थापित किया है जिसके तहत क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नामित फूड पार्क की स्थापना और नामित

फूड पार्को में खाद्य/ कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की बर्बादी को कम किया जा सके।

पुनर्वित्त सहायता

3.29 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को ₹ 192.14 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2013–14 के दौरान और ₹107.98 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2014–15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक दी गई। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के संसादनों को सप्लीमेंट करने के लिए 2014–15 में एक नया फंड "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड" शुरु किया है और 2014–15 (31 दिसम्बर 2014) में ₹112.71 करोड़ वितरित किए गए हैं। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए वर्ष 2014–15 में ₹535.00 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की थी जिसके तहत 31 दिसम्बर, 2014 तक इन बैंकों द्वारा ₹ 535.00 करोड़ का पुनर्वित नाबार्ड से लिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹650.00 करोड़ की ऋण सीमा मंजूर की गई है और इसके तहत 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल ₹ 425.00 करोड़ संवितरण किया जा चुका है।

सूक्ष्म ऋण

3.30 स्वंय सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय 31 मार्च, 2014 तक प्रदेश में 63,775 स्वंय सहायता समूहों के लगभग 6.37 लाख ग्रामीण परिवारों को बचत बैंक खाते के द्वारा बैंकों से जोड़ा है। 31 मार्च, 2014 तक इनमें 55,372 स्वंय सहायता समूहों ने विभिन्न बैंको से ऋण लिया है और इनका ₹ 200.15 करोड़ का ऋण बकाया है। 31 मार्च, 2014 तक लगभग 942 संयुक्त देयता समूहों को विभिन्न बैंको से ₹ 784.55 लाख का ऋण दिया गया है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए नाबार्ड राज्य में 73 स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहक संस्थाओं और संयुक्त देयता समूह प्रोत्साहक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके अलावा, नाबार्ड बैंकों से एक से अधिक बार ऋण ले चुके स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए छोटी अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहक संस्थाओं को 37 सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (MEDP) मंजूर किए हैं जिनके तहत व्यक्तिगत रूपसे या समुह में आजीविका गतिविधि शुरू करने के लिए 990 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.31 31 दिसम्बर, 2014 तक राज्य में 2,960 किसान क्लब बनाए गए हैं जिनके अन्तर्गत 5,798 गांवों में 36,104 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। ज़िला सिरमौर में किसान क्लबों के एक संघ का भी गठन किया गया है। किसानों को खेती

के नए तरीके जैसे कि केंचुआ खाद, बायो खाद, जैविक खाद, पॉली हाउस तकनीक, खुशबूदार और मैडिसिनयल पौधों की खेती, मशरूम एवं गैर मौसमी सब्जियों की खेती को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से "कैट" यानि नई तकनीक के माध्यम से भ्रमण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण (राज्य के अंदर और बाहर) दिया जा रहा है। ऐसे भ्रमण कुछ चुनिंदा रिसर्च संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। संचित रूप से अब तक ऐसे 78 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 1,561 किसान शामिल हुए हैं। 11 ज़िलों के 60 गांवों को वीडीपी में शामिल किया गया है। लगभग 2,000 परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

क) जलागम विकास निगम:

निगम के जलागम विकास निधि से पूर्ण अनुदान के आधार पर 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। सोलन ज़िले में धुन्दन जलागम परियोजना ₹ 61.85 लाख की सहायता राशि के साथ पूरा किया जा चुका है। नाबार्ड की सहायता से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विभिन्न वाटरशैड परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ₹153.65 लाख की अनुदान राशि से सोलन जिले में सरयान्ज सरमा जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹118.00 लाख की अनुदान राशि से सोलन जिले में दसेरन जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹77.60 लाख की अनुदान राशि से ज़िला ऊना में सिद्धलेचर जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹14.78 लाख की अनुदान राशि से जिला ऊना में जुबैहर जलागम परियोजना (अंतरिम चरण), ₹ 97.08 लाख की अनुदान राशि से ज़िला ऊना में अम्बेदा धिराज जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण)। अब तक उपरोक्त परियोजनाओं के तहत ₹566.91 लाख की राशि स्वीकृत की गई है और ₹289.07 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹100.00 लाख की राशि जारी की गई थी। सभी परियोजनाएं में 73 गांवों में लगभग 6,433 हैक्टेयर भूमि और 4,460 परिवारों को कवर किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इन से प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद करेंगी जिससे राज्य के अन्दर पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा।

ख) जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास:

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन नई परियोजनाएं स्वीकृत की है जिनमें से पहली परियोजना ऊना के अम्ब ब्लॉक के 4 गांवों में ₹ 92.81 लाख से चल रही है जबकि दूसरी परियोजना बिलासपुर के झण्डुता ब्लॉक के बरोटी, सनहेरा, बिहरी तथा टिहरी गांवों में आदिवासी परिवारों के लिए परंपरागत आजीविका के लिए शुरु की गई है। एकीकृत आदिवासी विकास के लिए तीसरी परियोजना हार्प शिमला को किन्नौर जिले के निचार ब्लॉक की रूपी, छोटा कम्बा और नाथ्था पंचायतों में स्वीकृत की गई हैं और इस हेतु ₹ 317.76 लाख का अनुदान और ₹40.50 लाख की ऋण

सहायता स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चयनित गांवों में वाडी और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अन्तर्गत 680 एकड़ भूमि और 1,090 जनजातीय परिवारों को कवर किया गया है, आम, किन्नू, नींबू, सेब, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं और इनके लिए नाबार्ड ने ₹ 515.00 लाख का अनुदान और ₹ 40.50 लाख का ऋण दिया है। इन परियोजनाओं के तहत वाडी और डेयरी के माध्यम से आदिवासियों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

ग) कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायताः (एफ0एस0पी0एफ0)

एफ0एस0पी0एफ0 के तहत अब तक 19 परियोजनाओं और 8 सैमिनारों/ कार्यशालाओं/ मेलों के लिए ₹178.20 लाख की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई। 31 दिसम्बर, 2014 तक संचित रूप से ₹ 126.11 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है और 2014–15 के दौरान ₹ 17.20 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है। यह परियोजनाएं राज्य के सोलन, ऊना, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मण्डी ज़िलों में चावल गहनता प्रणाली, गेहूं गहनता प्रणाली, दुग्ध प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन के सत्यापन और प्रोत्साहन, विदेशी सब्जियों की खेती, समशीतोषण फलों के एकीकृत बाग प्रबन्धन, चारे की उन्नत खेती, सत्त कृषि प्रणालियों को अपनाकर मुख्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, पशु फीड के रुप में अजोला को प्रोत्साहित करना, कृत्रिम गर्भाधान और वैज्ञानिक पशु प्रबन्धन द्वारा पशु विकास, गमला फूल पौधों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना, उन्नत सब्जी नर्सरी आदि से सम्बन्धित हैं। इन परियोजनाओं और सैमिनारों/ कार्यशालाओं/ मेलों से लगभग 22,000 किसान लाभाम्वित हुए हैं।

घ) किसान उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को प्रोत्साहनः

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में 2,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए ₹ 200.00 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड ने हि0प्र0 के शिमला, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू व लाहौल एवं स्पिति जिलों में 22 एफपीओ के गठन / प्रोत्साहन के लिए सात गैर सरकारी संगठनों को ₹ 16.72 लाख का अनुदान मंजूर किया है। यह एफपीओ सामुहिक आधार पर सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे। सामूहिक खेती और विपणन से बिखरे हुए, असंगठित एवं कमजोर लघु और सीमांत किसान इनपुट खरीदने, उपज का प्रसंस्करण और विपणन करने में सामूहिक सौदेबाजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे लघु और सीमांत किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और अपनी उपज की अच्छी कीमत मिल सकेगी जिससे उसका जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा।

ड.) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर अंब्रेला कार्यकमः (यू0पी0एन0आर0एम0)

नाबार्ड के0एफ0डब्ल्यू0 और जी0टी0जैड0 के समर्थन के साथ इंडो–जर्मन सहयोग से पिछले 15 सालों से

वाटरशैड और छोटे बागों की परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का पुनर्गठन करने के लिए भारत सरकार तथा जर्मन ने मिलकर यू0पी0एन0आर0एम0 शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत नाबार्ड और जर्मन विकास सहयोग को दो रणनीतिक साझीदार के रूप में चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक आजीविका सृजन, कृषि आय में वृद्धि, कृषि मूल्य श्रृंखला के सशक्तीकरण संसाधनों के संरक्षण द्वारा गरीबी को कम करना है। समाज के सभी वर्गों के लिए पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास करने के लिए यू0पी0एन0आर0एम0 के तहत इस प्रकार की परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार में सांमजस्य स्थापित करती हैं। यू0पी0एन0आर0एम0 परियोजनाओं के तहत राज्य में वर्ष 2013–14 में ₹ 4.80 लाख की और 2014–15 में (31.12.2014तक) ₹ 50.55 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.32 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाता रहा है। नाबार्ड ग्रामीण हथकरघा एवं लघु उद्यमियों के हित के लिए स्वरोज़गार ऋण कोर्ड योजना (एस.सी.सी.) के लिए पुनर्वित्त भी प्रदान करता है। स्वरोज़गार ऋण कोर्ड योजना (एस.सी.सी.) के तहत कार्यशील पूंजी तथा ब्लॉक पूंजी या दोनों के लिए ही समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी जैसी संस्थाओं एवं आर.सेटी जो भी ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं ताकि उनको प्राप्त क्षमता से रोजगार उपलब्ध हो और वे आय–सृजक कार्य शुरू कर सकें। कौशल विकास पहल के अन्तर्गत समूह या व्यक्तिगत रूप से रोज़गार या आजीविका की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मौजूदा कौशल का विकास करना/उन्नत करना या विविधिकृत करना कौशल विकास पहल में शामिल है। दिसम्बर, 2014 तक राज्य में 221 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए है जिनके लिए ₹112.18 लाख की अनुदान सहायता दी गई और इससे लगभग 4,410 लोग लाभान्वित हुए।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.33

क) वर्ष 2013–14 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह ₹ 9,365.60 करोड़ तक पहुंच गया जोकि 2012–13 से 37 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी.एल.पी के

आधार पर विभिन्न बैंकों के लिए वर्ष 2014–15 के लिए ₹10,964.97 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर, 2014 तक ₹ 3,491.20 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

ख) नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के लिए हर वर्ष संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता रहा है जिसमें आधार स्तरीय सम्भाव्यताओं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक ऋण एवं गैर–ऋण लिंकेजों का वास्तविक आकलन किया जाता है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स अर्थात राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बैंकों, एन.जी.ओ., किसानों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर पी.एल.पी. तैयार की जाती है, हिमाचल प्रदेश के लिए मुख्य क्षेत्रवार पी.एल.पी. अनुमान वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 13,260.30 करोड़ आंकलित किया गया है।

वित्तीय समावेश

3.34 भारत सरकार ने वित्तीय समावेश के लिए दो तरह की निधियों की स्थापना की है। वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई.एफ.) तथा वित्तीय समावेश तकनीक निधि(एफ.आई.टी.एफ.) जिसका उद्देश्य देश में चल रहे वित्तीय समावेश की पहल को बढ़ावा देना है। वित्तीय समावेश अभियान को बड़े पैमाने पर संचालित करने के लिए एफ.आई.एफ. और एफ.आई.टी.एफ. के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई हैं :–

क) वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई.एफ.)

वित्तीय समावेश निधि का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों तथा पिछड़े क्षेत्रों और बैंक रहित क्षेत्रों में अधिक से अधिक वित्तीय समावेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए "विकास और प्रचार गतिविधियों" के लिए सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड विकास और प्रचार–प्रसार गतिविधियों पर होने वाले व्यय के लिए एफआइएफ का प्रबन्धन कर रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं।

- अपेक्षाकृत दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए जिला/ ब्लाक स्तर पर 13 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) की स्थापना के लिए राज्य के सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. को ₹ 60.00 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई।
- बिग एफ.एम., आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जिंगल/ टी.वी. स्क्राल के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया।
- अन्तराष्ट्रीय लवी मेले रामपुर, शिमला और अन्तराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में जादू शो/ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमन्त्री जनधन योजना/ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आर.आर.बी)

को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- सिरमौर, कुल्लू और सोलन जिले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमन्त्री जनधन योजना/ वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित किया गया।
- बिलासपुर जिले के झंडूता पिछड़े ब्लाक में स्कूली बच्चों में बचत की पाठशाला के नाम से वित्तीय साक्षरता का संदेश प्रचारित किया गया।
- चम्बा जिले के दो आदिवासी ब्लाकों अर्थात पांगी और भरमौर में वित्तीय साक्षरता/ समावेश अभियान चलाया गया। परियोजना के तहत लगभग 1,500 परिवारों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जोड़ा गया।
- राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में वित्तीय साक्षरता के सम्बन्ध में विज्ञापन दिए गए।
- कैलेंडर, डायरी, गाइड और पोस्टर आदि साक्षरता सामग्री के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का संदेश प्रचारित करने के लिए एस.एल.बी.सी., आर. आर.बी. और सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान की गई।

31 दिसम्बर, 2014 तक राज्य के अन्दर सभी हिस्सेदारों के लिए सभी तरह के कार्यकलापों के लिए वित्तीय समावेश निधि से कुल ₹211.00 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है।

ख) वित्तीय समावेश तकनीक निधि (एफ.आई.टी.एफ.)

एफ.आई.टी.एफ. का उद्देश्य वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेश के क्षेत्र में शोध और तकनीक के हस्तांतरण को बढ़ावा देने, वित्तीय सेवा प्रदाताओं/ उपयोगकर्ताओं में तकनीक अपनाने की क्षमता को बढ़ाने और हितधारकों में नवीनतम और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए सूचना संचार तकनीक में निवेश बढ़ाना है। नाबार्ड एफ.आई.टी.एफ. का इस्तेमाल वित्तीय समावेश हेतु नई तकनीक के विकास के लिए करता आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इस निधि के सहयोग से निम्न कार्य हुए हैं:–

- 98,600 रुपे केसीसी जारी करने हेतू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। रुपे केसीसी का प्रयोग करने से रुपे केसीसी धारक कहीं भी कभी भी बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- परिचालन लागत अर्थात रूपे के.सी. सी. कार्ड की प्रति लेनदेन ₹ 15.00 इंटर चेंज फीस तथा प्रति लेनदेन ₹2.50 स्विचिंग फीस की प्रतिपूर्ति के लिए सहकारी बैंक को एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

31 दिसम्बर, 2014 तक सूचना तकनीक पर आधारित पहल के लिए वित्तीय समावेश तकनीक निधि (एफ.आई. टी.एफ.) से राज्य में तीन बैंको को ₹ 20.50 लाख राशि की सहायता दी गई है।

3.35 नाबार्ड राज्य में 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों द्वारा इसके तहत की गई प्रगति की साप्ताहिक निगरानी भी कर रहा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- सभी परिवारों के लिए बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुॅच।
- रुपे डैबिट कार्ड द्वारा किसी भी एटीएम से पैसे निकलना।
- ₹1.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर।
- प्रति खाता ₹ 30,000 का स्वास्थ्य बीमा।
- किसी भी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है।
- भारत में कहीं भी पैसे का आसान हस्तातरण।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलेगा।
- खाते के संतोषजनक संचालन के बाद ₹ 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा।

नई व्यावसायिक पहलें

उत्पादक संगठनों को वित्तीय सहायता (पी0ओ0डी0एफ0)

3.36 उत्पादक संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास फंड (पी0ओ0डी0एफ0) की स्थापना की है इस फंड की स्थापना का उद्देश्य उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने, उत्पादकों का क्षमता निर्माण करने और उत्पादकों संगठनों का सशक्तिकरण कर उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हथकर्घा बुनकर आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा स्थापित पंजीकृत उत्पादक संगठनों अर्थात उत्पादक कंपनी ''जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA की धारा 581 A के तहत परिभाषित है" उत्पादक सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान फैडरेशनों, म्यूचूअली एडेड सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पंजीकृत महासंघों पैक्स, आदि को सहयोग और सहायता देना है। इसके लिए वर्ष 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2014 तक ₹ 23.64 लाख की राशि अनुमोदित की गई है।

पैक्स को बहुसेवा गतिविधियॉ करने के लिए वित्तीय सहायता:

3.37 पैक्स को अपने सदस्यों को और अधिक सेवाओं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु और अपने लिए आय उत्पन्न करने लिए पैक्स को बहु–उद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल की गई है ताकि पैक्स अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं प्रदान करने और अतिरिक्त व्यापार करने और अपनी गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम हो सके। वर्ष 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2014 तक ₹ 127.70 लाख की राशि नाबार्ड हिमाचल प्रदेश कार्यालय, शिमला द्वारा विभिन्न पैक्स के लिए अनुमोदित की गई है।

संघों (फैडरेशन) को वित्तीय सहायताः

3.38 कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाने के मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थाओं के लिए अलग क्रेडिट लाइन अर्थात फेडरेशन को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, मार्केटिंग फेडरेशन/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/शेयरहोल्डर पैक्स या अन्य उत्पादक संगठन हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता लघु अवधि के कर्ज के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी.) योजना के तहत फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और ग्रेडिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी। इन संघों/ सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाहकार सेवाएं और ई–कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायताः

3.39 नाबार्ड पारम्परिक रूप से जिला सहकारी बैंकों (सी.सी.बी.) को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। वैद्नाथन समिति की सिफारिशों के अनसार सहकारी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के तहत सी.सी.बी (C.C.Bs.) राज्य सहकारी बैंक (SCB) के अलावा भी अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं, तदनुसार, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सम्बन्ध प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) की कार्यशील पूंजी और खेत परिसंपति रखरखाव जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण सीधे ही सी.सी.बी. को उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने एक अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण डिज़ाइन किया है। 2014–15 में 31 दिसंबर, 2014 तक में नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक, शिमला जे.सी.सी.बी., सोलन को ₹101.00 करोड़ उक्त उद्देश्य के लिए अनुमोदित एवं जारी किये है।

निवेश ऋण

3.40 विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग सरप्लस की पोस्ट–हार्वेस्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में मार्केटिंग सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कृषि विपणन अधोसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण विकास/ सशक्तीकरण योजना तैयार की है। 2013–14 के दौरान स्थापित कुल 7 इकाइयों के लिए ₹ 166.57 लाख उपदान राशि जारी की गई है और 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2014 तक 3 इकाईयों की स्थापना की गई है जिनके लिए ₹ 40.68 लाख उपदान राशि जारी की गई है।

3.41 ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क छोटे किसानों को उनकी धारण क्षमता (होल्डिंग कैपेसिटी) को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वे अपनी उपज को लाभकारी

मूल्य पर बेच सके और कम दाम पर बिक्री से बच सके। तदनुसार, भारत सरकार ने ग्रामीण भण्डार योजना, ग्रामीण गोदाम के निर्माण/ नवीनीकरण के लिए एक पूंजी निवेश उपदान योजना शुरू की थी। 2014–15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक इसके तहत 7 इकाईयों की स्थापना की गई और इस हेतु ₹ 56.12 लाख सब्सिडी जारी की गई है।

3.42 बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्थाई रोजगार के अवसर प्रदान करने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस. योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत सरकार की इस योजना के तहत मवेशियों की खरीद, दुग्ध प्रसंस्करण, कोल्डचेन प्रणाली, दूध और दूध उत्पादों के परिवहन और पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से पहले ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता था और अब पूंजी उपदान उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2013–14 में ₹ 966.55 लाख की उपदान 1,767 लाभार्थियों को प्रदान की गई। वर्ष 2014–15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक ₹ 168.18 लाख का उपदान 243 लाभार्थियों को प्रदान किया गया।

3.43 पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने ''डेयरी और मुर्गीपालन के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम (डी.पी.वी.सी.एफ) नामक एक पायलट योजना का शुभारम्भ किया, जिन राज्यों में मुर्गीपालन सेक्टर अभी विकास की शुरूआती अवस्था में है वहां इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में मुर्गीपालन सेक्टर को बढ़ावा देना और उन्नत राज्यों में इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र से मुर्गीपालन उत्पादों के निर्यात के लिए इन्सेंटिव देना और बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। 2013–14 के दौरान, 39 इकाइयां स्थापित की गई जिनके लिए कुल ₹ 99.14 लाख का उपदान जारी किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक 36 लाभार्थियों को ₹ 82.63 लाख का उपदान प्रदान किया गया।

3.44 ग्रामीण आबादी के सबसे गरीब लोगों द्वारा भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है और वे हमारे समाज को मांस, ऊन, दूध और खाद प्रदान करते हैं। इन मवेशियों में विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के प्रति काफी ज्यादा अनुकूलशीलता होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान अनुमानतः ₹ 2,400.00 करोड़ है जिससे मुख्यतः भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को आजीविका मिलती है। यह पशुधन उत्पादों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत है। 2013–14 के दौरान 87 इकाइयों का वित पोषण किया गया और ₹ 29.47 लाख का उपदान जारी किया गया और 2014–15 में 31 दिसम्बर 2014 तक 84 लाभार्थी वित्त पोषित एवं ₹ 26.71 लाख जारी किए गए।

नैबकॉन्स (Nabcons)

3.45 नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज (Nabcons) कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है और यह कृषि, ग्रामीण विकास

और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों को परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के नैबकॉन्स नाबार्ड की विशेष योग्यता (कोर कम्पीटेंसी) पर निर्भर है। नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे हैं–व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, समवर्ती और प्रभाव मूल्यांकन, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, दृष्टि प्रलेखन, विकास प्रशासन और सुधार, संस्थागत विकास और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का प्रतिवर्तन, ग्रामीण एजेंसियों की रेटिंग, बैंक पर्यवेक्षण, नीति और कार्य अनुसंधान अध्ययन, ग्रामीण विकास विषयों पर सेमिनार, सूक्ष्म वित्त से सम्बन्धित प्रशिक्षण, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना।

3.46 नाबार्ड कंसल्टेंसी द्वारा वर्ष 2014–15 में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ''कृषि में मैक्रो प्रबन्धन–2012–13 अध्ययन पूरा किया गया है। इसके अलावा, नैबकॉन्स ने 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2014 तक हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में एफ.एम.सी. जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसने मंडी और कांगड़ा जिलों में सिंचाई के विभिन्न स्त्रोतो की परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर. बनाने के लिए जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA) के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए परामर्शी कार्य किया है। इसके अलावा, नैबकॉन्स ने हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसुचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का मूल्याकंन अध्ययन किया और हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के ऋण प्रस्तावों के मूल्याकंन का कार्य भी किया है।

हिमाचल प्रदेश के सहकारिता में सीबीएस

3.47 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 175 शाखाएं और कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की 167 शाखाएं पहले से ही सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक दोनों पहले से ही आरटीजीएस और एनईएफटी से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक दोनों ने अपने स्तर पर सीबीएस लागु किया है। जोगिंद्रा सीसीबी, सोलन भी सीबीएस लागु करने के लिए नाबार्ड की पहल में शामिल हो गया है। जोगिंद्रा सीसीबी और नाबार्ड ने इस योजना हेतु दिनांक 30 मई, 2012 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और अब जोगिंद्रा सीसीबी की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं। जोगिंद्रा सीसीबी में सीबीएस कार्यान्वयन के लिए विप्रो को वेंडर के रुप में चुना गया था। नाबार्ड की सीबीएस पहल में एप्लीकेशन सेवा प्रदाता (एएसपी) मॉडल को अपनाया है। यह सीबीएस के लिए एक आउटसोर्सिंग मॉडल है, जिसमें सीबीएस साफ्टवेयर के लिए बैंक को कोई लाइसेंस नहीं खरीदना है, साथ ही डाटा सैंटर, आपदा वसूली, कनेक्टिविटी का काम एएसपी द्वारा किया जाना है। बैंक के भीतर हार्डवेयर की खरीद और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक की है।

4. आबकारी एवम् कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल ₹4,524.90 करोड़ के राजस्व संग्रहण मे से वैट संग्रह ₹3,141.09 करोड़ था जो कि कुल राजस्व का 69.42 प्रतिशत बनता है। वर्ष 2013–14 में शीर्ष–0039 आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य ₹ 860.68 करोड़ के स्थान पर ₹951.96 करोड़ का संग्रहण किया गया, जो कि कुल संग्रहित राजस्व का 21.04 प्रतिशत है, शेष 9.54 प्रतिशत हि0प्र0 पी0 जी0 टी0 अधिनियम, हि0प्र0 विलासिता अधिनियम, हि0प्र0सी0जी0सी0 आर0 अधिनियम , हि0प्र0 मंनोरंजन कर अधिनियम से किया गया तथा हि0प्र0 टोल टैक्स अधिनियम से किया गया।

विभाग द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान करने एवं उनके अर्न्तगत लक्ष्य प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है ।

- विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य के सभी डीलरों के सिवाए जो एक मुश्त कर अदा करते हैं को ई–सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पूरे राज्य में डीलरों को इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन व शिक्षित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

- विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि डीलर आबकारी एवं कराधान विभाग से चालान पारित न करवाकर सीधै बैंक में कर का भुगतान करेगा ।

- माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने तथा बैरियर पर यातायातीय भीड को राकने हेतु पूर्णतयः ई–घोषित वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों को प्रदेश से बाहर जाते समय रुकने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।

- मोबाईल आधारित वस्तुओं की घोषणा की सुविधा को हाल ही में प्रदेश के डीलरों को इ्टरनैट की अनुपस्थिति तथा बाधित संपर्क के समय विकल्प के रुप में प्रदान किया गया है।

- वर्ष 2014–15 के लिए टौल की वार्षिक नीलामी को तीन वर्षों के लिए किया गया है।

- प्रदेश में स्थापित पर्यटन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले होटलों और आवास गृहों में काम काज आरम्भ करने की तिथि से 10 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश (होटल एवं आवास गृह) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत विलासकर से छूट प्रदान की गई है।

- हिमाचल प्रदेश में राज्य, जिला व उप–मण्डल स्तर पर कार्यरत मान्यता प्राप्त प्रैस पत्रकारों के वाहनों को राज्य मे प्रवेश के समय पहचान पत्र जोकि निदेशक जन–सम्पर्क विभाग द्वारा जारी किया गया हो, के प्रस्तुत करने पर टौल टैक्स से छूट प्रदान है।

शीर्षबार राजस्व बढौतरी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य आबकारी	बिक्री कर	पी0जी0टी0	ओ0 टी0 डी0	योग
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	237.42	383.33	31.45	75.10	763.30
2003-04	280.21	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-05	299.90	542.37	38.32	97.83	978.52
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.21	118.64	1425.16
2007-08	389.57	1092.16	55.12	137.13	1673.98
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-12	707.36	2476.78	94.36	294.96	3575.46
2012-13	809.86	2728.22	101.39	331.88	3971.35
2013-14	952.67	3141.09	104.86	326.28	4524.90
2014-15 माह दिसम्बर, 2014 तक	716.43	2755.22	84.05	269.33	3825.03

5. भाव संचलन

भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता सूची में से एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा–स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2013 को 179.6 से बढ़कर दिसम्बर, 2014 माह में 179.8(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 0.1 प्रतिशत दर्शाता है। औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक व वर्ष 2014–15 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 5.1
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 2004–05=100

मास	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	मुद्रा–स्फीति दर
अप्रैल	123.5	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	180.8	5.5
मई	124.1	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	182.0	6.2
जून	127.3	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	183.0	5.7
जुलाई	128.6	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	185.0	5.4
अगस्त	128.9	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	185.9	3.9
सितम्बर	128.5	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	185.0	2.4
अक्तूबर	128.7	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	183.7	1.7
नवम्बर	126.9	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5	181.5(अ)	0.0
दिसम्बर	124.5	133.4	146.0	157.3	168.8	179.6	179.8(अ)	0.1
जनवरी	124.4	135.2	148.0	158.7	170.3	179.0	..	..
फरवरी	123.3	135.2	148.1	159.3	170.9	179.5	..	..
मार्च	123.5	136.3	149.5	161.0	170.1	180.3	..	..
औसत	**126.0**	**130.8**	**143.3**	**156.1**	**167.6**	**177.6**	..	..

अ = अस्थाई

5.2 हिमाचल प्रदेश में कीमतों की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में कीमतों पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,802 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ. आई.वी.आई.एम.एस.;खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का ओद्यौगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा।

दिसम्बर, 2014 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 5.9 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि केवल 5.2 प्रतिशत आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी करनी जारी रखी गई ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार 2001=100)

माह	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	141	158	167	185	201	219	9.0
मई	142	158	169	185	205	219	6.8
जून	144	158	169	186	208	221	6.3
जुलाई	149	163	174	192	213	227	6.6
अगस्त	150	164	174	195	214	229	7.0
सितम्बर	151	165	176	195	215	228	6.0
अक्तूबर	152	165	179	195	217	227	4.6
नवम्बर	155	165	179	196	218	225	3.2
दिसम्बर	156	166	177	196	213	224	5.2
जनवरी	156	168	178	198	214	..	..
फरवरी	156	166	178	199	215	..	..
मार्च	157	165	180	199	217	..	..
औसत	**151**	163	175	193	213	..	..

सारणी 5.3
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए
(आधार 2001=100)

माह	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	150	170	186	205	226	242	7.1
मई	151	172	187	206	228	244	7.0
जून	153	174	189	208	231	246	6.5
जुलाई	160	178	193	212	235	252	7.2
अगस्त	162	178	194	214	237	253	6.8
सितम्बर	163	179	197	215	238	253	6.3
अक्तूबर	165	181	198	217	241	253	5.0
नवम्बर	168	182	199	218	243	253	4.1
दिसम्बर	169	185	197	219	239	253	5.9
जनवरी	172	188	198	221	237	..	..
फरवरी	170	185	199	223	238	..	..
मार्च	170	185	201	224	239	..	..
औसत	**163**	180	195	**215**	**236**	..	..

6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,802 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित करना है। खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

1) एन0एफ0एस0ए0
   - i) अन्त्योदय अन्न योजना
   - ii) प्राथमिकी गृहस्थियां
   - iii) अन्नपूर्णा

2) नॉन–एन0एफ0एस0ए0

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत प्रदेश में 18,06,938 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अर्न्तगत 77,29,588 राशन कार्ड धारकों को 4,802 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें सहकारी सभाएं 3,184 हि.प्र. राज्य नागारिक आपूर्ति निगम 108, पंचायत 37, व्यक्तिगत 1,446 तथा महिला मण्डल 7 के अर्न्तगत उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं।

6.3 वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं :–

सारणी 6.1

क0 सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर, 2014 तक
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,34,877
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	65,753
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	18,545
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	16,807
5	गेहूं (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	88,257
6	चावल (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	62,031
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	94
8	चावल दोपहर का भोजन	मी. टन	12,556
9	लेवी चीनी/चीनी एन0एफ0एस0ए0 /ए0पी0एल0	मी. टन	42,968
10	दाल चना	मी. टन	15,765
11	दाल उड़द	मी. टन	8,391
12	काबुली चना	मी. टन	10,782
13	मूंग साबुत	मी. टन	89
14	आयोडीन नमक	मी. टन	5,742
15	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	3,107
16	सरसों का तेल	कि.लीटर	23,890

6.4 वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा हि0प्र0 राज्य अनुदानित वस्तुओं के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा हैः–

सारणी 6.2

क0सं0	प्रति राशन कार्ड	वितरण (मात्रा)
1	एक से दो सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल चना, एक किलोग्राम आयोडीन नमक व केवल एक लीटर खाद्य तेल।
2	तीन से चार सदस्य तक	एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, एक किलोग्राम काबुली चना, दो लीटर खाद्य तेल।
3	पांच से अधिक सदस्यों को	एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, एक किलोग्राम काबुली चना, दो लीटर खाद्य तेल, व एक किलोग्राम उड़द साबुत दाल । दाल चना ₹32.00 प्रति किलोग्राम, काबुली चना ₹38.00 प्रति किलोग्राम, दाल उड़द ₹42.00 प्रति किलोग्राम, रिफाईंड तेल ₹55.00 प्रति लीटर, सरसो का तेल ₹70.00 प्रति लीटर और आयोडीन नमक ₹4.00 प्रति किलोग्राम।
4	**नान–एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0पी0एल0	14 किलोग्राम आटा ₹8.50 प्रति किलोग्राम की दर से, 6 किलोग्राम चावल ₹10.00 प्रति किलोग्राम की दर से। **नोटः** प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्रों में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को माह सितम्बर,2014 से 20 किलोग्राम आटा 15 किलोग्राम चावल प्रति राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
	ii) बी0पी0एल0	बी0पी0एल0 परिवारों को पहले की तरह 35 किलोग्राम प्रति परिवार राशन उपलब्ध करवाने हेतु बी0पी0एल0 दरों पर (गन्दम ₹5.25 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल ₹6.85 प्रति किलोग्राम की दर से) अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूं और चावल वितरित की जाएगी जिसका विवरण इस प्रकार से हैः– एक सदस्यीय परिवार के लिए 17 किलोग्राम गन्दम व 13 किलोग्राम चावल, दो सदस्यीय परिवार को 14 तथा 11 किलोग्राम, तीन सदस्यीय परिवार के लिए 11 व 9 किलोग्राम, चार सदस्यीय परिवार के लिए 8 व 7 किलोग्राम, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 5 व 5 किलोग्राम तथा छः सदस्यीय परिवार के लिए 2 व 3 किलोग्राम क्रमशः होगी।
	iii) अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को	10 किलोग्राम चावल मुफ्त में
5	**एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0ए0वाई0 कार्ड धारकों को	कुल 35 किलोग्राम प्रति परिवार जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल 15 किलोग्राम ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
	ii) प्राथमिकी गृहस्थियां	कुल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
6	चीनी	ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹19.50 प्रति किलोग्राम की दर से नान–ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹13.50 प्रति किलोग्राम की दर से

सारणी 6.3

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का दिसम्बर, 2014 तक भण्डारण

क0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	4,959
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	3,357
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	241
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	217
5	गेहूं (एन.एफ.एस.ए./ए.ए.वाई.)	मी. टन	3,265
6	चावल (एन.एफ.एस.ए./ए.ए.वाई.)	मी. टन	2,652
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	5
8	चीनी	मी. टन	1,423
9	मिट्टी का तेल	कि.ली.	1,243
10	एल.पी.जी. 14.2 कि.ग्रा.	संख्या	1,34,086
11	आयोडीन नमक	मी. टन	101
12	दाल चना	मी. टन	433
13	उड़द साबुत	मी. टन	160
14	काबुली चना	मी. टन	319
15	खाद्य तेल	कि.ली.	928

अन्य कार्य/उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादन

6.5 इस समय प्रदेश में 28 मिट्टी के तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 324 पैट्रोल पम्प तथा 125 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

नागरिक आपूर्ति निगम

6.6 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण एवं वितरण की केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के रुप में सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर,2014 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹867.90 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मूल्य ₹858.50 करोड़ थी।

वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयां को उचित मूल्यों पर 117 थोक बिक्री केन्द्रों, 108 उचित मूल्यों की दुकानों/अपना स्टोर 53 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 36 दवाईयों की दुकानों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों सहित प्रदेश के कोने–कोने में वितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जो कि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी.जी.आई.शीटस, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों का थोक गोदामों व परचून दुकानों के माध्यम से

प्रापण एवं वितरण कर रहा है। जिससे निश्चित रुप से प्रदेश में महंगाई स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2014–15 में दिसम्बर,2014 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹285.72 करोड़ का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष 2013–14 के दौरान इसी अवधि में मूल्य ₹312.23 करोड़ थी।

निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आंवटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर,2014 तक 12,557 मी0 टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 13,259 मी0 टन थे का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं दालें, खाद्य तेल, नमक की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर,2014 तक ₹293.16 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹236.08 करोड़ थी। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2014–15 में ₹220.00 करोड़ राज्य अनुमान के रुप में बजट में प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,468.68 करोड़ रहने की संभावना है जो गत वर्ष 2013–14 के दौरान ₹1,418.22 करोड़ था।

नए बिकी केन्द्र शुरू/ अनुमोदित

6.7 निगम ने वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित विक्रय केन्द्रों स्वीकृत/खोले गए हैं।

क्र सं.	विक्रय केन्द्र का नाम	जिला
1	अपना स्टोर, नगरोटा बगवां	कांगड़ा
2	अपना स्टोर, पालमपुर	कांगड़ा
3	एल.पी.जी.ऐजैन्सी, नादौन	हमीरपुर

उपरोक्त वर्णित विक्रय केन्द्रों के इलावा एल.पी.जी गैस की एजेंसी कुल्लू का संचालन वर्ष 2014–15 के दौरान किया जा रहा है।

अपना स्टोर/माल खोलने की योजना :

6.8 निगम द्वारा हि0प्र0 पथ परिवहन निगम के चयनित बस अडडों में एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को सभी जरुरत की वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु नगरोटा बगवां व पालमपुर में अपना स्टोर खोला है। कांगड़ा, मण्डी व शिमला में भी अपना स्टोर/माल खोलने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी चिकित्सालयों में और दवाई की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है।

सरकारी आपूर्ति

6.9 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को दवाईयां, सरकारी विभागों/ बोर्डों/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं को सीमेंट और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को स्कूल की वर्दियों की आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष

2014–15 में सरकारी आपूर्ति (अंनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगीः–

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों को	₹ 123.00 करोड़
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग को	₹ 28.00 करोड़
3	जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को	₹ 70.00 करोड़
4	स्कूल वर्दी शिक्षा विभाग को	₹ 30.95 करोड़
	जोड़	**₹251.95 करोड़**

मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

6.10 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 16,47,873 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹ 38.45 करोड़ बनती है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

राज्य में जन–जातीय एवं दूरदराज क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.11 निगम आवश्यक वस्तुएं, पैट्रालियम उत्पाद मिटटी तेल व एल.पी.जी. सहित जन–जातीय एवं दूरदराज के क्षेत्रों में जहां निजी पार्टियां इस व्यवसाय को चलाने में घाटे के दृष्टिगत आगे नहीं आते है उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्व है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निगम ने सरकार की जनजाति कार्य योजना के अनुसार जनजातीय व हिमाच्छादित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं व पैट्रालियम उत्पादों की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

लाभांश व मुख्यमन्त्री राहत कोषः

6.12 निगम द्वारा वर्ष 2014–15 में ₹3.99 करोड़ का शुद्व लाभ अर्जित किया है तथा सरकार को पूंजी निवेश पर ₹35.15 लाख का लाभांश भी दिया है। निगम ने वर्ष 2014–15 के दौरान (CSR) कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत जम्मू एवम कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को ₹8.00 लाख की राशि के गैस सिलिण्डर उपलब्ध करवाने व डोडरा क्वार में ₹2.30 लाख आग नुक्सान से पीड़ित स्थानीय लोगों को CGI Sheets व गद्दे इत्यादि के रुप में उपलब्ध करवाये हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यन्वयनः

6.13 भारत सरकार द्वारा राज्यों को राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सौंपे गये कार्य व उतरदायित्व के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री हि.प्र. द्वारा दिनांक 20.09.2013 को संचालित महत्वकांक्षी राजीव गांधी अन्न योजना के अन्तर्गत हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना के कार्यान्वयन में आवंटित खाद्यानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण/भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त, अपने 117 थोक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को चयनित किये गये प्रदेश के लाभार्थियों में वितरण हेतु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक 65,752 मी.टन चावल व 88,256 मी.टन गन्दम चयनित लाभार्थियों को क्रमशः ₹3.00 व ₹2.00 प्रति किलो प्रति माह वितरित करना सुनिश्चित किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य वेयर हाउस

कोरपोरेशन न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 22,910 मी. टन अपनी व 36,558 मी.टन. किराये पर ली गई भण्डारण क्षमता का प्रबन्धन कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण हेतु 300 मी.टन से 1,000 मी.टन के नए गोदाम के निर्माण के प्रस्तावों पर कार्यवाही भी कर रहा है जिसके अन्तर्गत उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन कुछ स्थानों पर कर लिया गया है और कुछ का किया जा रहा है।

सेल यार्डः

6.14 वर्तमान वितीय वर्ष 2014–15 में निगम द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण से सरिया व उनके अन्य उत्पाद इत्यादि की शिमला में भटटाकुफर से सभी विभागों निगमों/बार्डों को उपलब्ध करवाने में पहल करने पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सेल यार्ड के कार्य का दायित्व निगम को सौंपा है और दिसम्बर, 2014 तक निगम से 1,466 मी.टन अच्छी गुणवता के सरियों की आपूर्ति की है।

7. कृषि एवम् उद्यान

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.61 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.00 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2010–11 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.95 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 11.71 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.34 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1

भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.70 (69.78%)	2.73 (28.63%)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.75 (18.17%)	2.44 (25.55%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.85 (8.84%)	2.31 (24.14%)	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.28 (2.87%)	1.57 (16.39%)	5.61
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.34%)	0.51 (5.29%)	17.00
जोड़		**9.61**	**9.55**	**1.00**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण बेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा

होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2014

7.5 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, और सोलन में कम, हमीरपुर, मण्डी, शिमला व ऊना में सामान्य तथा चम्बा, किन्नौर और लाहौल–स्पिति में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में 38 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 7.2
मौनसून वर्षा के आंकड़े
(जून–सितम्बर 2014)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	638	877	(-) 239	(-) 27
चम्बा	469	1406	(-) 937	(-) 67
हमीरपुर	890	1079	(-) 189	(-) 18
कांगड़ा	1058	1582	(-) 524	(-) 33
किन्नौर	48	264	(-) 216	(-) 82
कुल्लु	409	520	(-) 111	(-) 21
लाहौल–स्पिति	92	458	(-) 366	(-) 80
मण्ड़ी	1051	1093	(-) 42	(-) 4
शिमला	556	634	(-) 78	(-) 12
सिरमौर	873	1325	(-) 452	(-) 34
सोलन	775	1000	(-) 225	(-) 23
ऊना	863	863	0	0
औसत	**552**	**844**	**(-) 322**	**(-) 38**

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
अक्तूबर–दिसम्बर, 2014

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल(मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	70	70	0	0
चम्बा	69	127	(-) 58	(-) 46
हमीरपुर	80	86	(-) 6	(-) 7
कांगड़ा	83	105	(-) 22	(-) 21
किन्नौर	41	102	(-) 61	(-) 60
कुल्लु	99	98	1	1
लाहौल–स्पिति	36	144	(-)108	(-) 75
मण्ड़ी	124	81	43	54
शिमला	82	75	7	10
सिरमौर	112	87	25	28
सोलन	147	89	58	65
ऊना	101	72	29	41
औसत	**73**	**103**	**(-) 30**	**(-) 29**

टिप्पणीः

सामान्य (–) 19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रतिशत से अधिक
न्यून (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रति शत
अपर्याप्त (–) 60 प्रतिशत से (–) 99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2013–14

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2013–14 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 14 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया

है। वर्ष 2013–14 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2012–13 के 15.41 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2013–14 में 15.76 लाख मी0टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2012–13 के 1.83 लाख मी0 टन आलू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2013–14 में आलू उत्पादन 2.05 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2012–13 के 13.98 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2013–14 में 14.30 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2014–15 के अनुमान

7.7 वर्ष 2014–15 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 16.20 लाख मी0 टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 80.00 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। बीजे गए क्षेत्र के पुर्वानुमान के अनुसार खरीफ सीजन 2014 में उत्पादन लक्ष्य जो कि 8.91 लाख मी.टन के विपरीत 8.57 लाख मी.टन रहने की संभावना है। रवी सीजन में बीजाई सामान्यता अक्तूबर व नवम्बर महीनों में शुरू होती है। बीजाई के समय वर्षा न्यून होने से भूमि में पर्याप्त नमी न होने की वजह से रवी फसलों की बीजाई कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिसम्बर, 2014 के द्वितीय पक्ष में कुछ वर्षा तो हुई है परन्तु यह न तो पर्याप्त और न ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में थी जिसके कारण 2014–15 का उत्पादन लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। राज्य में वर्ष 2011–12, 2012–13 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2013–14 के लिए अस्थाई उत्पादन तथा वर्ष 2014–15 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2015–16 के लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए हैः–

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पादन

('000 टनों में)

फसले	2011–12	2012–13	2013–14 (अस्थाई)	2014–15 (अनु0 उत्पादन)	2015–16 (लक्ष्य)
1. खाद्यान्न					
चावल	131.63	125.28	128.49	109.42	132.00
मक्की	715.42	657.16	678.25	724.17	730.00
रागी	2.80	2.50	1.97	2.96	3.00
अनाज	3.31	3.55	3.60	4.07	4.00
गेंहू	629.09	671.94	680.00	708.28	690.00
जौं	31.46	34.83	32.79	30.75	35.00
चना	0.66	0.49	0.48	0.52	2.50
दालें	30.12	45.58	50.54	39.60	45.00
कुल खाद्यान्न	**1544.49**	**1541.33**	**1576.12**	**1619.77**	**1641.50**
2.वाण्ज्यिक फसलें					
आलू	152.98.	182.87	205.28	190.50	200.00
सब्जियां	1356.60	1398.05	1430.00	1450.00	1480.00
अदरक (शुष्क)	1.53	1.69	1.84	2.00	3.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्वेश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2013–14 में 793.80 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2008–09	797.25	1226.79	1.53
2009–10	784.02	1111.16	1.41
2010–11	795.18	1493.87	1.88
2011–12	788.06	1544.49	1.96
2012–13	786.43	1541.33	1.96
2013–14 (अस्थाई)	793.80	1576.12	1.99
2014–15 अनुमानित उत्पादन	811.53	1619.77	1.99

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यकम (एच.वाई. वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2014–15 के लिए लक्ष्य रखा गया, जो सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2008–09	280.51	74.61	325.22
2009–10	286.50	75.00	328.00
2010–11	278.65	75.20	327.00
2011–12	279.05	75.08	330.35
2012–13	279.60	76.90	336.56
2013–14(संभावित)	285.05	76.05	341.35
2014–15(लक्ष्य)	279.80	76.00	358.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 21 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 13 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यकम

7.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्वेश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च

प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
2012–17 (12वी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य)	425.000	600.000
2012–13	92.000	161.189
2013–14	120.514	210.900
2014–15(संभावित)	98.000	170.000

मिट्टी की जांच कार्यकम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा मजबूत की जा रही है। वर्ष 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। वर्ष 2014–15 में 78,250 मिट्टी के नमूने का विश्लेषण किया गया और 74,850 मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2015–16 में लगभग 1.00 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है जिससे किसानों को अपने खेतों की मिटटी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भू–उर्वरकता नक्शे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी.पी.एस. तकनीक बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मिटटी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

जैविक खेती

7.12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ उन्नत हो रही है। 12वीं योजना के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को ₹5,000 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर) 10x6x1.5 फीट का बरमी गड्डा तैयार करने के लिए तथा दो किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज के लिए दिए जाते हैं। इस वित वर्ष के अंत तक 11,000 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जैविक खेती अपनाने पर अनुमोदित जैविक आदानों पर ₹10,000 प्रति

हैक्टेयर (50 प्रतिशत) तथा प्रमाणीकरण हेतु ₹10,000 प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन 3 वर्षों के लिए उपलब्ध की जा रही है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7.13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च,2014 तक राज्य में 44,403 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2014–15 में 300 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2014 तक 81 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 50,160 टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन. उपदान तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा या ₹2,500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो उपदान दिया जा रहा है। उपदान योजना स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में लगभग 48,500 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों की दृष्टि के रूप में वितरित किया जाएगा। उर्वरक खपत निम्न सारणी 7.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.8
उर्वरक उपभोग

(मी. टन)

वर्ष	नाईट्रो–जिनियस (एन.)	फोस–फेटिक (पी.)	पोटास (के.)	कुल (एन. पी. के.)
2009–10	31319	10901	11018	53239
2010–11	32594	10728	11811	55133
2011–12	32802	9701	8922	51425
2012–13	34182	6821	7126	48129
2013–14	33306	8261	8593	50160
2014–15(लक्ष्य)	33000	8000	7500	48500

कृषि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जो कि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको आदान की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में

फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

7.16 यह योजना पिछले बारह से तेरह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,614 बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर, 2014 तक 6,43,355 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए, जबसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है तब से बैंक ने सितम्बर, 2014 तक ₹3,809.50 करोड़ के ऋण दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति सारणी 7.9 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.9
किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति

क्र. सं.	बैंक	सितम्बर, 2014 तक जारी (₹करोड़)	सितम्बर,2014 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए
1	वाणिज्यिक बैंक	1924.38	2,80,536
2	कोओपरेटिव बैंक	815.40	2,55,005
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	998.77	1,02,554
4	अन्य प्राईवेट बैंक	70.95	5,260
	कुल	**3809.50**	**6,43,355**

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007–08 से रवी पर अनुदान 10 से 50 प्रतिशत तक लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि बीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है तथा ₹521.44 करोड़ से 3,12,635 किसानों को बीमाकृत किया गया। वर्ष 2014 खरीफ फसल के लिए ₹11.17 करोड़ प्रीमियम दिया तथा ₹17.85 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा जिला बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में तथा आलु की रबी फसल जिला कांगड़ा में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी. आई.एस.) का प्रबंध किया गया है। यह योजना कृषि बीमा कम्पनी (AIC) और निजी बीमा कम्पनी यानि ICICI लोम्बार्ड और HDFC इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त कम्पनियों द्वारा वर्ष 2014 खरीफ फसल के दौरान 10,881 किसानों को ₹16.91 करोड़ के बीमा योजना के अधीन लाया गया जिसका ₹2.04 करोड़ का प्रीमियम तथा ₹1.70 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

कृषि विपणन

7.19 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। वर्तमान में 10 मार्किट कमेटियां कार्य कर रही हैं 52 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है।

चाय विकास

7.20 चाय के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। अनुसूचित जाति चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदर्शन और नतीजों के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

7.21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाड़ी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800–180–1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है। यह स्कीम शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है।

बीज ग्राम कार्यक्रम (100 प्रतिशत सी.एस.एस.)

7.22 प्रमुख फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में बड़ी बाधा समय पर पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्मों की गुणवता के बीज किसानों को उपलब्ध न होना है। इस बाधा से मुक्त होने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए नवीन कार्यक्रम जिसे "बीज ग्राम कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से बेहतर बीज उत्पादन कम समय गुणवता वाले बीज स्थानीय स्तर पर कम लागत पर उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के तहत बेहतर बीज उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 50 से 150 उपयुक्त/

इच्छुक किसानों एक ही फसल हेतु सुसम्बद्व क्षेत्र दृष्टिकोण का पालन कर पहचान की जाएगी। पहचान किए गए किसानों को 50 प्रतिशत लागत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज प्रत्येक किसान को आधा हैक्टेयर हेतु दी जाएगी। चयनित किसानों को प्रशिक्षण बीज उत्पादन और बीज तकनीकों के बारे बीज ग्राम में दी जाएगी।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिस के कारण हमारी भूमि का स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस प्रक्रिया को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य

ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण हेतु योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण तथा फार्म कृषि स्तर में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

हि0प्र0 में लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य सम्बन्धित आधारभूत ढांचे का विकास

7.24 कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व जल्दी विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए परियोजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य अधिक पैदावार और क्षेत्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्ष आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। विभाग द्वारा इस योजना के तहत विविध खेती बाड़ी एवं सम्बन्धित आधारभूत ढांचे में वृद्वि हेतु स्पिंरकलर व डिप साधन के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। आज तक विभाग द्वारा 27,732 स्पिंरकलर सेट ₹8,629.44 लाख की लागत से स्थापित किए गए जिससे कृषि भूमि का 19,405 वर्ग मीटर क्षेत्र सिंचित हुआ। वर्ष 2014–15 में 12,000 हैक्टेयर भूमि को इस योजना के अधीन लाने के लिए ₹8.00 करोड़ का प्रावधान किया गया। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक 216 पोली हाऊस का निर्माण किया गया तथा अन्य 205 पोली हाऊसिज निर्माणधीन है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 16 हैक्टेयर क्षेत्र को पोली हाऊसिज के अधीन लाए जाने का लक्ष्य है। 684 किसानों को अभी तक योजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया। लघु सिंचाई एवम आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 के लिए ₹20.00 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें से

अभी तक ₹600.89 लाख व्यय किए गए। वित्त वर्ष 2015–16 में 2,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कृषि उपयोग हेतु लाने के लिए 1,350 पोली हाऊसिज तथा 200 जल संवर्धन संयत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

7.25 कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों को सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।
4. राज्यों द्वारा कृषि योजना में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों यह सुनिश्चित करना।
5. सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अंतर को दूर करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। वर्ष 2014–15 में कृषि एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹86.11 करोड़ अनुमानित व्यय किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ होने के बाद भारत सरकार से ए0सी0ए0 के अधीन प्राप्त हो रही है इसलिए इस योजना को राज्य क्षेत्र कार्यक्रम में वर्ष 2014–15 से सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए कृषि विभाग को सामान्य योजना (₹36.19) एस0सी0एस0पी0(₹13.86) व टी0ए0एस0पी0 (₹4.95) करोड़ के अन्तर्गत कुल ₹55.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

उद्यान

7.26 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

7.27 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1,200 टन हुआ । यह बढ़

कर वर्ष 2013–14 में 2,20,706 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 8.66 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2014–15 में दिसम्बर,2014 तक कुल फल उत्पादन 6.53 लाख टन आंका गया है। 2014–15 में 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2014 तक 3,447.25 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 9.59 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.28 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2013–14 में 1,07,686 हैक्टेयर हो गया।

7.29 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2013–14 में 27,792 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2013–14 में 10,819 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं पोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2013–14 में क्रमशः 23,110 हैक्टेयर तथा 51,299 हैक्टेयर हो गया।

7.30 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास की गति में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.31 फल–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार नई तकनीकों की जानकारी विभिन्न फसलों अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम, लीची, स्ट्रावेरी तथा जैतून विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

7.32 मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में सेब, आम तथा निम्बू प्रजाति के फलों के प्रापण मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह प्रापण मूल्य पिछली वर्ष की भांति ही रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बागवानों से ₹8.72 करोड़ मूल्य का 13,415 मी.टन "सी" श्रेणी सेब का प्रापण किया गया।

7.33 प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम ऊँचाई वाले

क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2014 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.10 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.10
फल उत्पादन

('000 टन)

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (31दिसम्बर 2014तक)
सेब	275.04	412.39	738.72	580.52
अन्य समशीतोष्ण फल	31.18	55.02	66.13	33.16
सूखे मेवे	2.49	2.81	3.48	1.47
नीबू प्रजाति	25.03	24.32	22.27	9.46
अन्य उपोष्णीय फल	39.08	61.16	35.73	28.74
कुल	**372.82**	**555.70**	**866-33**	**653.35**

7.34 फल उत्पादकों को उतम गुणवत्ता पैकिंग उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से भारतीय पैकेजिंग संस्थान अंधेरी (पूर्व) मुम्बई को स्टैण्डर्ड यूनिवर्सल कार्टन के निर्माण हेतु मापदण्डों के निर्धारण एवं परिवहन गुणवत्ता के आकलन का कार्य सौंपा गया है।

7.35 प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतु 31.12.2014 तक 420 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अंतर्गत लाया गया। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं आर्दश पुष्प केन्द्रों महोगबाग, चायल जिला सोलन तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश के चार किसान को–ओपरेटिव सोसाईटी जिला शिमला, कांगड़ा, लाहौल–स्पिति तथा चम्बा में कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पाद एवं मौन पालन जैसे सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक चम्बाघाट, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 357.59 मी0टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में दिसम्बर,2014 तक कुल 5,125.51 मी0टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में दिसम्बर,2014 तक प्रदेश मे 700.63 मी0टन शहद का उत्पादन हुआ।

7.36 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009–10 में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया। वर्ष 2010–11 में रबी सीजन में इस योजना को 15 विकास खण्डों को सेब फसल के लिए तथा 9 विकास खण्डों को आम फसल के लिए लाया गया। योजना की सफलता के दृष्टिगत 2011–12 में रबी सीजन में सेब फल फसल के लिए 17 विकास खण्डों तथा आम फल फसल हेतु 10 विकास खण्डों में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु चार विकास खण्डों तथा बादल–फटने से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु दो विकास खण्डों को रबी 2011 से Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2013–14 में 64,782 बागवानों को सेब फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 1,26,14,524 पेड़ों को बीमित किया गया

जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग ₹6.17 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत ₹8.14 करोड के क्लेम से बागवानों के लाभान्वित होने की संभावना है। वर्ष 2014–15 रबी सीजन में इस योजना के अन्तर्गत सेब के 17 से 35 तथा आम के 42 विकास खण्डों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में लाया गया है। इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत नीम्बू प्रजाति के फलों में मुख्यतः किन्नू को 14 विकास खंण्डो में पल्म को 12 विकास खण्डो में तथा आडू को 4 विकास खण्डों में लाया गया है।

7.37 प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं बागवानी तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचाई मिशन इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत बागवानी फल फसलों के उत्पादन, आधारभूत अधोसंरचना के सृदृढ़ीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं में विकास हेतु अनेक विकासात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु ₹65.63 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹20.12 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2014 तक 2,05,613 किसान लाभान्वित किये गए हैं। इन योजनाओं में फूलों तथा सब्जियों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 1,12,400 वर्ग मी. क्षेत्र ग्रीन हाउस के अंतर्गत लाया जाना लक्षित है। बागवानी फल फसलों में विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर उपलब्ध 50 प्रतिशत उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 9,42,400 वर्ग मी. क्षेत्र को ओलारोधक जालियों के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेब जीर्णोंदार योजना चलाई जा रही है जिसमें पुराने बगीचों को जीर्णोंदार करके नई, उन्नत तथा लगातार फसल देने वाली स्पर प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बगीचों में सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु जल भण्डारण टैंकों, बोर वैल तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई है। ऊपर वर्षित योजनाओं के अतिरिक्त एक नई केन्द्रित प्रायोजित योजना "MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE" (MIDH) का कार्यान्वयन माह अप्रैल, 2014 से किया गया है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए ₹4,800.00 लाख का ऐनुअल ऐक्शन पलान स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा समेकित उद्यान विकास के लिए ₹1,462.19 लाख की पहली किश्त प्राप्त की है।

एच.पी.एम.सी.

7.38 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.39 वर्ष 2014–15 में 31 दिसम्बर,2014 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹1,457.09 लाख के अपने संयंत्रों में तैयार उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने केवल 7,001.01 मी0टन सेबों की खरीद की जिसे एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किया जिसमें से 527.04 मी0टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। निगम इस वर्ष आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 15 जनवरी, 2015 तक 9.00 मी.टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम. सी. अपने उत्पादों को रेलवे, उतरी कमान मुख्यालय उधमपुर, विभिन्न धार्मिक संस्थानों, निजी संस्थानों, मै0 पार्ले खुले बाजार और एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही है। एच.पी.एम.सी. के द्वारा 184.09 मी.टन सेब का कन्सैन्ट्रैट जूस ₹289.83 लाख में तथा अन्य उत्पाद ₹1,167.26 लाख में उपरोक्त संस्थानों को बेचा गया। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक ₹443.27 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच. पी.एम.सी. ने 31 दिसम्बर,2014 तक ₹659.12 लाख के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 2 सी.ए. भण्डार गृहों से ₹508.82 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। निगम एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से ₹3,949.95 लाख तकनीकी उन्नतिकरण हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत कराने में सफल हुआ। यह सहायता अनुदान निम्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त हुआ है :–

i) ग्रेडिंग व पैंकिंग गृह जरोल टिक्कर, (कोटगढ), गुम्मा (कोटखाई), ओडी (कुमारसैन), पतलीकुहल (कुल्लू), तथा रिंकांगपियो (किन्नौर) के लिए शत प्रतिशत वितीय सहायता ₹797.30 लाख।

ii) वातानुकुलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ) के लिए ₹1,009.00 लाख ।

iii) नादौन (हमीरपुर) पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹353.42 लाख।

iv) घुमारवी जिला बिलासपुर में फलों की पैकिंग व ग्रडिंग के लिए व फलों व सब्जीयों तथा जड़ी बुटियों की वातानुकुलित स्टोरेज के लिए पैक व ग्रेडिंग हाउस व कोल्ड रुम के लिए शत प्रतिशत वितीय सहायता ₹435.08 लाख।

v) एच पीएम सी फल विधायन संयंत्र, परवाणू में स्थित जुसों की टैटा पैकिंग के लिए टी.बी.ए.–9 टी.वी.ए. –19 में परिवर्तित करने के लिए शत प्रतिशत वितीय सहायता ₹355.15 लाख।

vi) सरकार ने एच.पी.एम.सी. के फल विधायन संयंत्र परवाणू का उन्नतिकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए ₹1,000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की है जिसकी प्रकिया शुरु कर दी गई है।

8. पशु तथा मत्स्य पालन

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

8.1 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे के घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष खाद के रूप प्रदान करते हैं तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

8.2 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2013–14 में 11.51 लाख टन दूध, 1,657 टन ऊन, 107.548 मिलियन अंडे, 3,986 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2014–15 में 11.70 लाख टन दूध, 1,661 टन ऊन, 109.00 मिलियन अंडे तथा 4,000 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 8.1

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
2013–14	11.51	460
2014–15 (अनुमानित)	11.70	468

8.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में :

i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
ii) गोजातीय विकास,
iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
iv) कुक्कट विकास,
v) पशु आहार व चारा विकास,
vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा,
vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।

8.4 वर्ष 31.12.2014 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप–मण्डलीय–पशु–चिकित्सालय, 285 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,765 पशु औषधालय हैं इसके इलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2014 तक 1,251 पशु औषधालय खोले गए है।

8.5 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें प्रदान की जा रही है। एक नर भेड़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है। वर्ष 2013–14 में इन फार्मों में 2,000 भेड़ें पाली गई और 132 नर मेंढ़े भेड़ पालकों को वितरित किए गए। प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा

अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान 1,661 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गऊओं को क्रॉसब्रीड गऊओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गऊओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गऊएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2013–14 में 9.00 लाख गायों के व 2.96 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2014–15 के लिए 9.00 लाख गायों और 2.50 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2013–14 में 0.43 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन एल.एन.$_2$ गैस उत्पादित की गई और 2014–15 में 0.80 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2013–14 में 2,212 संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 7.15 लाख गायें व 2.14 लाख भैंसों को यह सुविधा प्रदान की गई तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 7 लाख गायों व 2.10 लाख भैंसो में कृत्रिम गर्भधान किया जाएगा। गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है और लम्बे समय तक दूध देती है।

8.7 वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 19वीं पशु गणना करवाई गई। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 3.40 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 800 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत 3,559 परिवारों के लिए 2.11 लाख चूजे नवम्बर, 2014 तक बांटे गए। योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 317 ईकाईयां स्थापित की गई व 2014–15 में 300 ईकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2013–14 में इस प्रक्षेत्र में 46 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2013–14 में 44 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 15.00 लाख चारा

जड़ों व 0.65 लाख चारा पौंधों के वितरण की संभावना है।

दूध गंगा योजना

8.8 दुध गंगा योजना नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:–

- छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करना(एक यूनिट में 2 से 10 दुधारु पशु) 10 पशुओं को खरीदने के लिए ₹6.00 लाख का बैंक लोन का प्रावधान है।
- दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद व दूध ठण्डा करने की यूनिटों के लिए ₹20.00 लाख बैंक लोन का प्रावधान है।
- देसी दूध उत्पादों के निर्माण के लिए व डेयरी प्रोसैसिंग उपकरणों के खरीद के लिए ₹13.20 लाख बैंक लोन का प्रावधान है।
- डेयरी उत्पादों के परिवहन व कोलचेन के लिए ₹26.50 लाख बैंक लोन का प्रावधान है।
- दूध व दूग्ध पदार्थो के कोल्ड स्टोरेज प्रावधान मुहैया करवाने के लिए ₹33.00 लाख बैंक लोन का प्रावधान है।

सहायता का पैटर्न:–

i) कुल प्रोजैक्ट लागत का 25 प्रतिशत सामान्य श्रेणी व 33.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों को अंत में अनुदान का प्रावधान हैं।

ii) एक लाख से अधिक लोन राशि पर 10 प्रतिशत अंशदान राशि बैंक में जमा करवाने होंगें।

पशुधन बीमा योजना

8.9 यह स्कीम जिला मण्डी और कांगड़ा में मार्च, 2006 में शुरू की गई थी अब जिला हमीरपुर, शिमला व चम्बा तक विस्तृत की गई है जिसका उद्देश्य पशुधन मालिकों को उच्च किस्म के पशु व भैंसों की मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाना है।

- प्रतिदिन पांच लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गायें और भैंसों का इस स्कीम के अन्तर्गत बीमा किया जाता है ।
- बीमे का प्रीमियम तीन साल के लिए 8.20 प्रतिशत तथा एक साल के लिए 3 प्रतिशत रखा जाता है जिसका 50 प्रतिशत सरकार व 50 प्रतिशत भाग मालिक द्वारा दिया जाता है ।

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना

8.10 पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता पद्धति के आधार पर स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में प्रजनन योग्य पशु एवं भैंस की कृत्रिम गर्भाधान के लिए शत–प्रतिशत प्राप्ति के लिए ₹12.68 करोड़ राज्य के लिए जारी किए गए थे। अब दूसरे चरण में इस कार्य के लिए राज्य को ₹24.08 करोड़ राशि स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का उद्देश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं और ई.टी.टी.लैब को सुदृढ़ बनाना।

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

8.11 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार यह योजनाएं चला रही है। आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्ट्रेन किस्म के जो कि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए जाते हैं। एक यूनिट में 50 से 100 चूजे होते हैं। केन्द्रीय संचालित योजना "राज्य के कुक्कट पालन सहायता" के अंतर्गत यह चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में पैदा किए जाते हैं।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.12 पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्काड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है। जिन रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एस0बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रैबीज, रानीखेत और मरैक्स रोग सम्मिलित हैं।

भेड़पालक समृद्धि योजना

8.13 पूंजीगत जोखिम राशि की योजना राज्य सरकार में नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। खरगोश विकास के लिए कुल्लू एवं शिमला जिला का चयन किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भूमिहीन, सीमान्त कृषक, व्यक्तिगत कृषक, स्वयं सहायता समूह के भेड़ पालकों को सहायता दी जाती है जिसमें से पारम्परिक भेड़ पालकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राशि की सीमा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारण कर दी जाएगी जो निम्न प्रकार से है:–

i) भेड़ पालकों को 40 भेड़ें/ बकरियां व 2 बकरे/नर मेंढों के लिए कुल ₹1.00 लाख की वित्तीय राशि जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत उपदान जो अधिकतम ₹33,000 होगा, दिया जायेगा एवं इसमें 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति को देना होगा।

ii) भेड़ बकरी प्रजनन इकाई के अंतर्गत 500 भेड़ें/बकरियां एवं 25 नर मेंढे/बकरों के लिए ₹25.00 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹8.33 लाख उपदान होगा एवं 25 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति को देना होगा।

iii) खरगोश पालक इकाइयों के लिए ₹ 2.25 लाख दिए जाएंगे जिसमें

कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹75,000 उपदान होगा एवं 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति को देना होगा। इस योजना के लिए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एवं राज्य सहकारी बैंक पात्र वित्तीय संस्थान होगें।

भेड़पालक बीमा योजना

8.14 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में प्रीमियम ₹330 प्रति वर्ष 100:150:80 अनुपात आधार पर जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया वहन करेगा।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ₹ 60,000
- दुर्घटना से मृत्यु ₹1,50,000
- दुर्घटना से पूर्णतयाः अपंगता ₹1,50,000
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता ₹1,50,000
- एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता ₹75,000

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुश्त लाभ जिसे एड ऑन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए ₹1,200 वार्षिक वजीफा मिलता है।

75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीनः आहार एवं चारा विकास योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीन (चॉफ कटर) प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में हि0प्र0 के लिए ₹1,050 लाख की राशि स्वीकृत हुई जिसमें से ₹525 लाख की पहली किश्त जारी की गई है।

दूध पर आधारित उद्योग

8.15 हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध संघ में 845 समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 38,750 है जिसमें 190 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 21 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 81,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 7 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 80,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है और एक 16 मी0टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भोर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 63,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 18,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल शामिल हैं।" दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से यहां प्रसंस्करण होकर पैकेट व खुला बिकने के लिए भेजा जाता है।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है।

8.16 हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01.10.2014 से दुग्ध के मूल्य में ₹1.00 प्रति लीटर की वृद्वि करके 38,750 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है जोकि हि0प्र0 दुग्ध संघ से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने ₹37.43 करोड़ 2013–14 के दौरान राज्य के ग्रामीणों के विकास हेतु उत्पादकों को दिए गए और राज्य के गांवों का टिकाऊ विकास किया गया।

विकासात्मक प्रयत्न

8.17 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध संघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- आई.डी.डी.पी.–।।। योजना के अंतर्गत 5,000 लीटर की क्षमता वाले तीन नए दुग्ध अभिशीतन केन्द्र जिला हमीरपुर के जंगलबैरी व नालागढ़, जिला सोलन व किन्नौर में लगाए जा रहे हैं।
- जिला हमीरपुर की भौरंज तहसील के भौर में दो नए संयंत्र ''यूरिया मौलैसिस मीनिरल मिंक्सर'' प्लॉट लगाए जा रहे हैं।
- जिला ऊना के लाल सिंगी क्षेत्र में एक नया ''कम्प्रैस्ड फौडर प्लॉट'' लगाया जा रहा है।
- हिमाचल दुग्ध प्रसंघ द्वारा जिला बिलासपुर में तथा नदौन, जिला हमीरपुर में पशु आहार गोदाम स्थापित किये जा रहे है।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों का रोजगार प्रदान किया गया है।

नया नवीकरण

8.18 कल्याण विभाग के आई.सी. डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र "चक्कर" में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2014–15 में 26,626.35 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 110 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों को सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में प्रत्येक नई ग्रामीण डेयरी सहकारी समिति को ₹18,000 की प्रबंधकीय ग्रांट दी जाएगी।

- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 300 पशुओं को ₹ 15,000 प्रति पशु खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 275 क्विंटल मिठाईयां और वर्ष 2014–15 में लोहड़ी त्यौहार पर 30 क्विंटल गचक का कारोबार किया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में रक्तदान करने वालों को हल्का पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवा रहा है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां सारणी संख्या 8.2 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 8.2

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं	विवरण	2013–14	30–11–2014 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	822	845
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	37945	38740
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	219.68	165.00
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	67.92	55.00
5	घी की बिक्री (मी0 टन)	199.24	107.00
6	पनीर की बिक्री(मी0 टन)	61.12	61.12
7	मक्खन की बिक्री(मी0 टन)	21.76	22.00
8	दही की बिक्री(मी0 टन)	161.20	115.00
9	पशु आहार बिक्री(क्विंटलों में)	28,680.76	19,334.00

8.19 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाई है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह निशिचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 91 बड़े दुग्ध शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 153 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ सोमित

8.20 ऊन संघ का मुख्य उद्वेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्वेश्यों का अनुसारण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर मशीन भेड़कर्तन, भेड़ ऊन की धुलाई (स्कावरिंग) और ऊन के विक्रय में प्रयासरत है। भेड़ कर्तन, आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है। वर्ष 2014–15 में 31.12.2014 तक 54,527.340 किलोग्राम भेड़ ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹30.43 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन ऊनी बाजार में किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तावित कार्य सारणी संख्या 8.3 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 8.3

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	अनुमानित व्यय– (₹लाख में)
1	भेड़ ऊन खरीद	82,000	47.56
2	अंगोरा ऊन खरीद	100	0.60
3	भेड़कर्तन संख्या	95,000	–
4	ऊन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग	60,000	–

मत्स्य एवं जलचर पालन

8.21 हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया गया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वकाक्षी "इन्डो–नार्वेयन ट्राउट फार्मिग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 6,284 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर,2014 तक प्रदेश के विभिन्न जलाश्यों में 6,479.22 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹5,474.03 लाख है। इस वर्ष मूल्य ₹50.03 लाख की सहायता से प्रदेश में निजि क्षेत्र में 100 नए टाउट यूनिट स्थापित करवाये जा रहे है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाश्यों में दिसम्बर, 2014 तक 1,108.096 मी0 टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹943.40 लाख आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाश्य को वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2014 तक राज्य में फार्मों से 8.61 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से ₹81.95 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 8.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.4

टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2010–11	19.07	89.26
2011–12	17.98	83.01
2012–13	19.18	98.48
2013–14	13.81	115.41
2014–15 दिसम्बर, 2014 तक	8.61	81.95

8.22 मत्स्य कृषकों, ग्रामीण तालाबों और जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट बीज फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2013–14 में ₹222.12 लाख था तथा 2014–15 में ₹106.52 लाख फार्म बीज का उत्पादन दिसम्बर, 2014 तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर

पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" ₹189.28 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जिसका विवरण सारणी संख्या 8.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.5

1.	बैकयार्ड फिश फार्मिंग यूनिटों का निर्माण	₹ 103.68लाख
2.	मछली पकड़ने के उपकरणों का वितरण तथा मत्सय बीज संग्रहण	₹ 42.40 लाख
3.	अनुसूचित जाति बहुल गांव में सामुदायिक तालाब निर्माण	₹ 25.20 लाख
4.	हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र मेंट्राऊट ईकाइयों का निर्माण	₹ 18.00 लाख
	कुल	**₹189.28 लाख**

8.23 विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष " बैकयार्ड फिश फार्मिंग" (किचन फिश पौड) नामक नई योजना ₹103.68 लाख की सहायता से आरम्भ की गई है। राज्य में राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड हैदराबाद की 90 प्रतिशत सहायता से "मोबाईल फिश मार्कीट" नामक नई योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उददे्श्य हिमाचल प्रदेश के लोगों के घर द्वार ताजा मछली पहुंचाना है। मछुआरों को अब जीवन सुरक्षा निधि के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत मृत्यु /स्थाई अपंगता की दशा में संतप्त परिवार को ₹2,00,000 तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹1,00,000 तथा चिकित्सा उपचार हेतु ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाश्य माहीगीरों को दो मासिक बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाश्यों में कार्यरत माहीगिरों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे सारणी संख्या 8.6 में दर्शाया गया है:–

सारणी 8.6

क्र. सं	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना	₹2.00 लाख (मृत्यु उपरांत स्थाई अपंगता) ₹1.00 लाख (आंशिक अपंगता पर) चिकित्सा उपचार हेतु ₹10,000
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	₹1,800 (दो किश्तों में प्रत्येक मछुआरे को)

मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 363 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाश्य मत्स्यकीय, हिमाचल मत्स्यकीय का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। "पिंजरों में मछली पालन योजना" के अन्तर्गत ₹334.00 लाख की राशि केन्द्रीय अन्तर्देशीय अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, कोलकता को स्थानान्तरित कर दी गई है। उनसे तकनीक विकसित करवाई जाएगी ताकि जलाशयों से मछली उत्पादन बढ़ सके। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य

है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाशय के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

8.24 विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा वर्ष 2015–16 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सारणी संख्या 8.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.7

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर,2014 तक की उपलब्धियां	वर्ष 2014–15 का लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य 2015–16
1	मत्स्य उत्पादन (टन)	6479.22	8932.00	10000.00
2	कार्प बीज उत्पादन (मिलियन)	106.52	240.00	240.00
3	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	8.61	17.00	18.00
4	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	140.28	250.00	300.00
5	रोजगार सृजन (संख्या)	1995	500	550
6	विभागीय राजस्व (लाखों में)	199.37	175.00	250.00

9. वन तथा पर्यावरण

वन

9.1 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है। इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

वन रोपण

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार, विभागीय पौधारोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज, सांझी वन योजना, टी.एफ.सी., भू एवं नमी संरक्षण तथा परियोजनाएं इत्यादि आते हैं। 31 मार्च, 2014 तक 6,693 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है जिस पर ₹25.58 करोड़ व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पुर्वानुमानित 6,180 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें ₹ 17.20 करोड़ व्यय होने सम्भावित है तथा दिसम्बर, 2014 तक 4,250 है0 क्षेत्र में पौधारोपण कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 4,000 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का पूर्वानुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गत वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किए गए तथा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹10.00 करोड़ की लागत से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण

9.3 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी शरण्यस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिससे विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। इस योजना के अंतगर्त वर्ष 2013–14 में ₹ 440.00 लाख (अनुसूचित जन–जाति योजना समेत) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित किये गये जो मार्च, 2014 तक व्यय कर लिए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 440.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से माह दिसम्बर, 2014 तक ₹193.00 लाख रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष धनराशि 31.03.2015 तक व्यय कर दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रस्तावित बजट ₹ 484.00 लाख का प्रावधान है।

वन सुरक्षा (वन प्रबंधन योजना संचार तंत्र)

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकडी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां

आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 51.94 लाख का प्रावधान (अनुसूचित जन–जाति तथा गैर अनुसूचित जन–जाति) राज्य योजना स्कीम के तहत किया गया था जिसका मार्च, 2014 तक पूर्ण व्यय कर लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹60.99 लाख का प्रावधान राज्य योजना स्कीम के तहत प्रस्तावित है जिसमें से ₹17.28 लाख दिसबर, 2014 तक व्यय कर लिये गए हैं तथा शेष राशि 31.3.2015 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 51.00 लाख का बजट राज्य योजना स्कीम में प्रस्तावित है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना

9.5 स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना, ऊना स्वां नदी जलग्रहण क्षेत्र में जापान अंतराष्ट्रीय सहयोग एजैंसी की सहायता से जिला ऊना में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 22 उप–जलागम कमेटियां 619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 96 पंचायतों को परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों/क्रियाकलापों को पूर्ण करने हेतु चयनित किया गया है। इस परियोजना की लागत 85 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत राज्य हिस्सा जिसमें स्टाफ को वेतन तथा कर इत्यादि के रूप में निर्धारित की गई है। आरम्भ में यह परियोजना वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक 8 वर्षों के लिए बनाई गई थी तथा परियोजना व्यय ₹160.00 करोड़ रखा गया था। अब सूक्ष्म योजना स्तर पर क्रियान्वित करने तथा वर्ष 2011 में योजना पर अर्धवार्षिक तथा मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन की सिफारिशों के अनुसार यह योजना (2006–07 से 2015–16) तक 10 वर्षों के लिए ₹215.00 करोड़ की संशोधित की गई है। योजना के अन्तर्गत 96 ग्राम पंचायत विकास समितियों का गठन एवं पंजीकरण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹22.00 करोड़ स्वीकृत किए गए थे जिसके विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2014 तक ₹16.70 करोड़ व्यय किए गए। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹8.05 करोड़ का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया है।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

9.6 हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई। यह योजना 6 वर्षों के लिए है जिस की कुल लागत ₹365.00 करोड़ है। परियोजना की लागत विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जा रही है एवं परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। अब ₹231.25 करोड़ की एक नई परियोजना मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के नाम से वर्ष 2015–16 तक स्वीकृत की गई है। यह योजना अब 710 पंचायतों में कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में आई कमी को पूरा करना, प्राकृतिक सम्पदा की संभावित उर्वरता को बढ़ाना तथा योजना–क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में वृद्वि करना

है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान इस परियोजना के लिए ₹83.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2014 तक ₹ 46.22 करोड़ व्यय कर लिए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सरकार ने ₹100.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2014–15 के अंतर्गत विभाग की महत्वूपर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

साईंस लर्निंग एवं कियेटिविटी केंद्र की स्थापना

9.7 प्रदेश में किसानों व आम लोगों का विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने के उद्देश्य से साईंस लर्निंग एवं क्रियेटिविटी केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसके लिए ₹35.00 करोड़ खर्च किये जाना प्रस्तावित है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्य योजना

9.8 जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्ययोजना को अनुकूल बनाने और शमन करने संबंधी रणनीति के अंश के रूप में अंतिम रूप दिया गया है तथा यह राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित है।

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

9.9 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत किया गया है ताकि यह राज्य को जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान बारे आवश्यक जानकारी प्रदान कर सके।

राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ

9.10 आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक उभरा हुआ वैश्विक मुद्दा है और हमारा प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण विपरीत प्रभावों से निपटने हेतु कई चुनौतियां झेल रहा है। इस दृष्टिकोण में प्रदेश के लोगों की आजीविका प्रथाओं पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं बागवानी पर किए गए अनुसंधान को हि0प्र0 राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ के माध्यम से एकीकृत /समाहित तरीके से लोगों तक पहुचायेगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इस कार्य हेतु ₹ 3.00 करोड़ प्रदान करने हेतु सहमति दी है।

विकास नीति ऋण(डी.पी.एल.)/ भारत सरकार से अनुदान

9.11 हिमाचल प्रदेश सरकार को वर्ष 2014–15 में हरित एवं सतत विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से विश्व बैंक से 100 मिलियन यू.एस.डॉलर का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सतत आर्थिक हरित विकास के एक मॉडल की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्विपक्षीय वित्तपोषण के अन्तर्गत हि0प्र0 सरकार ने हरित एवं सतत विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से विश्व बैंक से ₹600.00 करोड़ का विकास नीति ऋण

प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश सरकार ने हरित एवं सतत विकास हेतु डी.पी.एल.–3 प्रस्ताव को द्विपक्षीय वित्तपोषण के अन्तर्गत भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को प्रस्तुत किया है। इसमें ₹ 60.00 करोड़ राज्य सरकार की भागीदारी के रूप में प्रस्तावित है। यह हमारे नेतृत्व को पूरे देश में प्रस्तुत करेगा। हि0प्र0 सरकार इस परिवर्तनकारी सतत आर्थिक हरित विकास माडल को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी

पर्यावरण मास्टर प्लान

9.12 राज्य के संवेदनशील पर्यावरण प्रबंध के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान दस्तावेज को अंतिम रूप दे कर तथा प्रकाशित कर सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध करा दिया गया है ताकि प्रदेश के संवेदनशील पर्यावरण का सही प्रबन्धन किया जा सके।

जैव प्रौद्योगिकी नीति का परिशोधन

9.13 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रणाली में प्रभावी तकनीक एवं कौशल लाने की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज का पुनर्गठन किया गया है। यह जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेगा कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हो।

जैव प्रौद्योगिकी नीति का कियान्वन

9.14 राज्य की संशोधित जैव प्रौद्योगिकी नीति में सामाजिक उत्थान के लिए निम्न कार्यों पर बल दिया है:

- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन जुटाने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा शैक्षिक संस्थानों के ढांचागत/बुनियादी रूप से पदोनित करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा उद्योग के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- कुशल विकास तथा प्रदेश में हो रही जैव प्रौद्योगिकी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता शिविर लगाना।

10. जल स्त्रोत प्रबन्धन

पेयजल

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त जनगणना गांवों को मार्च, 1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल आपूर्ति योजना के नवीनतम वैधीकरण सर्वेक्षण के अनुसार मार्च, 2008 तक सभी 45,367 बस्तियों को शुद्व पेय जल की सुविधा प्रदान की गई है। 1–04–2009 में राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति निर्देशों के लागू होने से एवं बस्तियों के मानचित्रण के अनुसार राज्य में कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई, जिसमें से 19,473 बस्तियां (7,632 बस्तियां जो शून्य प्रतिशत से अधिक तथा सौ प्रतिशत से कम लाभान्वित जनसंख्या वाली तथा 11,841 बस्तियां शून्य प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित वाली) चिन्हित हुई जहां पर पेयजल सुविधायें अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मापदण्ड बस्तियों की जगह जनसंख्या पर आधारित हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने राज्यों को 1.04.2009 तक डाटा अपडेशन का आंकलन करने के निर्देश दिये थे। वर्ष 2014 के डाटा अपडेशन के आंकलन के अनुसार 1–04–2014 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें शत–प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0 and <100 सम्मिलित किया गया
53,604	31,821 (59.36%)	21,783 (40.63%)

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 2,500 बस्तियों जिनमें 1,250 बस्तियों को राज्य भाग के अन्तर्गत तथा 1,250 बस्तियों को केंद्रीय क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ₹182.74 करोड़ एवं ₹111.28 करोड़ रखा गया है। दिसम्बर, 2014 तक कुल ₹153.68 करोड़ जिसमें ₹93.31 करोड़ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा ₹60.37 करोड़ केन्द्रीय भाग के रूप में परिव्यय करके 1,868 बस्तियां जिसमें से 1,563 बस्तियां केन्द्रीय क्षेत्र एवं 305 राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

हैण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2014 तक प्रदेश में कुल 30,978 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में कुल 596 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

शहरी पेयजल कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 51 शहरों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 38 शहरों की पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च, 2014 तक पूर्ण कर लिया गया है। हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, मण्डी,

कुल्लू, मनाली तथा रामपुर की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन राज्य तथा UIDSSMT कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। नाहन व सुजानपुर शहरों की पेयजल योजनाओं का सर्म्वधन कार्य राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में कुल ₹14.00 करोड़ योजनाओं के सर्म्वधन के कार्य के लिए रखे गये हैं, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक कुल ₹1.28 करोड़ खर्च किये जा चुकें हैं।

सिंचाई

10.4 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम या अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलों तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

10.5 हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब तक 2.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10.6 राज्य में कांगड़ा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। अब इस परियोजना में विकास का कार्य प्रगति पर है तथा 15,287 हैक्टेयर में से 4,907 हैक्टेयर भूमि को CAD के अन्तर्गत लाया जा चुका है। मध्यम सिंचाई योजनाऐं चंगर क्षेत्र बिलासपुर 2,350 हैक्टेयर, सिघाता मध्यम सिंचाई परियोजना 3,150 हैक्टेयर तथा बल्ह घाटी लैफ्ट बैंक परियोजना 2,780 हैक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में फीनासिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, 4,025 हैक्टेयर, नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना, 2,980 हैक्टेयर का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

10.7 वर्ष 2014–15 में ₹3,100.00 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा इन सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई प्रदान करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है, क्योंकि ये योजनाएं प्रारम्भिक चरण में है तथा दिसम्बर, 2014 तक ₹9.78 लाख व्यय किये गये हैं।

लघु सिंचाई

10.8 वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान

करने के लिए ₹12,182.00 लाख का बजट प्रावधान किया है। दिसम्बर, 2014 तक 2,517.69 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को ₹4,538.97 लाख व्यय करके सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

कमांड विकास कार्यक्रम

10.9 वर्ष 2014–15 के दौरान ₹2,500.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है और 3,552 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और ₹103.83 लाख व्यय किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 23 लघु सिंचाई, 39 शैल्फ की लघु सिंचाई योजनओं में भी सी0ए0डी0 के कार्य भी प्रगति पर है, जिनके लिए इस वर्ष बजट प्रावधान भी किया गया है।

बाढ़ नियन्त्रण

10.10 वर्ष 2014–15 में 500 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए ₹33,927.63 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिससे दिसम्बर, 2014 तक ₹16,697.48 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा इस अवधि में 1,286.74 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वां नदी तटीयकरण–चरण–4, तथा छोंच खडड के तटीयकरण का कार्य प्रगति पर है।

11. उद्योग एवं खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

औद्योगिकरण की स्थिति

11.2 प्रदेश में 31.12.2014 तक 40,429 औद्योगिक इकाईयां स्थाई तौर पर पंजीकृत हुई है जिसमें लगभग ₹18,307.95 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और 2,84,599 लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। इसमें 502 बड़े एवं मध्यम स्तर के उद्योग शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र/ सम्पदा

11.3 वर्ष 2014–15 में विभिन्न ओद्यौगिक क्षेत्र/एस्टेट की विकासात्मक कार्यों के लिए ₹13.22 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से 31.12.2014 तक ₹7.67 करोड़ प्रदेश के ओद्यौगिक क्षेत्रों /सम्पदाओं में विभिन्न आधारभूत सरंचना विकास कार्यों पर बजट स्वीकृत/व्यय किया गया है। शेष ₹5.55 करोड़ की बजट राशि 31.03.2015 से पहले स्वीकृत/खर्च की जाएगी।

संशोधित ओद्यौगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना के अधीन अत्याधुनिक क्षेत्रों की स्थापनाः–

11.4 वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार ने संशोधित ओद्यौगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना के अधीन अत्याधुनिक ओद्यौगिक क्षेत्रों कन्दरोरी, जिला कांगड़ा व पनडोगा, जिला ऊना की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अन्तिम अनुमोदन/ स्वीकृती हेतु भारत सरकार को भेजा है, जो कि अभी तक अपेक्षित है। राज्य द्वारा ओद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2014–15 के लिए कुल ₹10.07 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। यह राशि HPSIDC लिमिटिड को जारी की जायेगी, जोकि इन प्रोजेक्टों की कार्यकारिणी संस्था है। इसके अतिरिक्त द्भोटा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में तीसरे स्टेट आफ द आर्ट इण्डसटियल एरिया की स्थापना के लिए 515 बीघा वन भूमि की पहचान की गई है। वन सरंक्षण अधिनियम के धारा 1980 के तहत वन विभाग का आनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मामला वन विभाग को प्रस्तुत किया गया ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.)

11.5 विभाग द्वारा 31.12.2014 तक इस योजना के अंतगर्त आंवटित 649 लक्ष्यों के विरूद्व 825 मामले/ आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किए गए जिसमें से 525 मामलों में ₹828.29 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा इनमें से 341 मामलों में प्रार्थियों को ₹568.84 लाख अनुदान राशि वितरित कर 1,464 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

राज्यों को निर्यात उद्योग के अधोसंरचना एवं सहबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु सहायता (एएसआइडीई)

राज्य घटक

11.6 इसके अंतर्गत शेष ₹651.21 लाख विभाग के पास था तथा वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से इसके अंतर्गत ₹527.00 लाख अनुदान राशि प्रदेश को प्राप्त हुई जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹119.93 लाख विभिन्न अनुमोदित कार्यों पर व्यय किये गये तथा शेष राशि ₹1,067.80 लाख उन कार्यों पर व्यय किए जाएंगे जिसकी अनुमोदन स्वीकृति राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय घटक

वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान वाणिज्य एवम उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार ने ₹71.45 करोड़ की लागत से पांच परियोजनाएं जिला ऊना, सोलन और सिरमौर में स्वीकृत की, जिसमें ₹57.96 करोड़ एसाईड अनुदान राशि भी शामिल है जिसमें से ₹35.49 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इसमें से एक प्रोजेक्ट नामतः इम्प्रूवमेंट एण्ड सटेनथिंग आफ लिंक रोड अजौली(पंजाब बोर्डर) से सन्तोखगढ, टाहलीवाल, जिला ऊना तक 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य 31.03.2015 तक पूरा किया जाएगा। शेष अन्य 4 निम्नलिखित प्रोजेक्टों के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश ओद्यौगिक विकास निगम निविदा (Tender) आमन्त्रित किया गया है।

1. बददी बराटीवाला क्षेत्रों में निर्यातक इकाईयों के लिए कन्टेनर पार्किंग सुविधा की स्थापना करना।
2. आद्यौगिक क्षेत्र काला अम्ब, जिला सिरमौर में विद्युत आधारभूत संरचना का विकास।
3. बददी, बरोटीवाला, नालागढ क्षेत्रों में स्थित निर्यातक इकाईयों के लिए भण्डारण(warehouses) की स्थापना करना।
4. बददी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्रों मे समग्र फार्मा प्रयोगशाला की निर्यातक ईकाइयों के लिए स्थापना करना।

रेशम उद्योग

11.7 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9,200 ग्रामीण परिवारों को रेशम कोकून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त हो रहा है। 13 रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजि क्षेत्र में जिला कांगड़ा, बिलासपुर में पांच–पांच तथा हमीरपुर, मण्डी एवं, ऊना में एक–एक यूनिट सरकार की सहायता से स्थापित की गई है। 31 दिसम्बर, 2014 तक 192.76 मीट्रिक टन रेशम के कोकून का उत्पादन किया गया है जिनमें से 25.35 मी0टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर राज्य को बिक्री से ₹710.00 लाख की आय प्राप्त हुई है। रेशम कोकून का प्रत्याशित उत्पादन 224 मीट्रिक टन तथा परिवर्तित कच्चा रेशम 29.50 मी0 टन रहेगा।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

11.8 हि0प्र0 हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम को इस वर्ष प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु जन–जातीय उप योजना के अन्तर्गत ₹95.00 लाख तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत ₹1.00 करोड़ दिए जा चुके हैं।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

11.9 वित वर्ष 2014–15 में दिनांक 15.01.2015 तक प्रदेश में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत 3,679 बुनकरों को समायोजित किया गया है।

जिला स्तरीय आयोजनः–

11.10 हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु हिमबुनकर द्वारा जिला स्तरीय आयोजन करवाने हेतु 13 प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जा चुके हैं।

खनन

11.11 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है। उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ है, यहां प्रचूरता में उपलब्ध है। वर्तमान में छः सीमेंट प्लांट जिनमें दो इकाईयां ए0सी0सी0 बरमाणा, जिला बिलासपुर, दो इकाईयां अम्बुजा, कशलोग जिला सोलन, एक इकाई मै0 जे0पी0 उद्योग वागा भलग तथा एक इकाई मै0 सी0सी0आई0 राजबन, जिला सिरमौर में चल रही है। अन्य तीन सीमेंट संयंत्र सुन्दरनगर जिला मण्डी मै0 हरीश सीमेंटस (ग्रासिम), गुम्मा रूहाना, जिला शिमला, इण्डिया सीमेंट लि0, अलसींडी, जिला मण्डी, लफार्ज इण्डिया लि0 चल रहे हैं तथा तदनुसार खनन पटटों को उनके पक्ष में प्रदान किया गया है।

इसके उपरान्त सरकार ने अधिसूचना दिनांक 26.06.2014 द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम, 59 के अन्तर्गत पुनः स्वीकृति हेतु अधिसूचित किया गया तथा इच्छुक व्यक्तियों से बड़ोह–शिण्ड चूना–पत्थर भण्डार पर आधारित एक बड़े सीमेंट संयत्र की स्थापना हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गए। इस अधिसूचना की अनुक्रिया में 8 विभिन्न कम्पनियों ने खनन पटटा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी कम्पनियों को जारी किए हैं ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जा सकें। यह लाईसैंस मै0 ऐसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी धारा बड़ू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, मै0 डालमियां सीमेन्ट, गांव/ मौजा करियाली–कोठी–साल–वाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटिड, चलयान तहसील अर्की, जिला सोलन, श्रीयुत रिलायंस संगरोठी, थांगर, कुरा खेरा, पॉली खेरा, कंडल तहसील चौपाल जिला शिमला को दिए गए।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे शेल, बेराईटस, रॉक सॉल्ट, सिल्किा सैंड, भवन सामग्री जैसे कि सैंडस्टोन, रेत व बजरी और इमारती पत्थर इत्यादि भी प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की भौमकीय शाखा द्वारा खनिजों के दोहन के लिए खनिज रियायतें दिए जाने के अतिरिक्त भू–तकनीकी अन्वेषण प्रदेश में व्याप्त खनिजों के सर्वेक्षण, प्रदेश में बनाई जा रही सड़कों और पुलों का भौमकीय अध्ययन एवं भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

वर्ष 2013–14 के दौरान खनन से प्रदेश को ₹112.08 करोड़ का राजस्व

प्राप्त हुआ। वर्ष 2014–15 में (20जनवरी, 2015 तक) ₹103.00 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित ₹120.00 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

i) **नए खनन के पटटे प्रदान करना:** विभाग ने वर्ष 2013–14 में वित्तिय वर्ष में कोई भी खनन पटटा स्वीकृत नहीं किया है क्योंकि खनन पटटा हेतु आवेदित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनुमति लेना अनिवार्य है।जबकि वित्तिय वर्ष 2014–15 में (दिसम्बर,2014 तक) 3 पटटा नवीनकरण मुख्य खनिज के प्रावधानों के अंतर्गत तथा 4 खनन पटटे गौण खनिजों के स्वीकृत किए हैं।

ii) **भू–तकनीकी अन्वेषण:** विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में बनाए जा रहे पुलों, सड़कों, बड़े–बड़े भवनों, भू–स्खलन इत्यादि की नींव संबंधी क्षेत्रों में भौमकीय अध्ययन उपरांत 25 भू–तकनीकी अन्वेषण रिपोर्टस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है तथा 2014–15 में (नवम्बर, 2014 तक) 17 भू–तकनीकी अन्वेषण रिपोर्टस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है।

iii) भौमिकीय शाखा द्वारा जिला शिमला, तहसील सुन्नी ओगली क्षेत्र में चूना–पत्थर भण्डारों बारे खोज की जा रही है तथा अभी तक चुने हुए 78 नमूनों के रसायन विश्लेषण किये गये हैं।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.81 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं। सभी 67 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है तथा 64 रोजगार कार्यलय ओन लाईन है बाकि 03 रोजगार कार्यालयो को शीघ्र ही औन लाईन किया जा रहा है।

न्यूनतम मजदूरी

12.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 01.04.2014 से अकुशल कामगारों को वेतन ₹150 प्रतिदिन अथवा ₹4,500 प्रतिमाह से बढाकर ₹170 प्रतिदिन अथवा ₹5,100 प्रतिमाह निर्धारित किया है। सभी अनुसूचित व्यवसायों के अर्धकुशल, कुशल एंव उच्च कुशल श्रेणी के कामगारों की समानुपातिक वृद्वि की है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

12.3 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकडे. जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.12.2013 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,71,930 निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,45,249 और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,187 व निजी क्षेत्र में कुल 1,721 नियोक्ता है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

12.4 श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.04.2014 से 31.12.2014 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 92 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.5 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2014–15 में भी अपनी सेवाएं

अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 96 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं में कुशल वर्ग सहित 1,108 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। दिनांक 31.12.2014 के अन्त तक प्रदेश के निजी क्षेत्र की विभिन्न औघोगिक इकाईयों में कुल 19 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया। 01.04.2014 से 31.12.2014 तक इस कक्ष के माध्यम से 100 कैम्पस साक्षात्कार करवाए गए, जिसमें 1,523 आवेदकों की नियुक्तियां की गई। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने राज्य में रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जिसमें 01–04–2014 से 31–12–2014 तक 09 रोजगार मेलों का आयोजन किया जिसमे 2,484 प्रार्थियों को राज्य के विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु)

12.6 सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान (गर्ल्ज) आई. टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सेन्टर) में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वांईट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30वां, 73वां, 101वां, 130वां, 173वां है। (पहला व 101वां दृष्टिहीनों के लिए, 30वां तथा 130वां गुंगे–बहरों के लिए, 73वां तथा 173 लोकोमोटर अपंगता वालों के लिए है) वर्ष 2014–15 के दौरान 1.04.2014 से 31.12.2014 तक सक्रिय पंजिका में 1,579 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,806 हो गई है तथा 19 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.7 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियां तथा उप–मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतु किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र

जिला शिमला, किन्नौर,सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। श्रम न्यायलयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायधीश नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

12.8 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्द्वी जिला सोलन, मेहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, रती नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 5,429 संस्थानों में 2,34,012 बीमा कामगार/कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2014 तक पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.12.2014 तक 8,261 संस्थानों में कार्यरत 10,12,158 (अनुमानित) कामगारों को लाया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.9 प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या को औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण पर्याप्त महत्व दिया गया है। प्रदेश में समझौता तन्त्र विभाग के अधीन कार्यरत हैं तथा औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति बनाने, समन्वय और उत्पादनता बनाये रखने में महत्वपूर्ण एजेंसी साबित हुई है। समझौता अधिकारी के कार्य संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, तथा श्रम अधिकारियों, व श्रम निरिक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार सौंपे गये हैं। यदि निम्न स्तर पर समझौता करवाने में यह प्रक्रिया असफल हो जाती है तो निदेशालय स्तर उच्च अधिकारियों द्वारा उस प्रकार के विवादों/मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों और प्रबन्धकों की समस्यांओं के सम्बन्ध में सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समितयों का गठन किया गया है। इसी प्रकार जिन संस्थानों में 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हैं नियोजकों और कर्मचारियों की समितियों का गठन किया गया है, जिसमें नियोजक एंव कामगार सदस्य हैं।

भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियम) अधिनियम, 1996 व उपकर अधिनियम, 1996

12.10 इस अधिनियम के अंतर्गत जिसमें कल्याणकारी योजनायें जैसे कि मातृत्व/पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पैंशन, अपंगता पैंशन, दाह संस्कार सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तिय सहायता, बच्चों एंव सदस्यों की स्वंय की शादी हेतु वित्तीय सहायता, महिला कामगार को साईकिल, वाशिंग मशीन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ईण्डक्शन चुल्हा या सोलर कुकर और सोलर लैम्प सभी लाभार्थियों को प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। औज़ार खरीदनें और भवन निर्माण/खरीद हेतु ऋण का प्रावधान किया है। ऐसे संस्थान जहां पर 300 से अधिक भवन एंव सन्निर्माण कामगार कार्यरत हों, वहां पर बोर्ड ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण/किराये पर ले सकता है। बोर्ड इस उददेश्य से दुलैहड़ जिला ऊना तथा जिला सोलन के घनसोत (नालांगढ) में कामगार ट्रांजिट हॉस्टलों का निमार्ण कर रहा है जबकि जिला शिमला, मण्डी, चम्बा और किन्नौर

में कामगार ट्रांजिट हॉस्टलों हेतु उपयुक्त भुमि की चयन प्रक्रिया जारी है। बोर्ड भवन एंव सन्निर्माण कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के अर्न्तगत भी लाया गया है, ऐसे कामगार जो भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे तथा कामगार अपनी सदस्यता अंशदान केवल ₹10 प्रतिमाह निरन्तर देगा वह इन लाभों का पात्र होगा। इस के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि से बोर्ड वहन करेगा। दिनांक 31–12–2014 तक 1,425 संस्थान, 63,387 लाभार्थी पंजीकृत किये गये हैं तथा लगभग ₹247.99 करोड़ की धन–राशि बोर्ड के पास जमा हुई है।

कौशल विकास भत्ता योजनाः

12.11 यह योजना हि0प्र0 सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹100.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढाने हेतु सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत उन पात्र युवाओं, जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को कौशल विकास भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता शर्ते निम्नलिखित हैं:–

1. हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी होना,
2. बेरोजगार (न सरकारी और न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार)
3. कम से कम 8वीं उतीर्ण,
4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम,
5. पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.00 लाख से कम,
6. आवेदन की तिथि को हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण,
7. देश में कहीं भी किसी भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में नामांकन होना अनिवार्य है,

मिस्त्री, बढ़ई, लौहार, पलम्बर आदि के प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

इस वित्तीय वर्ष में, दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत 43,402 लाभार्थियों (21,090 लाभार्थी पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं तथा 22,312 नए लाभाथी) को ₹16.07 करोड़ की राशि वितरित कर दी गई है। योजना के प्रारम्भ होने से लेकर दिनांक 31.12.2014 तक कुल ₹30.03 करोड़ कौशल विकास भत्ता 64,389 अभ्यार्थियों में वितरित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

12.12 1.04.2014 से 31.12.2014 में कुल 1,32,672 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 331 को सरकारी क्षेत्र व 2,829 को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। विभिन्न नियुक्तिकों द्वारा इस अवधि में अधिसुचित खाली स्थानों की संख्या 3,357 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 31.12.2014 तक सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 9,91,033 थी।

जिलावार रोजगार केन्द्रों का 1.04.2014 से 31.12.2014 का कार्य निम्न सारणी संख्या 12.1 में दर्शाया गया हैः–

सारणी 12.1

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	नियोजन		सजीव पंजिका
			सरकारी	निजी	
बिलासपुर	5793	24	9	116	57207
चम्बा	7740	20	6	383	61818
हमीरपुर	9132	28	56	190	78733
कांगड.ा	29441	164	74	694	234333
किन्नौर	1745	0	0	0	8722
कुल्लु	6443	7	0	357	68574
लाहौल स्पिति	816	18	0	0	4050
मण्डी	34152	155	63	91	213586
शिमला	13060	284	27	0	81116
सिरमौर	7814	165	3	17	59304
सोलन	8407	2013	13	442	62197
ऊना	8129	479	80	539	61393
हिमाचल प्रदेश	**1,32,672**	**3,357**	**331**	**2829**	**991033**

नोटः सेवा नियोजन आंकडों में वे नियोजन आंकडे सम्मलित नहीं है जोकि अन्य विभागों बोर्डो, निगमों एवं हि0प्र0 लोक सेवा आयोग व एच0 पी0 एस0 एस0 एस0 बी0 द्वारा सीधे एवं प्रतियोगिता आधार पर नियोजित किये जाते है

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक के रूप में व्यापक स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन– सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

13.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 23,000 मैगावाट आंका गया है। 9,433 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की गई है जिसमें से 487 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की गई है। उपलब्ध विद्युत क्षमता का बेहतर दोहन तथा नई पनविद्युत क्षमता को चिन्हित करने के उदेश्य से सरकार ने प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता का पुनः आकलन करवाने हेतु उच्च दर्जे की कंसल्टैंसी फर्म को कार्य सौंपा था ताकि शेष ऊर्जा क्षमता को चिन्हित किया जा सके। इसी फलस्वरूप अब प्रदेश की चिन्हित ऊर्जा क्षमता का अनुमान 27,436 मैगावाट है। बेसिन वार ब्यौरा निम्न है।

सम्भाव्य क्षमता

नदी तट	क्षमता(मैगावाट)
यमुना	840
सतलुज	13,332
ब्यास	5,995
रावी	3,237
चिनाब	4,032
कुल	**27,436**

13.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। हाल में ही हिमाचल सरकार ने 38 हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 2,090 मैगावाट है को अन्तराष्ट्रीय बोली (निविदा) के माध्यम से बूट के आधार पर निजी क्षेत्र में दोहन करने हेतु विज्ञापित करने का फैसला लिया है जिसके लिए निविदाएं क्रमशः 29/30 जुलाई 2014 तथा 31 अक्तूबर 2014 को विज्ञापित की जा चुकी हैं। 27,436 मैगावाट की कुल चिन्हित क्षमता का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है।

कुल चिन्हित सम्भाव्य जल विद्युत क्षमता (मैगावाट)

क0 सं0	मद्द	राज्य क्षेत्र हि.प्र.रा.वि.प. लि./एच.पी. पी.सी.एल. हिमऊर्जा/ (मैगावाट)	केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र/हि.प्र. का हिस्सा (मैगावाट)	निजी क्षेत्र		
				5 मैगावाट से ऊपर (मैगावाट)	5 मैगावाट तक हिमऊर्जा	कुल (मैगावाट)
1	विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई	490	6,835	1,862	246	9,433
2	परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं	956	1,600	781	153	3,490
3	परियोजनाएं जो कार्यान्वयन स्तर पर है	1300	66	829	428	2,623
4	परियोजनाएं जो अन्वेषणाधीन हैं	1,049	588	3,090	394	5,121
5	परियोजनाएं जो विवादित हैं	–	–	20	–	20
6	पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई	20	–	735	–	755
7	परियोजनाएं जो आवंटित होनी हैं	–	–	2,090	–	2,090
	कुल	**3,815**	**9,089**	**9,407**	**1,221**	**23,532**
	शेष क्षमता जो विचाराधीन है					**3,904**

जल विद्युत नीति 5 मैगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओ के लिएः

13.4 जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैंः–

i) 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं को निजि क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से विद्युत उत्पादकों को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की बोली द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।

ii) हाल ही में प्रदेश सरकार ने 38 परियोजनाओं को जिनकी कुल क्षमता 2,090 मैगावाट है को निजी क्षेत्र में (बूट आधारित) आबंटन करने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय निविदायें प्रतिस्पर्धा अग्रिम प्रीमियम उच्च बोली के जो कम से कम ₹35.00 लाख प्रति मैगावाट से ऊपर अंकित हो, पर आमन्त्रित किया जाएगा। उक्त परियोजनाओं के आंवटन से सरकार ने निःशुल्क बिजली की दरों में कोई परिर्वतन न करने का निर्णय लिया है। अर्थात् उक्त परियोजनाओं के स्थापित होने पर प्रदेश सरकार को 40 वर्षों में

क्रमश; प्रथम 12 वर्षो तक (12+1) प्रतिशत अग्रिम 18 वर्षो में (18+1) प्रतिशत व अनुबन्ध अवधि के शेष 10 वर्षो में (30+1) प्रतिशत निशुल्क विद्युत निर्माणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवानी निर्धारित की गई हैं।

iii) सभी निर्माणकर्ताओं को 5 मैगावाट से ऊपर की परियोजनाओं पर कुल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।

iv) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पन विद्युत नीति–2008 की तर्ज पर दिनांक 30.11.2009 को अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्रदेश में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के हितों हेतु सभी परियोजनाओं में कुल उत्पादित बिजली का एक प्रतिशत भाग अतिरिक्त रूप से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है। हिमाचल सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2011 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 प्रतिशत अतिरिक्त निशुल्क बिजली से प्राप्त राजस्व को परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को नगदी के रूप में परियोजना के कुल जीवन काल तक उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

v) परियोजनाओं का संचालन समय, वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होने से अग्रिम 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को वापिस देनी पड़ेगी।

vi) परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना जरूरी है। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।

vii) **कम से कम पानी का छोड़नाः**
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर सभी रन–ऑफ–द–रीवर योजनाओं में अनिवार्य रूप से न्यूनतम प्रवाह का 15 प्रतिशत हिस्सा उक्त नदी में हर समय छोड़ने का प्रावधान हिमाचल सरकार के पर्यावरण विभाग की समय अनुसार नीति के तहत किया जाएगा। परियोजना निर्माता को ऊपरलिखित न्यूनतम प्रवाह को नदी में छोड़ने व छोड़े गये जल प्रवाह को मापने हेतु उपयुक्त प्रबन्ध डाईवर्जन स्ट्रक्चर में करना अनिवार्य है।

viii) **उत्पादित बिजली का व्ययनः**
परियोजना निर्माता उत्पादित बिजली में से निशुल्क बिजली व अन्य का भुगतान करने के उपरान्त शेष बची बिजली का व्ययन अपनी इच्छानुसार करने हेतु मुक्त है।

ix) **परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित मील पत्थरों का पुर्नगठनः**
परियोजनाओं का सुनियोजित ढंग से निर्माण करने हेतु सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण को अधिक से अधिक वास्तविक बनाने के लिए

विभिन्न स्तरों पर पुर्नगठित कर इस सन्दर्भ में मार्गदर्शित नीति को दिनांक 07.07.2012 को जारी किया है जिससे कि विभिन्न कारणों से अधर में लटकी परियोजनाओं को पुनः रास्ते पर लाया जा सके।

x) **विद्युत क्षमता का बेहतर व अधिकरण उपयोग**

प्रदेश की कुल चिन्हित विद्युत क्षमता के बेहतरीन दोहन हेतु सरकार ने बहुचर्चित सलाहकारी फर्मों को सम्मिलित कर सभी नदियों में उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता को बेहतरीन ढंग से दोहन करने का प्रयास किया है। जिससे नई विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित करने व पहले से चिन्हित परियोजनाओं की क्षमताओं का पुनः आकलन करना व मानचित्र पर हर प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का एकीकरण करने का कार्य मै0 लेहमेयर इन्टरनेशनल (आई0) प्रा0 लि0 द्वारा पूर्ण किया जा चुका है, तथा इस अध्ययन में परामर्शदाता के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अभी तक चिन्हित 23,000 मैगावाट क्षमता को लगभग 27,436 मैगावाट तक बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी पुष्टि सरकार की नई प्रस्तावित परियोजनाओं की संभाव्यता सुनिश्चित करना है।

xi) **क्षमता की बढ़ौतरी**

वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं से जल विद्युत का अधिकतम रूप से दोहन करने के सन्दर्भ में सरकार ने क्षमता बढ़ौतरी हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार परियोजना निर्माणकर्ताओं को क्षमता बढ़ौतरी के बदले में ₹ 20.00 लाख प्रति मैगावाट की दर से क्षमता बढ़ौतरी हेतु पेशगी व परियोजना से उत्पादित 3 प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क बिजली देनी होगी।

xii) **परियोजना क्षेत्र में बदलाव**

प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ व लाभप्रद बनाने हेतु परियोजनाओं के क्षेत्रों में जरुरी बदलाव लाने की स्वीकृति का प्रावधान 15.06.2010 से लागू कर दिया है।

xiii) **परियोजनाओं की प्रगति का आकलन वेब आधारित पद्वति के माध्यम से करनाः**

प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को सुचारू रूप से सचांलन करने के उद्देश्य से उर्जा निदेशालय में एक वेब बेसड मोनिटिंरिंग सिस्टम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के संयोजन से स्थापित कर दिया है ।

xiv) **स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु निधिः**

स्थानीय विकास निधि के फण्ड को विभिन्न स्तरों तक बढ़ाने के लिए सरकार ने दिनांक 05–10–2011 को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि प्रबन्धन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत का प्रावधान दिसम्बर, 2006 में अधिसूचित किया है एवं महत्वपूर्ण खर्चो को यह खाता वहन करेगा। सरकार ने परियोजना के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पहुंच से विकास की उपलब्धी एवं परियोजना के शुरू होने के प्रभावों को जानने के लिए 10 विद्युत परियोजनाओं में हि0प्र0 एग्रो विश्वविद्यालय के द्वारा अध्ययन करवाया गया है। जिसकी अंतिम

रिपोर्ट जनवरी, 2013 में प्रस्तुत कर दी गई है। इस अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय विकास निधि क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय विकास क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कार्य किया है तथा किए गए कार्य के लिए उस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या ने भी संतोष व्यक्त किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए नगर प्रोत्साहन योजना दिनांक 30–11–2009 को अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से चालू हुई परियोजना की तिथि से अतिरिक्त निःशुल्क बिजली का एक प्रतिशत की दर से परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सुधार के लिए परियोजना के भाग के रूप में परियोजना के जीवनकाल तक दिया जाएगा।

क. निष्पादन से पूर्व की परियोजनाएं:

परियोजना स्थापित करने वालों को 5 मैगावाट से ऊपर की परियोजनाओं पर परियोजना की कुल लागत का कम से कम 1.5 प्रतिशत और 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तौर पर अंशदान देना होगा अगर वे चाहे तो इसके लिए उससे ज्यादा भी अंशदान दे सकते हैं। प्रारम्भिक तौर पर क्षेत्रीय विकास निधि डी.पी.आर. के आधार पर निकाली जाएगी। जिसे उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा परियोजना के सम्पूर्ण होने के पश्चात स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का अंशदान निर्धारित होगा।

ख) निष्पादन के बाद की परियोजनाएं:

परियोजना बनाने वालों को सभी तरह की क्षमता वाली परियोजनाओं से एक प्रतिशत मुफ्त बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास के तौर पर रॉयल्टी के रूप में देंगे जैसा कि सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौता एवं प्रतिपूरक कार्यान्वयन समझौता हुआ है। यह अतिरिक्त उर्जा सम्बन्धित राज्य को रॉयल्टी छूट के अतिरिक्त टैरिफ (आयात निर्यात शुल्क) के रूप में होगी। इस राजस्व को उर्जा निदेशालय जो नोडल एजैंसी है एक प्रतिशत मुफ्त बिजली बिक्री के रूप में प्राप्त करके स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए प्रत्येक परियोजना से स्थानान्तरित करेगी। सरकार की अधिसूचना के उपरान्त स्थानीय विकास निधि के लिए एक प्रतिशत निधि पायलट परियोजना चमेरा चरण–III हि0प्र0 जल विद्युत परियोजना 231 मैगावाट से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लिए पहले ही शुरू कर दी गई है तथा परियोजना के सम्पूर्ण काल तक जारी रहेगी। सरकार इस नीति को अन्य योजनाओं में

भी लागू करने की प्रक्रिया में है।

ग) **समग्र प्रभाव निर्धारण अध्ययनः**

हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदियों तथा उनकी मुख्य सहायक नदियों के ऊपर और जल–विद्युत परियोजनाओं को तैयार करने की योजना है जब कोई परियोजना पर्यावरण मुक्त तथा सत्त विकास हेतु तैयार की जाती है तो उनसे सम्बन्धित समस्त प्रभावों का पता नहीं चलता तथा न ही इस बारे में कभी अध्ययन किए जाते हैं। यह समझना कि प्रत्येक जलविद्युत परियोजना सामान्य तथा प्रदूषण मानकों का अनुपालन करने वाली है एवं उनके कुल या समस्त प्रभाव इतने अनुरूप नहीं होंगे। इसलिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव हिमाचल प्रदेश ने मान लिए हैं और आगे प्रदेश की समस्त नदियों के ऊपर चरणवद्ध तौर पर संलिप्त पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करवाएगी। इस कम में पहले सतलुज बेसिन है और इसके प्रारूप की अन्तरिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो चुकी है। अध्ययन के लिए कुछ समय लगेगा और इस नीति के अन्तिम और विभिन्न स्तरों पर स्वीकार योग्य बदलाव में काफी समय लग सकता है।

नदी क्षेत्रवार सी.ई.आई.ए. अध्ययन का विवरण इस प्रकार से हैः–

1. सतलुज	अध्ययन पूरा और ड्राफ्ट अन्तिम रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचाराधीन है।
2. चिनाव	अध्ययन मै0 आर.एस. एनवायरोलिंक टैक्नोलोजी प्रा0 लि0 द्वारा किया जा रहा है जो प्रगति पर है।
3. रावी	टी.ओ.आर. प्रक्रिया अधीन है।
4. यमुना	टी.ओ.आर. प्रक्रिया अधीन है।
5. ब्यास	विभिन्न इच्छुक कंसल्टैंसी फर्मो से पहले ही निविदाएं/प्रारूप मांग ली गई हैं जिसका विज्ञापन 31–12–2014 को जारी कर दिया है। संचयी पर्यावरण प्रभावों का आकंलन पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित टर्म आफ रैफरैंस के अनुसार किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड –

13.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाऐं

(i) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाः** प्रदेश के सभी विद्युत रहित गांवों/बस्तियों को विद्युतिकृत करने और सभी नए घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत केन्द्र से 90 प्रतिशत राशि अनुदान और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत

जिलावार विद्युतीकरण योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू एवं गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 44,496 ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान की जाएगी जिनमें कि 12,483 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजनाएं आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार टर्न–की आधार पर बनाई जा रही हैं, जिससे इन्हें पूरा करने में कम समय लगेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 2,092 नए उपयुक्त क्षमता के विद्युत वितरण उपकेन्द्र तथा लाईनें स्थापित कर सभी 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

10वी पचंवर्षीय योजनाः– इस योजना के दौरान चम्बा जिला के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मैसर्ज आर.ई.सी. द्वारा दिसम्बर, 2005 में ₹ 25.02 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया गया था, जिसे कि अब संशोधित कर ₹ 66.33 करोड़ कर दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा ₹ 59.65 करोड़ की कुल राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्तों के रूप में जारी कर दी गई है और ₹ 48.59 करोड़ की अदायगी कर दी गई है। लगभग ₹ 10.47 करोड़ के बिल फर्म को अदायगी के लिए पहले ही प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार दिसम्बर, 2014 तक ₹ 59.06 करोड़ की कुल वित्तीय प्रगति है।

दिसम्बर 2014 तक चम्बा जिला में किए गए कार्यः–चम्बा जिला में दिसम्बर,2014 तक 24,098 किलोमीटर 33 के.वी. एच.टी. लाईन, 185.370 किलोमीटर 11 के. वी. एच.टी. लाईन, 414.210 किलोमीटर एल.टी. लाईन, 175 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, चार 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (कोटी, सिंहुता, नकरोड और घरोला), 1,174 बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण और पांगी खंड के 15 विद्युत रहित गांवों को बिजली प्रदान की गई है।

11 वीं पचंवर्षीय योजनाः– इस योजना के दौरान 11 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति के लिए 11वीं योजना में ₹ 275.53 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ₹ 231.44 करोड़ की राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। दिसम्बर, 2014 तक ₹ 245.52 करोड़ का खर्चा हो चुका है तथा लगभग ₹ 23.60 करोड़ के बिल देय के लिए प्रक्रिया में है। इस तरह दिसम्बर, 2014 तक कुल वित्तीय प्रगति ₹ 269.12 करोड़ की है।

जिला चम्बा के पागीं खंड और लाहौल स्पिति जिला के स्पिति खंड में ठडां मौसम, बर्फबारी तथा आसानी से लेबर न मिलने व सीमित कार्य अवधि के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। मै0 आर.ई.सी. लिमिटेड अधिकारीगण द्वारा 10वीं और 11वीं योजना की परियोजनाओं को 31 दिसम्बर, 2014 तक वांछनीय वितीय सहायता जारी रखने की सहमति दे दी है।

आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2014 तक किए गए कार्य की प्रगति इस प्रकार से हैः–

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	योजना का कुल प्रावधान	दिसम्बर 2014 तक संचित	
			भौतिक उपलब्धि	प्रतिशत
10वीं योजना की परियोजनाएं				
1	33के.वी. नए उपकेन्द्र	1 अदद	1 अदद	100.00
2	33 के.वी.एचटी लाईनें	64.00 कि.मी.	24.098 कि.मी.	37.65
3	11 के.वी..एचटी लाईनें	212.520 कि.मी.	185.370 कि.मी.	87.22
4	एलटी लाईनें	472.180 कि.मी.	414.210 कि.मी.	87.72
5	वितरण ट्रांसफारमरज	175 अदद	175 अदद	100.00
6	वी.पी.एल. गृह कनैक्शन	647 अदद	1,174 अदद	181.45
7	विद्युतरहित गांवों का विद्युतीकरण	15 अदद	15 अदद	100.00
11वीं योजना की परियोजनाएं				
1	33के.वी. उपकेन्द्रों का सम्बधर्न	4 अदद	4 अदद	100.00
2	22/11के.वी.एच.टी लाईनें	1,721.18 कि.मी.	1,334.090 कि.मी.	77.51
3	एल.टी. लाईनें	5,433.25 कि.मी.	5,404.405 कि.मी.	99.47
4	वितरण ट्रांसफारमरज	1,917 अदद	2,170 अदद	113.20
5	वी.पी.एल. गृह कनैक्शन	11,836 अदद	14,448 अदद	122.07
6	विद्युत रहित गांवों का विद्युतीकरण	75 अदद	75 अदद	100.00

प्रदेश में 100 प्रतिशत घरों को विद्युत पहुंचाने के उद्वेश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर. जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत मैसर्ज ग्रामीण

विद्युतीकरण निगम द्वारा 12 जिलों के लिए ₹ 341.86 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसके अंतर्गत अभी तक ₹ 291.09 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत 12 जिलों में कार्य टर्न–की आधार पर दिया जा चुका है और दिसम्बर, 2014 तक इस पर ₹ 328.19 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। जनगणना 2001 के आधार पर राज्य में 17,495 जनगणना गांव है जिसमें से 109 गांवों को विद्युत रहित गांव चिन्हित किया गया है। 11 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है और 8 गांवों का आर.जी.जी.वी.वाई. योजना शुरू होने से पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका था। शेष बचे 90 गांवों का दिसम्बर, 2014 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है।

जिलावार विद्युत रहित/विद्युतीकृत गांवों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	जिला का नाम	विद्युत रहित गांव	गांव जो तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है/जिनका विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका था।	गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण होना था।	गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण किया गया है।
1	चम्बा	16	1	15	15
2	कांगडा	2	2	–	–
3	किन्नौर	40	6	34	34
4	लाहौल–स्पिति	29	2	26	26
5	मण्डी	12	–	12	12
6	शिमला	9	8	2	2
7	सिरमौर	1	–	1	1
	कुल	**109**	**19**	**90**	**90**

(ii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0)

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0–ए0पी0डी0 आर0पी0) के अंतर्गत योजनाएं दो भागों में कार्यान्वित की जाएंगी।

भाग–अ

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को 15 प्रतिशत तक परियोजना क्षेत्रों में कम करने के लिए पुनर्गठित ऊर्जा विकास सुधार

कार्यक्रम चालू किया है। यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, भाग (अ) और (ब)। भाग (अ) में तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे की जांच करने के लिये विभिन्न परियोजनाएं जैसेः आधारभूत आंकडे स्थापित करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां जैसेः मीटर आंकडे एकत्रण, मीटर अध्ययन, बिल बनाना, संग्रहण, जी.आई.एस., एम.आई.एस. ऊर्जा ऑडिट, नए कनैक्शन, कनैक्शन काटना, ग्राहक देख–रेख सेवाएं, वेब सेल्फ सेवाएं इत्यादि। भाग (ब) में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 14 पात्र कस्बों की विस्तृत परियोजना विवरण के आधार पर अगस्त, 2010 में ₹ 96.40 करोड की राशि मंजूर की है। आर. ए.पी.डी.आर. पी. भाग (अ) के अन्तर्गत परियोजना के लिए कुल लागत ₹ 128.46 करोड़ है। शेष राशि का प्रबन्ध स्वयं निधि द्वारा करना है। भारत सरकार ने पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस कार्यक्रम के लिये नोडल एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है। आर.– ए. पी. डी. आर. पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बे अर्थात् शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल निधिकरण के लिए योग्य पाये गये।

कार्यक्षेत्र :

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया हैः–

1) डाटा सेंटर शिमला में, डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर पाँवटा साहिब में और 14 कस्बों अर्थात शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना और योल के विभिन्न कार्यालयों में अपेक्षित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों को उपलब्ध करवाना।
2) डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्तर पर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रणालियों का विकास एवं कार्यान्वयन :

क) मीटर आंकडे एकत्रण प्रणाली।
ख) ऊर्जा ऑडिट।
ग) आइडेंटिटी एवं एसेस मैनेजमेंट प्रणाली।
घ) बिज़नैस इंटैलिजेंस एवं डाटा वेयर हाउसिंग युक्त मैनेजमेंट सूचना प्रणाली।
ड़) इन्टरप्राइज मैनेजमेंट प्रणाली एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रणाली जो कि हार्डवेयर का भाग है।

सलाहकार/कार्यान्वयन शाखा चयन

मै0 टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट इंडिया लिमिटेड़, नई दिल्ली को सहायता संघ मै0 वयाम टैकनोलोजी इंड़िया लिमिटेड के साथ संयुक्त रुप से आई. टी. सलाहकार के रुप में 31 जुलाई, 2009 को कुल लागत ₹ 39,70,800 में चयनित किया गया। आई. टी. सलाहकार का उद्देश्य उपयुक्ततः विवरण बनाने, बोली दस्तावेज, बोली प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन पर नजर रखने में एच. पी. एस. ई. बी. लिमिटेड़ की सहायता करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को आई. टी. कार्यान्वयन शाखा के रुप में 30 अगस्त, 2010 को कुल लागत ₹ 99.14 करोड़ का अबार्ड किया गया था जिसे बाद में ₹ 99.13 करोड़ पर संशोधित किया है।

नवीनतम स्थिति एवं समापन सारणीः

- डाटा सेंटर, शिमला में चालू किया जा चुका है।

- डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, पाँवटा साहिब में चालू हो गया है।
- हि0 प्र0 रा0 वि0 प0 लिमिटेड ने जुलाई, 2014 में 14 कस्बो को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष लाइव घोषित कर दिया है।
- डाटा सैंटर, का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण प्रगति पर है। जिसके 20 जनवरी, 2015 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके पश्चात् डिजास्टर रिकवरी सैंटर ड्रिल की योजना बनाई है और तत्पश्चात उपमण्डल व अन्य कार्यालयों की आर–एपीडीआरपी (भाग–अ) के अन्तर्गत उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि लगभग 2 महीने का समय लगेगा।
- उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के पश्चात् 14 कस्बों के उपमण्डल व अन्य दफतरों में सॉफटवेयर स्थिरीकरण और सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को 3 माह तक सुनिश्चित किया जाएगा और उसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा नियुक्त निष्पक्ष दल इन सभी क्रियाकलापों का निरीक्षण करेगा। जिसमें 2–3 माह का समय लगेगा।

आर–एपीडीआरपी भाग–अ के 31 अगस्त, 2015 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

कार्यक्रम से अपेक्षित लाभः

आर.–ए. पी. डी. आर. पी. भाग (अ) योजना का ध्येय कार्य सम्पादन है तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरन्तर सही आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, ऊर्जा ऑडिट के क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं स्वचालित पद्धति को स्थापित करना है।

भाग–ब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने आर–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना प्रारम्भ की और जिन कस्बों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (10,000 विशेष वर्ग के राज्यों) से ज्यादा है, उन्हें इस कार्यक्रम के दायरे में रखा गया। विशेष वर्ग के राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार का ऋण (लोन) आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के लिए पूरी परियोजना की कीमत का 90 प्रतिशत होगा और 10 प्रतिशत का प्रबन्ध यूटिलिटी द्वारा अपने फंड/ऋण से करना होगा। आर–ए0पी0डी0आर0पी0 के नियमों के अनुसार ए0टी0 व सी0 के नुकसानों में कमी के आधार पर भारत सरकार द्वारा भाग–ब के लिए ऋण के रूप में दिया गया प्रतिवर्ष वितांश, पांच सालों के लिए अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बों बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, मण्डी, नाहन, पौंटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर, ऊना और योल की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह कस्बे आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अधीन रखे गए हैं। इन कस्बों के लिए योजना में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, और 11के0वी0 तथा 22 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों /ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का पुनःसंचालन, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन,

एच0वी0डी0एस0 (11के0वी0), एरियल बन्चड कन्डकटोरिंग विद्युत चुम्वकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कपैस्ट्र बैंक की स्थापना, चलते–फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के0वी0 या 66 के0वी0 प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान है। शुरू में आर–ए0पी0डी0आर0 पी0 (भाग–ब) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी 14 कस्बों के लिए ₹ 322.18 करोड़ (ऋृण ₹ 289.97 करोड़) मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन /ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए थे। 66/11 के0वी0 उप केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता न होने के कारण और सम्बन्धित 66 के0वी0 लाईनों के मार्गाधिकार की समस्या के चलते बद्दी तथा शिमला कस्बों की योजनाओं को संशोधित किया गया।

शिमला और बद्दी कस्बों की संशोधित आर–ए0पी0डी0आर0 पी0 (भाग–ब) की डी0पी0आर0 के लिए मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने क्रमशः ₹120.34 करोड़ और ₹ 84.10 करोड़ की राशि दिनांक 08.02.2012 को स्वीकृत कर दी। परिणामस्वरूप, योजना के लिए स्वीकृत प्रारम्भिक राशि ₹ 322.18 करोड़ (ऋृण की राशि ₹ 289.97 करोड़) को ₹ 338.97 करोड़ (ऋृण की राशि ₹ 305.07 करोड़) पर संशोधित किया गया। प्रतिरूप राशि (योजना की कुल कीमत का 10 प्रतिशत) ₹ 33.90 करोड़ भी मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने जून 2012 के दौरान स्वीकृत कर दी थी।

सिविल कार्य और अन्य घटक जो कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के कार्यान्वयन के लिए जरूरी है, का प्रस्ताव ₹ 65.53 करोड की फडिंग के लिए जिस में ऋृण सहायता ₹ 58.98 करोड (ऋृण सहायता 90 प्रतिशत मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा और 10 प्रतिशत हि0प्र0रा0वि0प0लि0 शेयर) पी0एफ0सी0 द्वारा दिनाक 23.05.2013 को स्वीकृत कर दिये गये हैं। संपत्ति का विवरण गिरवीं रखने के लिए मै0 पी0एफ0सी0 लि0 को प्रस्तुत किया गया है तथा मै0 पी0एफ0सी0 के साथ समझौतों ज्ञापन का निष्पादन किया जाना है। योजना में शहरों में उपयोगिता कर्मचारियों के लिए प्रावधान भी किया है जहां पर सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाता है। तदनुसार 14 कस्बों के लिए ₹ 9.76 करोड की प्रोत्साहन योजना भी आर0ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अंर्तगत मै0 पी0एफ0सी0 लि0 द्वारा संचालन समिति की 24वीं बैठक में स्वीकृत की गई है।

मै0 पी0एफ0सी0 लि0 द्वारा 14 कस्बों के लिए ₹ 101.68 करोड की अग्रिम राशि जारी की हैं। मै0 पी0एफ0सी0 लि0 ने समकक्ष निधि के खिलाफ 50 प्रतिशत (लगभग ₹ 17.00 करोड़) अग्रिम राशि अगस्त 2014 में जारी कर दी है। दिसम्बर, 2014 इन 14 कस्बों में लगभग ₹143.926 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।

कस्बावार आर–ए0पी0डी0आर0पी0 भाग (ब) की योजनाओं की स्वीकृति स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क0स0	कस्बे का नाम/ परियोजना क्षेत्र	लोन न0 (भारत सरकार फंड)	लोन (रू0 करोड़ में)	लोन न0 (कांउटर पार्ट फंड)	कांउटर पार्ट लोन (रू0 करोड़ में)	परियोजना की कुल लागत (रू0 करोड़ में)	व्यय (रू0 करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	बद्दी	4134001	75.69	04437001	8.41	84.10	24.131	07.12.2015
2	बिलासपुर	4134002	1.87	04437002	0.21	2.08	1.887	07.12.2015
3	चम्बा	4134003	2.64	04437003	0.29	2.93	3.713	07.12.2015
4	धर्मशाला	4134004	9.28	04437004	1.03	10.31	3.898	07.12.2015
5	हमीरपुर	4134005	5.81	04437005	0.65	6.46	5.581	07.12.2015
6	कुल्लू	4134006	6.66	04437006	0.74	7.40	7.498	07.12.2015
7	मण्डी	4134007	17.32	04437007	1.92	19.24	15.609	07.12.2015
8	नाहन	4134008	5.46	04437008	0.61	6.07	5.162	15.08.2015
9	पॉवटा सहिब	4134009	32.97	04437009	3.66	36.63	9.030	15.08.2015
10	शिमला	4134010	108.30	04437010	12.04	120.34	44.501	15.08.2015
11	सोलन	4134011	20.32	04437011	2.26	22.58	9.086	15.08.2015
12	सुन्दरनगर	4134012	5.90	04437012	0.65	6.55	3.668	07.12.2015
13	ऊना	4134013	6.58	04437013	0.73	7.31	7.114	07.12.2015
14	योल	4134014	6.27	04437014	0.70	6.97	3.048	07.12.2015
	कुल		**305.07**		**33.90**	**338.97**	**143.926**	

आई.टी.पहल/सुधारः

13.6

(i) **जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित परि सम्पति मानचित्रण, उपभोक्ता इंडैक्सिग एवं एच. पी. एस.ई.बी.एल. की सम्पति के मूल्यांकन सहित एच.पी.एस.ई.बी. एल. के स्थाई परिसंपति लेखा को तैयार करना, जी.आई.एस. पैकैज कहा जाता है।**

- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड़ में पूरे बोर्ड का जी. आई. एस. /जी.पी. एस. आधारित उपभोक्ता अनुक्रमण सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी.एस.ई.बी.एल. के सम्पति का मूल्यांकन, करने का निर्णय लिया था, जिसको बिलिंग के कंप्युट्रीकरण,

ऊर्जा लेखांकन, बिजली नेटवर्क प्रबंधन, सी. आर. एम. और सूचना प्रणाली प्रबंधन के आधार के रुप में प्रयुक्त किया जाएगा और बोर्ड के नवीनतम बैंलेंस शीट के साथ उचित मिलान के बाद उत्पादन, संचालन और वितरण विंगों के लिए इनके वर्तमान मूल्य के आधार पर स्थाई परिसंपति लेखा तैयार किया जाएगा।

- शिमला ऑपरेशन सर्कल की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित उपभोक्ता इन्डैक्सिंग सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी. एस. ई. बी. एल. की अचल सम्पति के मूल्यांकन का काम पूर्ण कर लिया गया है। बाकी शेष 11 ऑपरेशन सर्कल का कार्य अंतिम चरण पर है, और स्थाई सम्पत्ति पंजिका को मूल्यांकन के साथ जल्द ही अन्तिम रुप दे दिया जाएगा।

(ii) कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज)

नवीनतम स्थितिः–

कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत विद्युत मन्त्रालय (एमओपी) द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत परिचालन उपमण्ड़लों की गतिविधियॉ जैसे कि पूर्व बिलिंग क्रियाएं, बिलिंग क्रियाएं, डाक बिलिंग क्रियाएं, कानूनी एवं सर्तकता गतिविधियॉ उपमण्ड़ल स्तर पर स्टोर प्रबन्धन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन, विद्युत नैटवर्क प्रबन्धन और ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को कम्पयूटरीकृत करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को कुल लागत ₹ 3,057.88 लाख का अवार्ड किया गया है। परियोजना को 12 वृतों और 27 मण्ड़लों के 125 उपमण्ड़लों जिनमें 12 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, में लागू किया गया है। शेष 7 उपमण्डलों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य शुरु नहीं हो सका है क्योंकि बी.एस.एन.एल./दूसरी एजैंन्सियों द्वारा इन स्थानों पर आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गई।

(iii) उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी.) का हि. प्र. रा. वि. प. लि. में कार्यान्वयनः–

ई.आर.पी. परियोजना के तहत हि.प्र.रा. वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यों को पूरी तरह से स्वचलित किया जाएगाः–

क) वित्तीय प्रबन्धन और लेखा।
ख) मानव संसाधन प्रबन्धन पेरोल सहित
ग) परियोजना प्रबन्धन
घ) सामग्री प्रबन्धन
ड़) रखरखाव प्रबन्धन
च) उपलब्धता के आधार पर टैरिफ और एम.आई.एस. उद्देश्य के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग ₹24.00 करोड़ है। इस कार्य को मैसर्ज टी.सी.एस. को अवार्ड किया गया है। प्रथम चरण जिसमें मुख्यालय और परिचालन वृत शिमला, को रखा गया है का कार्य

ठियोग और सुन्नी विद्युत मण्ड़लों को छोड़कर मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है। दूसरे चरण में पूरे बोर्ड व शेष बचे मॉडयूलज़ को चरणबद्व तरीके से दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

हि0प्र0रा0वि0प0लि0 में नई आई0टी0 पहलः

क. हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाः–

स्मार्ट ग्रिड परियोजना उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढ़ांचा प्रणाली, पीक लोड प्रबन्धन प्रणाली और आउटेज प्रबन्धन प्रणाली स्थापित करेगा। स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन से पीक फाल्ट में कमी, आउटेज में कमी, उपभोक्ता वचनबद्वता और सन्तुष्टि में सुधार से प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार होगा और उन्नत मीटरिंग ईम्पिलिटेशन, मांग पक्ष प्रबन्धन और जीआईएस आधारित आउटेज प्रबन्धन पद्वति के कार्यनिवत से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 के समग्र वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा।

पायलट परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 21.70 करोड़ है। ऊर्जा मन्त्रालय भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के हिस्सेदारी का ₹ 8.92 करोड़ स्वीकृत किया है। मै0 आरईसी शेष धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है। टैकनिकल बिड (प्रथम चरण) को खोल दिया गया है। इस कार्य का अन्तिम आबटंन जनवरी, 2015 तक होने की सम्भावना है।

ख स्वचलित मीटर रीडिंग (ए0एम0 आर0) का विस्तारः–

आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत मौजूदा विकसित बुनियादि ढ़ाचें का उपयोग करके राज्यभर में चरणबद्व तरीके से सभी 50 किलोवाट से ऊपर के 2,200 उपभोक्ताओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

ग. कम्पयूट्रीकृत बिलिंग का विस्तारः

वर्ष 2015 के दौरान मानक मंच का उपयोग कर 61 उपमण्डलों में कम्पयूट्रीकृत बिलिंग शुरू करने का प्रस्ताव है। इस सन्दर्भ में मै0 एस0 ए0 पी0 इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा सीधे एस. ए. पी. लाईसैंसिज को कम्पयूट्राइजड बिलिंग हेतु रियाइती दरो पर कार्य हेतु एल. ओ. ए. प्रदान किया गया है तथा हि0 प्र0 रा0 वि0 प0 लि0 के 61 उपमण्डलो में कस्टमाइजेशन, एकीकरण तथा कार्यान्वयन हेतु 2–3 मास के भीतर नवीन निविदाएं आमन्त्रित की जाएगी।

घ. आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 अगला चरणः–

ऊर्जा मंत्रालय आर0–ए0पी0 डी0आर0पी0 कार्यक्रम का एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत अगले चरण हेतु विस्तार पर विचार कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र कस्बों हेतु आवश्यक मूल्यांकन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि के अनुसार कार्यन्वित किये जांएगे ।

13.7 विभाग की भविष्य योजनाएं

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं

एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।

- 50 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ताओं की स्वचालित मीटर रीडिंग।
- लगभग 3 लाख सिंगल फेस और 20,000 थ्री फेस पुराने इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को इलैक्ट्रोनिक मीटरों से बदलने का प्रस्ताव।
- संचार व वितरण हानियों को कम करना।
- पहले व दूसरे चरण में 1,40,477 गले सड़े विद्युत खम्बों को बदलने के पहले के प्रावधान को संशोधित किया गया जिसमें 1,45,295 खम्बों को बदलने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटिड

हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

क्र0स0	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
क) निष्पादित परियोजनाएं		
1.	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I)	65
3	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– II, III)	130
4.	सैंज जल विद्युत परियोजना	100
5.	शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
	उप–योग(क)	**856**
ख) अन्वेक्षित परियोजनाएं		
	(राज्य क्षेत्र)	
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– IV)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की परियोजना)	300
4.	सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	460
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	191
7.	त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना	78
8.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की परियोजना)	40
9.	देवथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	33
10.	चान्जू जल विद्युत परियोजना	48
	उप–योग(ख)	**1,306**
ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं		
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	117
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	58
5.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	उप–योग(ग)	**882**
	कुल योग (क+ख+ग)	**3,044**

हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

13.8 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड जो कि हि0 प्र0 सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, का गठन 27 अगस्त, 2008 को प्रदेश के विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

हि0 प्र0 सरकार के द्वारा कार्पोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से उपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है। संचार प्रणाली की योजना बनाते समय विश्वसनियता, सुरक्षा, पर्यावरण हितैशी तथा आर्थिकी के साथ–साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ, सुरक्षित व स्वस्थ्यवर्धक पर्यावरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि0 प्र0 ऊर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण परियोजना ट्रांसमिशन जिला किन्नौर (सतलुज बेसिन) और (शिमला पव्वर वेसिन) के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनवरी, 2012 से प्रभावी हो गया है जिसके अनतर्गत निम्न 4 परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी कर दिया गया हैः

- किनौर जिले में 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, वांगतू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹356.00 करोड़ है, और जून, 2017 में चालू हो जाएगी।
- किनौर जिले में 220/66/22 के0वी0 के विद्युत उप–केन्द्र, भोक्टू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹62.60 करोड़ है, और अक्तुबर, 2015 में चालू हो जाएगी।
- 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, प्रगतिनगर, (कोटखाई) जिला शिमला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 166.20 करोड़ है, और दिसम्बर, 2016 में चालू हो जाएगी।
- हाटकोटी से प्रगतिनगर जिला शिमला में 220 के0वी0 क्षमता की संचार लाईन का निर्माण किया जा

रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 84.40 करोड़ है, और सितम्बर, 2016 में चालू हो जाएगी।

निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी कर दिया गया है और जिसके लिए निधि अपने स्तर पर वहन की जा रही है।

- जिला कुल्लू में 33/220 के0वी0 तथा 2×315 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, फोजल का निर्माण कार्य मार्च, 2015 में पूरा कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33/220 के0वी0 तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, करियां का निर्माण कार्य जून, 2013 में पूर्ण हो गया है और संचार लाईन करियां – चमेरा का कार्य मार्च, 2015 में पूरा कर दिया जाएगा।

एशियन विकास बैंक ऋण के ट्रांच–।। में 110 मिलियन डालर के ऋण का समझौता सितम्बर, 2014 में हस्ताक्षरित हो चुका है। जिसके अन्तर्गत दो परियोजनाओं का कार्य जारी कर दिया गया है।

- 66 के.वी. विद्युत उप–केन्द्र उर्नी का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹28.00 करोड़ है, और अक्तूबर, 2015 में चालू हो जाएगा।
- 400/220/33 के.वी. विद्युत उप–केन्द्र लाहल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 233.00 करोड़ है, और जनवरी, 2018 में चालू हो जाएगा।

राज्य/केंद्रीय/संयुक्त/निजी क्षेत्र एवं हिमऊर्जा में विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमताः

i) **राज्य क्षेत्रः**

क्रं. सं.	**परियोजना का नाम**	**नदी तट**	**क्षमता (मैगावाट)**
1	आन्ध्रा	यमुना	16.95
2	गिरी	यमुना	60.00
3	गुम्मा	यमुना	3.00
4	रूक्ती	सतलुज	1.50
5	चावा	सतलुज	1.75
6	रौंगटोंग	सतलुज	2.00
7	नोगली	सतलुज	2.50
8	भावा	सतलुज	120.00
9	घानवी	सतलुज	22.50
10	विनवा	ब्यास	6.00
11	गज	ब्यास	10.50
12	वनेर	ब्यास	12.00
13	बस्सी(उहल–11)	ब्यास	66.00
14	लारजी	ब्यास	126.00
15	खौली	ब्यास	12.00
16	साल–।।	रावी	2.00
17	होली	रावी	3.00
18	भूरी सिंह पावर हाउस	रावी	0.45
19	किलाड	चिनाव	0.30
20	सिसू	चिनाव	0.10
21	थिरोट	चिनाव	4.50
22	भावा ओगमैंटेशन	सतलुज	4.50
23	घानवी–II	सतलुज	10.00
24	हिमऊर्जा (राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत)	–	2.37
	उप–योग–(i)		**489.92**

ii) केंद्रीय / संयुक्त क्षेत्र / हिमाचल प्रदेश शेयर

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	यमुना परियोजनाएं (हि0.प्र0 की भागेदारी)	यमुना	131.57
2	रंजीत सागर डैम (हि0 प्र0 की भागेदारी)	ब्यास	27.60
3	भाखड़ा	सतलुज	1,478.73
4	नाथपा झाखड़ी	सतलुज	1,500.00
5	वैरा स्यूल	रावी	198.00
6	चमेरा–।	रावी	540.00
7	चमेरा–।।	रावी	300.00
8	उहल–। (शानन)	व्यास	110.00
9	पौंग डैम	व्यास	396.00
10	वी.एस.एल.	व्यास	990.00
11	चमेरा–।।।	रावी	231.00
12	पार्बती–।।	व्यास	520.00
13	रामपुर	सतलुज	412.00
	उप–योग–(ii)		**6,834.90**

iii) निजी क्षेत्र : क. 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएं:

क0 सं0	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाटं)
1.	बास्पा–।।	सतलुज	300.00
2.	मलाना–।	ब्यास	86.00
3.	पतिकरी	ब्यास	16.00
4.	टॉस	ब्यास	10.00
5.	सरबरी–।।	ब्यास	5.40
6.	एलायन दुहांगन	ब्यास	192.00
7.	कड़छम वांगतू	सतलुज	1000.00
8.	अप्पर जोएनर	रावी	12.00
9.	सुमेज	सतलुज	14.00
10.	ब्यासकुण्ड	ब्यास	9.00
11.	मलाना	ब्यास	100.00
12.	बुधील	रावी	70.00
13	नियोगल	ब्यास	15.00
14	जोगिनी	सतलुज	16.00
15	नन्ती	सतलुज	14.00
16	कुर्मी	सतलुज	2.67
	उप–योग–(क)		**1,862.07**

ख. 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1.	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	245.75
	उप–योग–(ख)	245.75
	योग–।।। (क+ख) (1,862.07 +245.75)	**2,107.82**

कुल प्रचलनाधीन (दिसम्बर, 2014 तक):

(i)+(ii)+(iii) = 489.92+6,834.90+2,107.82 = 9,432.64 मैगावाट

अ निजी क्षेत्र में निष्पादित परियोजनाएं:

1. वसपा–।। जल विद्युत परियोजना (300 मैगावाट)

वसपा–।। जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मै0 जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लि0 के साथ हिमाचल सरकार ने एम0 ओ0 यू0 एवम् कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया। एक दो एवं तीन इकाई में क्रमशः 24.05.2003, 29.05.2003 तथा 8.06.2003 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

2 मलाना –। जल विद्युत परियोजना (86 मैगावाट)

इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदेश सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिंग तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.08.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.03.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार, मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.03.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.09.1998 को परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। वित्तीय राशि के रूप में केन्द्रीय विद्युत निंयामक ने ₹ 332.71 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.07.2001 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

3. पतिकारी जल विद्युत परियोजना (16 मैगावाट)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट इन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का कार्यान्वयन पतिकारी पॉवर प्राईवेट लि0 के द्वारा किया गया है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 27.09.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹126.00 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ 14.01.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी, 2008 को चालू हो गई है।

4. एलियन दुंहागन जल विद्युत परियोजना (192 मैगावाट)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राशि ₹ 922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28.08.1993 को एम. ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.02.2001 को हस्ताक्षरित किया। सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंव विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.डी. हाइड्रो पॉवर लि0 के साथ समझौता किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

5. सरवरी–।। जल विद्युत परियोजना (5.4 मैगावाट)

सरकार ने मै0 हाइड्रोवाट लिमिटिड के साथ 15.03.2001 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 28.02.2009 को हस्ताक्षरित किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

6. टौस जल विद्युत परियोजना (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने मै0 साई इंजीनियरिंग फांउडैशन, न्यू शिमला के साथ एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 के दौरान चालू हो गई है।

7. करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना (1000 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 करछम हाईड्रो कारापोरेशन लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना का वार्षिक उत्पादन 4,560 एम.यू. है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 28.08.1993 एंव 18.11.1999 को हि0प्र0 सरकार एवं मै.जै. प्रकाश इंडस्ट्रीय प्रा0 लिमिटिड के बीच हस्ताक्षरित हुआ। त्रिपक्षीय समझौता हि0प्र0 सरकार मै.जै प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमिटिड और मै.जे.पी.कड़छम हाइड्रो कार्पोरेशन के बीच 30.12.2002 एवं एस. आई.ए. 20.12.2007 को हुआ। परियोजना पर 18.11.2005 को कार्य शुरू किया गया एवं अगस्त, 2011 को यह परियोजना चालू हो गई है।

8. अप्पर ज्वाइनर जल विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 तेजस सारनिका हाईड्रो एनर्जीज़ प्रा0 लि0 को दी गई है।एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 12.01.2005 एंव 11.07.2008 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना जुलाई, 2011 को चालू हो गई है।

9 सुमेज जल विद्युत परियोजना (14 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 रंगाराजु वेयर हाउसिंग प्रा0 लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 11.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मार्च, 2012 को चालू हो गई है।

10 ब्यासकुण्ड जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कपिल मोहन एवं एसोसिएट्स हाईड्रो पॉवर प्रा0 लि0 चण्डीगढ़ के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 23.03.2001 व 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना जून, 2012 को चालू हो गई है।

11 मलाना –।। जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

मलाना –।। जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में व्यास नदी पर बनाई गई है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना से 428 एम.यू. वार्षिक ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट प्राइवेट लि0 के साथ 27.05.2002 को, तथा 14.1.2003 को एम.ओ.यू. तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना जुलाई, 2012 को चालू हो गई है।

12 बुधील जल विद्युत परियोजना (70 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 लैंको ग्रीन पावर प्रा0लि0 को प्रदान की गई है। एम.ओ.यू. मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.09.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता पर 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना अगस्त, 2012 को चालू हो गई है।

13. नियोगल जल विद्युत परियोजना (15 मैगावाट)

नियोगल जल विद्युत परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोरशन लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली के साथ एम. ओ.यू. 28.08.1993 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.07.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्वारा समय पर परियोजना का कार्य शुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकतांए पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.05.2004 को लिया था। उर्जा खरीदने के लिए हि0प्र0 रा0वि0प0लि0 के साथ कम्पनी ने 27.10.2006 को समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना मई 2013, में चालू हो गई हैं।

14 कूर्मी जल विद्युत परियोजना (8 मैगावाट)

कूर्मी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 19.06.2007 व 10.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना के 3 यूनिटों में से यूनिट एक (2.67 मैगावाट) मार्च,2014 में चालू हो गई है।

15 जोगिनी जल विद्युत परियोजना (16 मैगावाट)

जोगिनी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 गंधारी हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 19.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मार्च, 2014 में चालू हो गई है।

16 नांती जल विद्युत परियोजना (14 मैगावाट)

नांती जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 सूर्य कांथा हाइड्रो पॉलट्रीज़ प्राइवेट लि0 के बीच एम. ओ.यू. दिनांक 12.11.2005 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 सूर्य कांथा हाइड्रो एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मई, 2014 में चालू हो गई है।

ब निष्पादनाधीन परियोजनाएं:

(i) निजी क्षेत्र में:

1. फोजल जल विद्युत परियोजना (9मैगावाट)

यह परियोजना मै0 फोजल पॉवर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 49.17 करोड़ है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 21.,6.2000 एवं 13.04.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना वर्ष 2015–16 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

2. तागंनू रोमांई स्टेज–। जल विद्युत परियोजना (44 मैगावाट):

तांगनू रोमांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोमांई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 239.73 करोड़ है। इस परियोजना से विद्युत का वार्षिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. कम्पनी और सरकार के बीच 5.07.2002 को हस्ताक्षरित

हुआ। सरकार और मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन लि0 के साथ क्रियाान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.07.2006 को कर लिया है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2015–16 में चालू हो जाएगी।

3. तागंनू रोमांई स्टेज –।। जल विद्युत परियोजना (6 मैगावाट)

तांगनू रोमाई स्टैज–।। जल विद्युत परियोजना शिमला जिला हि0प्र0 में तागनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी के बीच एम.ओ.यू. क्रियाान्वयन समझौता क्रमशः 5.07.2002 एवं 28.07.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के मुख्य घटकों में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2014–15 में चालू हो जाएगी।

4. लम्बाडुग जल विद्युत परियोजना (25 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 को प्रदान की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 149.81 करोड़ है। एम.ओ.यू. 14.06.2002 एवं कार्यान्वयन समझौता 28.01.2006 को मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ हस्ताक्षरित किया गया। कम्पनी भू–अर्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी की प्रकिया में है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 2015–16 में पूर्ण होने की संभावना है।

5. बड़ागांव जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34, सैक्टर नोयडा (यू0पी0) को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹168.09 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 6.06.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

6. बनेर–।। जल विद्युत परियोजना (6 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹ 30.36 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 29.05.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.08.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2015–16 में चालू हो जाएगी।

7. रौड़ा जल विद्युत परियोजना (8 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 डी.एल.आई. पावर इंडिया प्रा0 लि0 पूना को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 42.03 करोड़ है। एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 4.02.1996 एवं 24.03.2008 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2015–16 में चालू हो जाएगी।

8. सोरंग जल विद्युत परियोजना (150 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 हिमाचल सोरंग पावर प्राईवेट लि0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹ 586.00 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौतों पर क्रमशः 23.09.2004 एवं 28.01.2006 को हस्ताक्षर किए गए। उत्पादकों द्वारा 50 मैगावाट क्षमता बढ़ाने के साथ सोरंग जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 150

मैगावाट तक प्रस्तावित है। परियोजना 100 मैगावाट तक वर्ष 2014–15 तक चालू हो जाएगी।

9. तिदोंग–I जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0 लि0 सिकन्दरावाद को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 500.11 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौतों पर क्रमशः 23.09. 2004 एवं 28.07.2006 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2016–17 तक चालू हो जाएगी।

10. चांजु–I जल विद्युत परियोजना (36 मैगावट)

यह परियोजना मै0 इण्डो आर्या सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट्स को दी गई है। 25 मैगावाट संस्थापित क्षमता के लिए एम0 ओ0यू0 20–12–2007 को हस्ताक्षरित किया गया। 36 मैगावाट के लिए हि0प्र0रा0वि0 बो0लि0 ने टेक्नो इकोनोमिक कलीयरैंस के लिए डी0पी0आर0 प्रस्तुत की है जिसके कार्यान्वयन समझौता पर 12.06.2009 को हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना वर्ष 2015–16 तक चालू हो जाएगी।

11 कूट जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

कूट जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कूट एनर्जी प्रा0 लि0, नोयडा, यू0 पी0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 28.04.2007 व 25.05.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 196.50 करोड़ है। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

12 लोअर ऊहल जल विद्युत परियोजना (13 मैगावाट)

लोअर ऊहल जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 ट्राईडैंट पॉवर सिस्टम लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 05.02.2005 व 29.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

13 राला जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

राला जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 तरांडा हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 18.10.2006 व 07.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के सभी मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

14 अप्पर नांती जल विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

अप्पर नांती जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 नांती हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

15 पौडिताल लासा जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

पौडिताल लासा जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 श्री जयलक्ष्मी पॉवर कॉरपोरेशन लि0 के

बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 06.06.2002 व 26.10.2006 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

16 रौरा–2 जल विद्युत परियोजना (20 मैगावाट)

रौरा–2 जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 27.10.2006 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 रौरा नॉन–कन्वैनशनल एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

17 ब्रुआ जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

ब्रुआ जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कॉन्टीनैन्टल कम्पोनैन्टस प्राइवेट़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 09.12.2000 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 ब्रुआ हाइड्रोवॉट प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 23.09.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

18 ज्यूरी जल विद्युत परियोजना (9.6 मैगावाट)

ज्यूरी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 टैकनोलॉजी हाऊस प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 23.02.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

19 बलारगा जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

बलारगा जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 संध्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बलारगा प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 03.11.2006 व 07.11.2012 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

20 राजपुर जल विद्युत परियोजना (9.9 मैगावाट)

राजपुर जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 राजपुर हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 31.07.2001 व 16.05.2013 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

21 बजोली होली जल विद्युत परियोजना (180 मैगावाट)

बजोली होली जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 जी0एम0आर0 बजोली होली हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 15.02.2008 व 29.03.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2017–18 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

22 वांगर होमते जल विद्युत परियोजना (24.6 मैगावाट)

वांगर होमते जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 पांचोर हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच कार्यान्वयन समझौते पर 20.04.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2017–18 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

23 सिल्टी मसरंग जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

वांगर होमते जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 रमेश हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच कार्यान्वयन समझौते पर 12.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2017–18 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

निर्माणाधीन परियोजनाएं:

i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड के अधीन –

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मै0वा0)	सम्भावित उत्पादन (मि0यू0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
उहल चरण–III	100.00	391.19	जून, 2015
घानवी चरण–II	10.00	56.30	परियोजना को दिनांक 3.4.2014 को चालू कर दिया गया है।
कुल	**110.00**	**447.49**	

1. उहल जल विद्युत परियोजना चरण – III (100मै0वा0)

नेरी और राणा खड्ड के अन्तर्ग्रहण के निर्माण कार्य दिसम्बर, 2011 तथा सर्ज साफ्ट के निर्माण कार्य जनवरी, 2012 में पूरे कर लिये हैं। अब परियोजना के दूसरे अन्य निर्माण कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लेने का अनुमान है। परियोजना के कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले है जो कि अपर्याप्त संचार व्यवस्था, कमजोर भू–संरचना, प्रवेश द्वार से मुख्य सुरंग का निर्माण रेतीले पत्थरों, मिट्टी युक्त पत्थरों व कंकरीले पत्थरों के साथ भारी मात्रा में पानी के प्रवाह से मिश्रित हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति व ठीक ढ़ंग से कार्य न करने के कारण मुख्य सुंरग की सविंदा को दो बार निरस्त करना पड़ा, तदोपरान्त शेष कार्य ठेकेदार को दिनांक 15.10.2010 को अवार्ड किया गया। मुख्य सुंरग की खुदाई का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है तथा इसका सम्पूर्ण कार्य मार्च, 2015 तक पूरा करने का अनुमान है। परियोजना की कुल लागत मार्च, 2008 के मूल्यों पर आधारित ₹ 940.84 करोड़ है। चुलाह से बस्सी 132 के.वी. सिंगल सर्कट (15.288कि.मी.) और चुलाह से हमीरपुर डवल सर्कट (34.307 कि.मी.) ट्रांसमिशन लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. घानवी चरण–2 (10 मै0वा0)

घानवी द्वितीय चरण परियोजना घानवी नाला पर जो की सतलुज नदी की सहायक उपनदी है पर जल प्रवाह आधारित है। इस परियोजना में घानवी नाला के पानी को बदलने के लिए ड्राप टाइप ट्रैचं वीयर प्रस्तावित है। बदला गया पानी 1.8 मीटर ब्यास की डी आकार 1,440 मीटर लम्बी सुरंग तथा पैन स्टाक पावर हाउस के

नजदीक विभाजित हो कर भूमिगत पावर हाउस में दो टरवाईनों को 10 मै0वा0 विद्युत उत्पादन करने के लिए लाया जाएगा। जिसमें 165 मीटर का कुल हैड और 7 क्यूमैक्स का डीसचार्ज होगा। वार्षिक विद्युत उत्पादन 75 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में 56.30 मि0 यू0 आंका गया है। परियोजना की कुल लागत दिसम्बर, 2009 के मुल्यों पर आधारित ₹ 99.80 करोड़ रूपये है। परियोजना पर लगभग ₹ 173.00 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन 3 अप्रैल,2014 से शुरू किया जा चुका है तथा यह परियोजना दिनांक 14.11.2014 को माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्र को सर्मिपित कर दी गई है।

3. नई परियोजनाएंः

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को देवी कोठी (16 मै0वा0), साई कोठी–2 (16.5 मै0वा0) और हेल (18 मै0वा0) केस–2 बिडिंग के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु आंबटित की गई हैं तथा हाल ही में साईं कोठी–1 (15 मै0वा0) व रायसन (18 मै0 वा0) परियोजनाएं भी कार्यान्वयन हेतु आबंटित की गई हैं जिनकी निर्माण पूर्व गतिविधियों के कार्य प्रगति पर हैं।

ii) हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

हि0प्र0पा0का0लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/ निष्पादनाधीन परियोजनाएंः

1. साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)

साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) रोहडू के समीप शिमला जिला में पब्बर नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना के एच0आर0टी0 पैकेज को छोड़ कर वित्त पोषण एशियन डेवलपमैंट बैंक द्वारा किया गया है। एच0आर0टी0 पैकेज का वित पोषण पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान के द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में प्रति वर्ष 385.78 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इस परियोजना के एच0आर0टी0 में भूगर्भीय परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं जिसका तकनीकी समाधान मिल गया है। एच0आर0टी0 पैकेज के पुनः टैंडर की प्रकिया आरम्भ की जा चुकी है और यह कार्य मै0 एच0सी0सी0 लिमिटड को अधिनिर्णय कर दिया गया है। इस परियोजना को दिसम्बर, 2016 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (243 मैगावाट)

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों जोकि सतलुज नदी की उपनदियां हैं पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा है:–

- **चरण–I (65 मैगावाट):** प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर पवारी गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 मिलियन यूनिटस ₹ 2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा।
- **चरण–।। एवम् ।।। (130 मैगावाट):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 मिलियन यूनिटस ₹ 1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा।
- **चरण– IV (48 मैगावाट):** यह एक आत्मनिर्भर योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 उंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना की प्रथम इकाई को जुलाई, 2015 और दूसरी इकाई को सितम्बर, 2015 में चालू कर दिया जाएगा।

3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 उंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 322.23 मिलियन यूनिटस ₹ 3.74 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि अगस्त, 2015 की गई है।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मैगावाट)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 129 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1,578.95 मिलियन यूनिटस ₹ 3.98 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही हैं। इस परियोजना का सिविल और जल–यांत्रिक पैकेज अगस्त, 2017 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है और परियोजना को 2018 में चालू कर दिया जाएगा। ई.पी.सी प्रणाली पर सिविल और एच0एम0 निर्माण हेतु कार्य पटेल इजींनियरिंग को प्रदान किया गया है ई0 एंड एम0 कार्यों के लिए एल0ओ0ए0 एंड्रिज हाईड्रो प्राइवेट लि0 को दिनांक

12.09.2014 में जारी कर दिया गया है। सभी भार्गों पर परियोजना का काम पूरे जोरों पर है।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40मैगावाट):

रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर ऊंची चटटान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 49,800 हैक्टर मीटर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युविक मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 मिलियन यूनिटस ₹ 2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। मार्च, 2009 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत सी0डब्लू0 सी/सी0ई0ए0 द्वारा ₹ 3,498.86 करोड़ (वृद्वि रहित एवं आई.डी.सी.) निर्धारित की है, जिसका भार भारत सरकार/दिल्ली सरकार तथा अन्य लाभान्वित राज्य उठाएगें। परियोजना के वन कलींयरेंस अनुमोदन के उन्नत चरण में हैं।

6. सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना (48 मैगावाट)

इस परियोजना की परिकल्पना बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना का टेल पानी के उपयोग द्वारा की गई है ताकि 48 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सके। इस परियोजना को बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना के साथ मिलकर संचालित करने की योजना बनाई गई है। टैक्नों आर्थिक मंजूरी (टी0ई0सी0) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल सरकार ने दिनांक 20.10.2012 को प्रदान कर दी गई है। ए0डी0बी0 से इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए अनुरोध किया गया है। वार्षिक विद्युत उत्पादन 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में 209.60 मि0 यू0 आंका गया है।

7. चान्जू–।।। जल विद्युत परियोजना (48 मैगावाट)

चान्जू जल विद्युत परियोजना का विकास चम्बा जिला में रावी बेसिन में चान्जू नाले पर किया जा रहा है जो कि बैरा नदी की एक सहायक नदी है। फ्रैंच विकास एजैंसी (ए0एफ0डी0) को दिनांक 20.08.2014 को ड्राफ्ट डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना द्वारा 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में प्रति वर्ष 161.15 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है।

8. दियोंथल चान्जू जल विद्युत परियोजना (33 मैगावाट)

दियोंथल चान्जू जल विद्युत परियोजना का विकास चम्बा जिला में रावी बेसिन में दियोंथल नाले पर किया जा रहा है जो कि बैरा नदी की एक सहायक नदी है। फ्रैंच विकास एजैंसी (ए0एफ0डी0) को दिनांक 20.08.2014 को ड्राफ्ट डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना द्वारा 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में प्रति वर्ष 113 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है।

9. बैरा डोल सौर परियोजना (5 मैगावाट)

जिला बिलासपुर के नयना देवी मन्दिर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए

(बेरा–डल–5 मेगावाट) क्षेत्र का चयन किया गया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 8.2 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस परियोजना का औसत उत्पादन मूल्य ₹ 8.03 प्रति कि0वा0 अनुमानित किया गया है। हि0प्र0रा0वि0प0लि0 हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियमन के अनुसार अक्षय उर्जा बिजली खरीद बाध्यता के तहत इस परियोजना से बिजली खरीदने के लिए सहमत हो गया है। इस परियोजना की डी0पी0आर0 हि0प्र0पॉवर कारपोरेशन द्वारा बना ली गई है। इस परियोजना के वित पोषण के प्रस्ताव को फ्रेंच विकास एजैंसी (ए0एफ0डी0) सक्रियता से विचार कर रही है।

10. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :–

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन जल विद्युत विकास के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्त्रोत्र, राज्य के विकास और भारतीय राष्ट्र की बदली ऊर्जा मांगो को पूरा करने के लिए अपनी विकास गतिविधियों में विविधता लाने का इरादा रखती है।

हिमऊर्जा

हिमऊर्जा के अधीन परियोजनाएं:
(5 मैगावाट क्षमता तक)

हिमऊर्जा द्वारा हि0प्र0 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के विकासः

हिमऊर्जा ने नवीकरणीय उर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। ऊर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक ऊर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट तक) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2014–15 के दौरान उपलब्धियां दिसम्बर, 2014 तक तथा मार्च, 2015 तक प्रत्याशित तथा वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न है:

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	479	1223.03
कार्यान्वयन समझौते चरण पर	246	792.95
i) स्थापित	67	250.75
ii) निर्माणाधीन	43	158.15
iii) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	136	386.75
पूर्व कार्यान्वयन समझौते चरण पर	233	430.08
i) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	122	245.41
ii) सर्वेक्षण व अन्वेषण चरण में	111	184.67

क सौर उष्णता संबन्धी कार्यक्रम

i) **सौर जल तापीय संयत्रः** दिसम्बर, 2014 तक 2,71,200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र मार्केट मोड माध्यम से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्त्र्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं

मार्च, 2015 तक प्रत्याशित उपलब्धि 2,71,200 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2015–16 के लिए 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

ii) **सौर कुक्करः** इस अवधि के दौरान 226 वाक्स टाईप तथा 236 डिश टाईप सौर कुकर की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तथा मार्च, 2015 तक 500 वाक्स टाईप तथा 250 डिश टाईप सौर कुकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित है। वर्ष 2015–16 के लिए 500 वाक्स टाईप तथा 200 डिश टाईप सौर कुकर का लक्ष्य भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

ख सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

i) **सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियांः** वित वर्ष 2014–15 के दौरान 7,410 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर, 2014 तक स्थापित की जा चुकी हैं, मार्च, 2015 तक की प्रस्तावित उपलब्धि 10,000 होगी। वर्ष 2015–16 के लिए 10,000 सौर प्रकाशवॉल्टिय गली रोशनियों की स्थापना का लक्ष्य भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय (ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

ii) **सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रः** दिसम्बर, 2014 तक 90 किलोवाट के सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत की गई है। मार्च 2015 तक 900 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय पावर प्लांट की स्थापना प्रस्थापित है। वर्ष 2015–16 के लिए 1,000 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम/जन–जातीय उपयोजना (90:10) के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

iii) **सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेनः** वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2014 तक 5536 सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेन किन्नौर जिला के बाढ़ प्रभावित परिवारों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत वितरित किए जा चुके हैं तथा मार्च, 2015 तक प्रत्याशित उपलब्धि 5,597 होगी।

ग निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं

इस अवधि के दौरान 18 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 53.53 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 5 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 18.70 मैगावाट है, स्थापित की गई है। 17 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 23.65 मैगावाट हैं वर्ष के दौरान आंवटित की गई है। वर्ष 2015–16 के लिए 17 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 54.50 मैगावाट है की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

घ हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाऐं

i) लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएंः

हिमऊर्जा द्वारा चलाई जा रही लघु विद्युत परियोजनाएंः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच (900 किलोवाट) तथा विलिंग (400 किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2014 तक इन परियोजनाओं से 30,95,589 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाऐं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमऊर्जा द्धारा निष्पादित की गई है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने हिम उर्जा को 3 परियोजनाओं जिनकी क्षमता 14.50 मेगावाट है आवंटित की हैं। इन परियोजनाओं को राज्य सरकार की अनुमति अनुसार बी0ओ0टी0 आधार पर मैसर्ज साई इन्जिनियरिंग फाउंडेशन, शिमला को आवंटित करने हेतु प्रक्रिया जारी है।

ii) लघु जल विद्युत जनरेटर सेटसः

हिमऊर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल में लघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत पर होने वाला खर्च इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इन जनरेटर सैटस की मुरम्मत पर खर्च व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह अनुपयोगी हो चुके हैं।

ङ बजट प्रावधानः

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार ₹ 247.00 लाख आई.आर.ई. पी. तथा एन.आर.एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14. परिवहन एवं संचार

सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

14.1 सडकें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवयश्क घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2014 तक 35,356 कि0मी0 वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप एवम् ट्रैक भी सम्मिलित हैं, का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2014–15 के लिए इस हेतु ₹763.40 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2014–15 का लक्ष्य एवं दिसम्बर, 2014 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 14.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 14.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2014–15	उपलब्धियां दिसम्बर 2014 तक	2014–15 सम्भावित
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	435	245	400
जल निकास	कि0मी0	1142	532	1000
पक्की तथा विरालित सड़कें	कि0मी0	1089	740	1089
जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	7	7	7
पुल	संख्या	59	27	50
गांव जुड़े	संख्या	117	57	117

14.2 हिमाचल प्रदेश में 31–12–2014 तक 10,076 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 14.2 में दिया जा रहा है:–

सारणी 14.2

सडकों से जुडे गांव	31 मार्च को संख्या			दिसम्बर, 2014 तक
	2012	2013	2014	
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	208	208	208	209
1000–1499	268	270	280	281
500–999	1231	1238	1245	1252
250–499	3316	3374	3422	3443
250 से कम	4765	4827	4864	4891
कुल	**9788**	**9917**	**10019**	**10076**

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

14.3 हिमाचल प्रदेश में 1,783.69 कि0मी0 लम्बे राज्य उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोडज तथा बाई पास सम्मिलित हैं, के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर, 2014 तक ₹123.42 करोड़ खर्च किये गये।

रेलवे

14.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

पथ परिवहन

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसीलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना आर.टी.सी. अधिनियम–1950 के अन्तर्गत की गई जिससे प्रदेश के लोगों को दक्ष, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। निगम के राजस्व में वर्ष 2014–15 में ₹84.00 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 2,292 बसों (दिसम्बर,2014 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। एच.आर.टी.सी. द्वारा प्रतिदिन लगभग 5.00 लाख किलोमीटर दूरी के साथ 2,193 रूटों पर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं।

14.6 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो तथा स्मार्ट कार्ड योजना**: निगम ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यलो एवं स्मार्ट कार्ड नाम की योजना शुरू की गई है। इन कार्डो की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। निगम में समूह छूट योजना भी लागू की है।

ii) **वाल्वो तथा डीलक्स ए.सी. बसें**:– निगम द्वारा यात्रियों को आरामदायक बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वेट–लीज आधार पर 13 वॉल्वों तथा 20 डीलक्स ए.सी. बसें चलाई गई हैं।अतिरिक्त वॉल्वो/ए.सी. बसें चलाने के लिए कार्यवाही जारी है।

iii) **ग्रीन कार्ड योजना**: निगम द्वारा नवम्बर, 2013 से ग्रीन कार्ड स्कीम की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के तहत ग्रीन कार्ड धारक को निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है यदि कार्ड धारक 40 कि0मी0 से अधिक तथा 60 कि0मी0 से कम दूरी तक यात्रा करता है।

iv) **सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यात्रा सुविधा**: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दिनांक 01.04.2013 से निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

v) **शौर्य अवार्ड विजेताओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा**: शौर्य अवार्ड विजेताओं को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

vi) **महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा**: महिलाओं को

रक्षा बन्धन तथा भैया दूज के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुस्लिम महिलाओं को ईद तथा बकरीद के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

vii) **विशेष श्रेणी यात्रियों के लिए सीटों का आरक्षणः–** 50 कि0 मी0 से कम दूरी वाले रूटों पर चलने वाली साधारण बसों में विशेष वर्ग से सम्बन्धित यात्रियों (SCPs) के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

viii) **ऑन लाईन बुकिंगः** एच. आर.टी.सी. ने निजी ऑनलाईन बुकिंग पोर्टल जैसे कि travelyari.com.busindia.com, ezyrechargepoint.com तथा redbus.in के माध्यम से अपनी बसों की ऑनलाईन बुकिंग शुरु की है।

iX) **फिक्स किराया बसें:** जनता की सुविधा के लिए निगम द्वारा निश्चित कम किराए पर 15 नई बसें चलाई गई है। लोगों द्वारा इन बसों को पसन्द किया गया है तथा यह बसें निगम के लिए अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं।

X) **नई बसों की खरीदः** लोगों को सुरक्षित तथा आरामदायक बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तथा पुरानी बसों को बदलने के लिए निगम के बेड़े में 510 नई बसें शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 800 बसें जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्यूल मिशन के अन्तर्गत खरीदने तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के विकास के लिए ₹289.00 करोड़ स्वीकृत कर दिए गए हैं। 800 बसों में से निगम को 31.12.2014 तक 21 बसें प्राप्त हो चुकी हैं।

Xi) **आई.आर.टी.एस. को लागू करनाः** एच.आर.टी.सी. ने आई. आर.टी.एस. को लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बसों की गतिविधि व कार्यक्षमता मापने के लिए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाईस (वी.टी.एस.) लगाए जा रहे हैं। बस अड्डों पर यात्रियों को सूचित करने के लिए यात्री सूचना पैनल लगाए जा रहें हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण पूरा होने के समीप है।

Xii) **24X7 हैल्पलाईनः** निगम तथा निजी बसों के यात्रियों से बसों के परिचालन से सम्बन्धित शिकायतें व सुझाव प्राप्त करने के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा शुरू की दी गई है।

परिवहन विभाग

14.7 हिमाचल प्रदेश में रेल, हवाई व वाहन जल सेवाऐं नाम मात्र है। इसलिये राज्य अधिकतर सड़क सेवाओं पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का कार्य विभिन्न नियमों/अधिनियमों को कियान्वित करना है इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनुसरण आदि करना है। विभाग का मुख्य कार्य गाड़ियों का पंजीकरण, परमिट जारी करना, वैद्यता प्रमाण–पत्र, प्रदूषण को सख्ती से चैक करना इत्यादि केंन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम व उसके अंतर्गत आने वाले नियमों को लागू करना है। परिवहन विभाग प्रदेश में परिवहन प्रणाली को लागू करने, पारदर्शिता के प्रति समर्पण और लोकहित नियंत्रण को उसके तहत प्रशासनिक मशीनरी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना करता है। राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण माल वाहन परमिट, स्टेज कैरिज परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और प्राईवेट सर्विस व्हीकल के परमिट जारी करता है। तदोपरान्त विभागीय अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान अनुसार परमिट को जारी, नवीकरण करना, वैद्यता प्रमाण–पत्र जारी करना, चालक लाईसैन्स, ड्राईविंग ट्रेनिग स्कूल का पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र प्रमाण पत्र जारी करने आदि कार्य का निपटान करते है।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न कर/शुल्क एकत्रित किए जा रहे हैं जैसे टोकन टैक्स, विशेष पथ कर कपोजिट शुल्क पथ प्रमाण–पत्र शुल्क, विशेष पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण/ नियंत्रण शुल्क तथा लाईसेंस शुल्क चालू वितीय वर्ष 2014–15 के दौरान ₹19,735.00 लाख विभाग को उपलब्ध करवाया गया जिसमें से ₹ 5,622.08 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को जन–जातीय क्षेत्र में बस अडडे के निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2014 तक स्कीम को पूंजीगत व्यय के रुप में जारी किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 के लिये विभाग के लिये राजस्व प्राप्ति ₹214.07 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के तहत नवम्बर, 2014 तक ₹140.34 करोड़ की राशि एकत्रित की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.12.2014 तक कुल 40,980 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से ₹621.31 लाख की राशि वसूल की गई।

i) **परिवहन नीतिः**– विभाग द्वारा परिवहन नीति में संशोधन करते हुए वर्ष 2014 में परिवहन उपभोक्ताओं और परिवहन संचालकों को सड़क सुरक्षा रोजगार सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुव्यवस्था को संबर्धन दिया गया।

ii) **रोजगार सृजनः** विभाग द्वारा वर्ष के दौरान 19,370 प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया तथा 8,979 व्यवसायिक वाहनों का पंजीकरण एवं परमिट प्रदान कर 1,937 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया।

iii) **सूचना–प्रोद्यौगिकी हस्तक्षेपः** विभाग व उपभोक्ताओं की सुविधाओं में सुधार हेतु विभाग द्वारा "वाहन" "सारथी" और "ई–पथकर" के नाम से सोफ्टवेयर तैयार किया गया। राज्य में उपभोक्ताओं को इस

सोफ्टवेयर के इस्तेमाल से अनुज्ञापत्र, आज्ञापत्र व पंजीकरण प्रमाण पत्र व अन्य जैसे कि एस. एम.एस. सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में प्रचलित ई–प्रोद्यौगिकी प्रणाली को सयुंक्त केन्द्रीयकृत डेटावेस में एकीकृत कर संचालित किया जा रहा है।

iv) **सड़क सुरक्षा गतिविधियां:** यात्री जागरुकता कार्यक्रमों के साथ ही विभाग द्वारा तीन अवरोधक वाहन जन संबोधन व्यवस्था व सड़क सुरक्षा सलोगन सहित संचालित किये गये। परिवहन उपभोक्ताओं रोजमर्रा की असुविधाओं के संबोधन हेतु विभाग द्वारा 9418000529 सहायता दूरभाष नम्बर संचालित किया गया।

v) **निरीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र:** वर्तमान में वाहनों के निरीक्षण व प्रमाणीकरण का कार्य पारम्परिक ढंग से किया जा रहा है वाहनों के वास्तविक व विज्ञानिक मूल्यांकन में तकनीक के सहयोग हेतु राज्य में एक निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्र नालागढ़ में मोर्ठ (Morth) के सहयोग से खोलने का प्रस्ताव है।

vi) **भारोतोलक पुल प्रतिष्ठापन:** विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक–निजि सहभागिता के माध्यम से भारी लदान ले जा रहे व्यवसायिक वाहनों की जॉच हेतु आठ भारतोलक पुल प्रतिष्ठापित किये गये। राज्य में इन में से अधिक पी.पी.पी. आधार पर स्थापित हो रहे हैं।

vii) **परिवहन विभाग का कम्यूटरीकरण:** यातायात संचालकों को बेहतर सुविधा हेतु परिवहन विभाग का पूर्णतय कम्पयूटरीकरण किये जाने पर बल दिया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व अवरोध केन्द्र पूर्णतय कम्पयूटरीकृत किये जा चुके है। जबकि पंजीकरण व लाईसेंस प्रधिकरण को सुविधा से जोड़ने का कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा।

viii) **चालक प्रशिक्षण संस्थान व प्रदूषण व प्रशिक्षण केन्द्र:** वर्तमान में राज्य में 10 सरकारी, 11 हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम तथा 189 निजि चालक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5 हि0रा0प्र0 परिवहन निगम और 66 निजि प्रदूषण परीक्षण केन्द्र कार्य कर रहें है।

ix) **जल परिवहन:** विभाग द्वारा जल यातायात को बढ़ावा देने हेतु राज्य के बिलासपुर, चम्बा और पोंग क्षेत्र में इस ओर कार्य प्रारम्भ किया गया। IWA के सलाहकार इस दिशा में सहयोग देने को तैयार है।

15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

15.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन राज्य की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एस.जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 7.5 प्रतिशत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश, भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़, कल–कल बहती नदियां, एतिहासिक स्मारक व स्नेहिल लोग, इत्यादि पर्यटन में सहायक संसाधन राज्य में मौजूद है।

15.2 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा सरकार पर्यटन अधोसरंचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है तथा जिसमें जन उपयोगी सेवाऐं जैसे सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्ष 2014–15 में पर्यटन विकास के लिए ₹ 3,481.04 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में 61,236 बिस्तरों की क्षमता के 2,377 होटल विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में होम स्टे योजना के अन्तर्गत 1,580 कमरों वाली लगभग 576 इकाईयां पंजीकृत है।

15.3 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियन बैंक (एडीबी) ने 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वितीय सहायता प्रदान की है। एडीबी की वित प्रेषित योजना के प्रथम चरण में 33 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। द्वितीय चरण के लिए 62 मिलियन अमेरिकी डालर की वितीय सहायता के लिए ऋण समझौता वर्ष 2015 में किया जाएगा जिसके लिए प्रारम्भिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी थी जिन्हें 2014–15 मे लागू किया जा रहा है।

1. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू–मनाली मेगा पर्यटक सर्विस का एकीकृत विकास ।
2. हिमाचल प्रदेश में बुद्विस्ट सर्किट का एकीकृत विकास ।
3. Shimla suburbs पर्यटक सर्किट का विकास।
4. हिमाचल प्रदेश में Tourism Tourist Zone का एकीकृत विकास।
5. ऊना–नादौन पर्यटक गंतव्य का एकीकृत विकास।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी गई हैः–

1. मुख्य पर्यटक स्थलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना से हिमाचल प्रदेश में थीम पार्कों का एकीकृत विकास।
2. चायल, मनाली, पालमपुर, फागू व चिन्दी में मैडीटेशन केन्द्रों का एकीकृत विकास ।
3. सिरमौर–चूडधार, चौपाल का पर्यटक गन्तव्य के रुप में एकीकृत विकास।

4. चम्बा–खजियार, डलहौजी का पर्यटक गन्तब्य के रुप में एकीकृत विकास।

15.4 विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर निम्नलिखित 7 रज्जू मार्ग निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से बनाने, चलाने तथा स्थानान्तरित करने के आधार पर लगाने का प्रस्ताव है।

1. भून्तर से बिजली महादेव, जिला कुल्लू।
2. न्यूगल (पालमपुर), जिला कांगड़ा।
3. शाहतलाई से दियोटसिद्व, जिला बिलासपुर।
4. धर्मशाला–मक्लोड गंज से त्रियूंड, जिला कांगड़ा।
5. टोबा से नयनादेवी जी जिला बिलासपुर।
6. गांव जिया से आदि हिमानी चामुण्डा जिला कांगड़ा।
7. टूटीकण्डी–लिफ्ट से लैडीज पार्क, जिला शिमला।

इसके अतिरिक्त बाशल कांडा में विशिष्ट से रोहतांग में भी रज्जूमार्ग की स्थापना हेतु संभावनाओं की तलाश की जा रही है तथा 5 स्थानों पर सार्वजनिक, निजी भागीदारी (पीपीपी) में लम्बी अवधि के आधार पर पर्यटन से संबंधित गतिविधियां स्थापित करने के लिए EOI आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव है। विभाग ने लीज का प्रारूप तैयार कर दिया है और यह प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के विचारधीन है। स्थल निम्नलिखित हैः–

क्र.सं.	स्थल का नाम
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	झटीगंरी, जिला मण्डी
3.	शोजा (बन्जार), जिला कुल्लू
4.	बिलासपुर, जिला बिलासपुर
5.	सुकैती, जिला सिरमौर

15.5 पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आर्कषित करने के लिए वर्ष भर प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की है, जिसमें ब्राशर, पैम्फलेट, पोस्टर, ब्लोअप इत्यादि शामिल हैं।पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभाग देश व विदेश में विभिन्न पर्यटन मेलों/उत्सवों इत्यादि में भाग लेता है। पर्यटन निगम तथा निजी उद्यमियों के साथ देश में 38 से ज्यादा पर्यटन उत्सवों/मेलों में भाग लिया है।

15.6 वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग ने प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर विज्ञापन जारी किए हैं। विभाग द्वारा 60 सैकिण्ड का एक स्थल विज्ञापन भी तैयार किया गया है जिसका प्रसारण इलैक्टोनिकमीडिया के माध्यम से किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में योजना गत व चिरस्थायी पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 20 वर्षीय दीर्घकालीन पर्यटन मास्टर प्लान तथा पर्यटन नीति 2013 और धर्मशाला के लिए सतत पर्यटन कार्य योजना 2013 भी तैयार की गई है।

15.7 विभाग राज्य के बेरोजगार युवाओं को ट्रैकिंग गाईड, जल–क्रीडा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर राफ्टिंग व वर्ड बॉचिग इत्यादि में प्रशिक्षण दे रहा है। विभाग, पर्यटन से संबधित विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा/उत्सवों को प्रोत्साहन देता है विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न निम्न उत्सवों/ क्रीड़ाओं में भाग लिया।

1. विश्व पर्यटन दिवस (दिनांक 27 सितम्बर,2014)
2. हिमालय उत्सव 2014 का आयोजन।
3. शिमला celebration -150 years
4. इण्डिया ट्रैवल मार्ट(ITM) लुधियाना, जयपुर, लखनऊ एवं अहमदाबाद, भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी IITE औरंगाबाद, इन्दौर, नागपुर, भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय यात्रा मार्ट (IITM) बैंगलूर, चैन्नई, पूणे, हैदराबाद एवं कोचीन, पर्यटन और यात्रा मेला (TTF) कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, पूणे, चैन्नई, बैंगलूर, व्यापार मेला SAATE दिल्ली।

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में शिमला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अड्डे है जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से हैः

क) शिमला हवाई अड्डाः शिमला हवाई अड्डे के रनवे का आकार 4,100 फीट था परन्तु वास्तव में 3,800 फुट का आकार ही उपयोग किया जा रहा है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए ए.ए.आई, राइट्स से परामर्शदाता के रूप में सेवाएं ली जा रही है।

ख) भुंतर हवाई अड्डाः वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डे की लम्बाई 1,128 मीटर एवम चौड़ाई 30.5 मीटर है जो कि सिर्फ छोटे विमानों की लैंडिग के लिए उपयुक्त हैं। बड़े विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी की लंबाई को 1,000 मीटर बढ़ाने की आवश्यकता है।

ग) कांगड़ा हवाई पट्टीः इस हवाई पट्टी के रनवे का आकार 3,900 X 100 फुट था जिसे राज्य सरकार के अनुरोध पर 4,500 X100 फुट तक बढ़ाया गया है। रनवे को 418 X 250 मीटर तक बढ़ाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए कार्य प्रगति पर है।

घ) कण्डाघाट में नए हवाई अड्डे की स्थापनाः कण्डाघाट में नए हवाई अड्डे की स्थापना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा जी.आई.एस. मैप भी तैयार करके नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिए गए हैं।

हैलीपैड

15.9 हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 63 परिचालित हैलीपैड है इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के चूड़धार के समीप कालाबाग तथा शिमला के संजौली–ढली वाईपास के पास में हैलीपैड बनाने का भी प्रस्ताव है।

हैली–टैक्सी सेवाएं :

15.10 राज्य सरकार ने प्रदेश में हैली टैक्सी सेवा शुरू करने हेतु पहल की है। वर्तमान में मणि–महेश यात्रा के दौरान हैली टैक्सी सेवा को संचालित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगमः

15.11 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1972 में

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी तब से यह संस्था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक, चलन तथा प्राईम मूवर के रुप में कार्यरत है। हि.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा 01–04–2014 से 31–03–2015 तक ₹126.95 लाख शुद्व लाभ अपेक्षित है।

16. शिक्षा

शिक्षा

16.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

16.2 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था तथा 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया गया है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जिला प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रमशः जिला एवं खण्ड स्तर पर किया जाता है जिसका उद्देश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का साधारणीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में 31.12.2014 प्रारम्भिक शिक्षा में 10,766 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,738 क्रियाशील हैं। 2,297 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं जिनमें से 2,292 क्रियाशील हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, लाहौल व स्पिति प्रणाली की तर्ज पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों जोकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें दी जाती है तथा अनुसूचित जाति छात्रों को अनुसूचित जाति की उपयोजना के अंतर्गत मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों

को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। सभी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा एक से चार तक अंग्रेजी सहित सभी संशोधित पाठ्य पुस्तकें लागू की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1 सितम्बर, 2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1,077 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा 100 चयनित उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में पंजाबी एवं उर्दु भाषाओं को पढ़ाने हेतु निर्णय लिया है।

ऊपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

16.4 वर्ष 2014–15 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) मिडल मैरिट मैधावी छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को ₹800 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 1,421 छात्र लाभान्वित हुए और ₹11,36,800 खर्च किए गए।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को ₹150 प्रति छात्र/ छात्रा कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 81,107 छात्र लाभान्वित हुए तथा 1,21,66,050 खर्च किये गये तथा कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र ₹250 एवं ₹500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 67,135 लाभान्वित हुये तथा ₹2,43,36,250 खर्च किये गये।

iii) सैनिकों के बच्चों को ₹150 छात्रवृति प्रति विद्यार्थी (पहली से पांचवीं) प्रतिवर्ष दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 6 विद्यार्थी लाभान्वित हुये तथा ₹900 खर्च किये गये।

iv) छात्रा उपस्थिति योजना के अन्तर्गत जिनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक हो को ₹2 प्रति माह, 10 माह के लिये दिए जाते हैं। कुल 32,907 छात्राऐं लाभान्वित हुई तथा ₹6,58,140 वितरित किये गये।

v) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी आई.आर.डी.पी./एस.सी./एस.टी. /ओ.बी.सी. विद्यार्थियों को मुफ्त पाठय पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसके लिए वर्ष 2014–15 में ₹7.40 करोड़ का प्रावधान है।

सर्व शिक्षा अभियान

16.5 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढ़ाचें को बेहतर बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघु योजनाएं सर्वेक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य आम जनता के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और

विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

16.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए** : हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या दर 99 प्रतिशत से अधिक है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या न के बराबर है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर–आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र (NRBCCs) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल मे होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर–सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया, जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह देखा गया है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0 सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित करके और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री के बाद इन्हे इनकी आयु अनुरूप कक्षा में विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 2,414 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियो जिसमे 105 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.बी.सी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।
- **समावेशित शिक्षा**: हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, कुल 15,068 बच्चे चिन्हित किए गए हैं और उसमें से 13,191 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 1,877 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया गया है। 6–14 वर्ष तक की आयु तथा अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 520 बच्चों को विभिन्न जिलों में 23 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापको द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **सेवारत शिक्षकों का क्षमता निर्माणः** सेवारत शिक्षकों की क्षमता निर्माण अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसेः (1) स्वंय सहायक कौशलः शौच, भोजन, स्नान आदि (2) मोटर क्रियाएंः इस के अन्तर्गत भौतिक चिकित्सक व्यवसायिक चिकित्सक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल से बाहर पढ़ने वाले मंदबुद्वि बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की सहायता द्वारा खण्ड समावेशित कमरों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- **चिकित्सीय सेवायेंः** मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। चूंकि भौतिक चिकित्सकों और स्पीच थैरेपिस्ट की कमी के कारण प्रथम चरण में यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया हैं।
- **IEP/ITP तैयार करनाः** प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत– 12,352 शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चे के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले चरण में क्रियात्मक शिक्षा लागू की गई।
- **व्यवसायिक प्रशिक्षणः** चार वर्षों के प्रयासों के उपरान्त कुछ अच्छे स्तर वाले विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कई जिलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू किये गये जैसेः मोमबत्ती, चॉर्ट, पेपर बैग फाइल कवर, लिफाफे बनाना इत्यादि।
- **अभिभावकों के लिए परामर्शः** अभिभावकों एवं पारिवारिक सदस्यों की परामर्श क्रिया पुनर्वास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। विशेष बच्चों के 3,560 अभिभावकों के लिए परामर्श प्रक्रिया पर सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विशेष ध्यान दिया गया है व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते है।
- **सामुदायिक भागीदारी** : प्रशिक्षित रिसोर्स अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भी भरपूर समर्थन मिला है।
- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रमः** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हे ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षत रिसोर्स अध्यापक इस कार्यक्रम में रिसोर्स व्यक्ति की भूमिका अदा करते हुए सामान्य अध्यापकों को कक्षा की

वास्तव स्थितियों से अवगत कराते हैं।

- **विशेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्रः** जिला शिमला और मंडी में दो देखभाल केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में स्थापित किए गए है जिनमे लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे कुशल अध्यापकों की मदद से शिक्षण / प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
- **चिकित्सीय मूल्यांकनः** वर्ष 2014–15 में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये 43–चिकित्सीय शिविर आयोजित किये गये तथा 1,639 उपकरण उपलब्ध करवाये गये।
- **आने–जाने के लिए यात्रा भत्ताः** चिकित्सा शिविर में आने–जाने के लिए विशेष आश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक सहित यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।
- **दृष्टिहीन बच्चों के लिये पुस्तकें:** प्रदेश के कक्षा 1–12 तक के दृष्टिहीन बच्चों के लिये 45 सैट ब्रेल पुस्तकें प्रदान की गई तथा 125 सैट मंद दृष्टि वाले बच्चों को बांटे गये।
- **आई.ई. किया कलापों का अनुश्रवणः** रिसोर्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही अनुश्रवण के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक अनुश्रवण प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्ते होगी।

i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर–सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता न प्रदान करना।

ii) सभी गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii) सभी कुशल शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी जिला के परियोजना अधिकारियों द्वारा संकलित रिर्पोट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है जिसकी सर्व शिक्षा अभियान की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है।

शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

16.7 राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर न के बराबर है तथा इस पर सफलतापूर्वक नजर रखी जा रही है। प्रारम्भिक स्तर पर 0.46 प्रतिशत तथा उच्च प्रारम्भिक स्तर पर 0.86 प्रतिशत ड्राप आउट स्तर है। परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान ने **"प्रथम"** के साथ मिलकर बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था विकसित कर रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

16.8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को सामान्य शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा भी प्रदान की जा रही

है। होस्टल वार्डनों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जाती है।

बच्चों के सीखने का स्तर

16.9 राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन जांच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। प्रशिक्षण में आने वाली कमियों को समय–समय पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान दूर की जाती है। अब रटने की विधि एवं कागज़ पैंसिल टेस्ट को बढ़ावा देने की बजाए नैदानिक शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों के पूर्ण विकास के लिये मूल्यांकन टेस्ट लिया जा रहा है। मूल्यांकन शीटस द्वारा सीखने के अन्तर को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह मूल्यांकन शीटस कक्षा, विषय एवं शीर्षक वार बनाई गई है।

विद्यालयों का मुल्याकंन

16.10 निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन को राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके। इसी उद्धेश्य से जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति के द्वारा जांचने के बाद की गई रिपोर्ट को जिला अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में सांझा किया जाता है और उसके पश्चात जरुरी कार्यवाही की जाती है।

शिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास

16.11 शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मुख्य प्रयास इस प्रकार से हैं:

- **उपलब्धि प्राप्ति टैस्ट:**हिमाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य है जिसने अपने प्रारम्भिक स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि सर्वेक्षण शुरु किए हैं।
- **प्रारम्भिक पठन, लेखन व गुणानात्मक शिक्षा:** कक्षा 1 व 2 के लिए पठन, लेखन व गुणनात्मक शिक्षा को प्रारम्भ कर दिया गया है।
- **बालिकाओं में नवाचार की प्रवृति को बढ़ावा:** KGBV के (LLF) के पॉयलट स्कूल की छात्राओं को उचित विज्ञान, तकनीक व नवाचार के द्वारा बालिकाओं को सशक्त किया जा रहा है। देश के 279 KGBV स्कूलों के 22,946 बालिकाओं में से हिमाचल प्रदेश की 3 छात्राओं ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है।
- **प्रशिक्षण कैलेण्डर और प्रशिक्षण मूल्यांकन:** राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बैठकों, कार्यशालाओं तथा प्रतिक्रियाओं के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये एक प्रशिक्षण कलैण्डर बनाया गया है।

- **कक्षा 1 से 5 तक पाठय पुस्तकें:** राष्टीय पाठयक्रम रुप रेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों का संशोधन किया गया।

- **सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवता में वृद्धिः** सोलन जिलें में परवाणू के 9 प्राथमिक व 2 वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षण संस्थानों की शिक्षा में गुणवता लाने के लिए एस0एन0एस0 फॉउंडेशन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

खेल–कूद किया–कलाप

16.12 वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल–कूद क्रिया कलाप के लिए ₹255.00 लाख का प्रावधान किया है। इससे बच्चों का केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खेल आयोजन का खर्चा वहन किया जाता है।

योग शिक्षा

16.13 योग शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और हिमांचल के युद्व बीरों के लिए विभाग द्वारा कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए एक विशेष पुस्तक बनाई है।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निमार्ण बारे

16.14 वर्ष 2014–15 के लिए सरकार ने ₹227.00 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उसके साथ–साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं में कमरों की मांग भी पूरी की जा सके । इसके अतिरिक्त ₹407.90 लाख का प्रावधान भवनों की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए किया गया है।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

16.15 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। जिसके फलस्वरूप वार्षिक बजट में प्रतिशत निरन्तर वृद्वि के साथ– साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी वृद्वि हो रही है। दिसम्बर, 2014 तक 846 उच्च पाठशालाएं, 1,552 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 86 महाविद्यालय हैं जिसमें (एस.सी.ई.आर.टी., बी.एड. महाविद्यालय, धर्मशाला तथा 5 संस्कृत महाविद्यालय) भी सम्मिलित हैं, राज्य में कार्यरत हैं।

छात्रवृति योजनाएं

16.16 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

i) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को (मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम के आधार पर) जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए योग्यता के आधार पर ₹10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2013–14 में 1,875 अनुसूचित जाति और 1,497 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

ii) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को 10वीं की परीक्षा के परिणाम पर आधारित जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए ₹10,000 की राशि (वार्षिक) प्रतिछात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2013–14 में इस योजना से 3,519 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

iii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को (10वीं की परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर) मेधावी छात्रों में से जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए ₹11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में 308 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

iv) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक स्वच्छता से संबंधित व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक ₹9,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं जोकि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। वर्ष 2013–14 में 36 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

v) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ₹10,000 वार्षिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्ष 2013–14 में 81 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

vi) **संस्कृत छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ₹ 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए ₹300 प्रतिमाह, की दर से छात्रवृति उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

vii) **सैनिक स्कूल छात्रवृतिः–** सैनिक छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा (हमीरपुर) में अध्ययन हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। यह छात्रवृति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत 324 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

viii) **कल्पना चावला छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10+2 की 2,000 छात्राओं को योग्यता के आधार पर सभी ग्रुप वाईज मैरिट सूचि के आधार पर वार्षिक ₹15,000 प्रति छात्र/छात्रा को राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में इस

योजना के अन्तर्गत 579 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

ix) **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाः** यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत सभी वर्ग के विद्यार्थियों जिनका चयन और प्रवेश, आई.आई.टी.,ए.आई.आई.एम.एस. तथा आई.आई.एम. से किसी भी स्नातकोतर डिप्लोमा के लिए हुआ हो, को ₹75,000 की राशि पुरस्कार के रुप में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 69 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

x) **राष्टोय इंडियन मिलिट्री कालेज छात्रवृति योजनाः** यह छात्रवृति दस स्थाई हिमाचली निवासी केडेट/छात्रों को आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दी जाती है जो कि राष्टीय भारतीय मिलिटी कालेज, देहरादून में अध्ययनरत हो। प्रत्येक कक्षा से 2 छात्रों को यह छात्रवृति मिलती है। छात्रवृति की राशि ₹20,000 प्रतिवर्ष है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत 12 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार हैः–

1. **आई.आर.डी.पी.छात्रवृति योजनाः**

इस योजना के अतर्गत ₹300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ₹ 800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ₹ 1,200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ₹ 2,400 मासिक जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2013–14 में 65,855 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः**

इस योजना के अतर्गत ₹300 (छात्र) तथा ₹ 600 (छात्रा) प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं तथा ₹ 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ₹ 2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संकियाओं/ युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):**

इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम हो एवम् अन्य

पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो, वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2013–14 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–19,709, अनुसूचित जन–जाति –4,550, अन्य पिछड़ा वर्ग–7,100 है।

4. पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:

यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹ 44,500 से अधिक न हो इस छात्रवृति में ₹ 50 प्रति माह तथा ₹250 प्रतिमाह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए देय है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत 15,128 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है।

5. पूर्व मैटिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये:

यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो। ये छात्रवृति 9वीं व 10वीं कक्षा के अनआवासिक छात्रो को ₹2,250 तथा ₹4,500 की राशि आवासिक छात्रों को दी जाती है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत 14,127 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के 1,800 जनजाति के लाभान्वित हुए।

6. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदान:

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान राशि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड से आंठवीं की परीक्षा उतीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन्हें ₹ 3,000 की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह राशि (समय अवधि जमा) के रूप में दी जाती है। वर्ष 2013–14 में 5,563 लड़कियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

7. अल्प संख्यक वर्ग के लिए मैरिट–कम–मीन्ज छात्रवृति योजना:–

यह छात्रवृति अल्प संख्यक समुदाय मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व के छात्र/छात्राओं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 लाख से अधिक न हो को दी जा रही है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत 119 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

16.17 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है:–

क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

ख) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

ग) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

घ) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.18 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, फेयरलॉन, शिमला/ एन.यू.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी. आर.टी./ एन.सी.ई.आर.टी./ आर.आई.ई. अजमेर तथा चण्डीगढ़ आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2014–15 में लगभग 1,200 अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना :

16.19 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

16.20 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को नवीं से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अंतर्गत ₹9.93 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,16,924 नवीं एवं दसवीं कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यवसायिक शिक्षा

16.21 विद्यार्थियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा 200 पाठशालाओं में 7 विषयों में व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ की गई। इन विषयों में से आटो मोबाईल, रिटेल सिक्योरिटी, आई.टी. हैल्थ केयर पर्यटन तथा कृषि के साथ 9वीं एवं 12वीं कक्षा में कम से कम 2 विषय अवश्य होंगे। इस योजना के अंतर्गत 600 वोकेशनल अध्यापकों को नियुक्त किया गया तथा 20,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षाः

16.22 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा :

16.23 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। इस योजना के

अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा :

16.24 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्वंय आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चुनकर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹ 110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। लगभग 1,05,000 विद्यार्थी आई.टी. शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

16.25 विभाग ने राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति की देख रेख में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 75:25 की सहभागिता में माध्यमिक स्तर पर लागू करने में बढ़त हासिल कर ली है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये भारत सरकार ने 30 माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा 179 उच्च पाठशालाओं व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में आधारभूत ढांचा जैसे अतिरिक्त कक्षा के कमरों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, आर्ट व क्राफ्ट के कमरे, पुस्तकालय कक्ष कम्प्यूटर कक्ष तथा शौचालय आदि बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा परोजेक्ट अपरुवल बोर्ड भारत सरकार द्वारा ₹13,657.91 लाख की राशि स्वीकृत की है जिसमें से भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः ₹1,269.13 लाख व ₹485.73 लाख माध्यमिक अभियान की विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए जारी कर दी है।

आदर्श विद्यालय

16.26 भारत सरकार ने जिला चम्बा और सिरमौर के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों के लिए पांच आर्दश विद्यालय स्वीकृत किए है तथा प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें अधिसूचित कर कार्यरत बना दिया है। ये पांच विद्यालय हैं राष्ट्रीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं खुशनगरी, खण्ड तीसा, जिला चम्बा, डान्ड खण्ड तीसा, जिला चम्बा, कन्दरारी, खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर, भराईकोठी, खण्ड मैहला, जिला चम्बा और हिलोर, खण्ड पांगी, जिला चम्बा। इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

16.27 शैक्षिक रुप से पिछड़े खण्डों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कन्या छात्रावास का निर्माण करके आरम्भ करके गयारहवीं व बारहवीं कक्षाओं की छात्राओं को असवसीय सुविधा प्रदान कर और सुदृढ़ करना होगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीबी रेखा नीचे रहने वाले परिवार की छात्राएं लाभान्वित होगीं। छात्रावासो का निर्माण जिला चम्बा और सिरमौर के शैक्षिक रुप से पिछड़े खण्डों में किया जाना है दो कन्या छात्रावासों हिमगिरी चम्बा और शिलाई सिरमौर का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि तीन अन्य छात्रावासों तीसा, मैहला, साच का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए परोजेक्ट अपरुवल बोर्ड भारत सरकार ने दो कन्या

छात्रावासों तीसा और साचा के लिए प्रसार खर्च के लिए ₹ 96.56 लाख तथा आवर्ती अनुदान के लिए ₹14.85 लाख स्वीकृत किये हैं।

सूचना एवं प्रसारण प्रोद्यौगिकी

16.28 यह योजना आई0सी0टी0 (सूचना, संचार एवं प्रोद्यिगिकी) परियोजना केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 की सांझेदारी में राज्य के 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। दितीय चरण में सूचना, संचार एवं प्रोद्यिगिकी परियोजना को प्रदेश सरकार में 75:25 की हिस्सेदारी में 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 835 राजकीय उच्च पाठशालाओं के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। यह परियोजना पांच स्मार्ट कक्षाओं और बहु संचार माध्यम शिक्षण का प्रयोग करके पठन–पाठन की गतिविधियों को सुदृढ़ बनायेगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणालीः

16.29 राष्टीय उच्चतर प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्टीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लागू किया गया है। इस योजना को वर्ष 2013–2014 से और प्रदेश सरकार की 90:10 की सहभागिता से आरम्भ किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस गुणात्मक सुधार प्रणाली को प्रदेश में उचित ढंग से लागू करने के लिए एस. एच.ई.सी.(प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद) का गठन किया जा चुका है। प्रदेश में सरकारी, निजी, ग्रांट–इन–एंड, संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के लिए समेस्टर प्रणाली तथा सी0बी0 सी0 एस0 (विकल्प आधारित कैडिट प्रणाली) लागू की जा चुकी है। इस प्रणाली के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से ₹8.85 करोड़ प्राप्त हो चुके है तथा नगरोटा बगवां में इजींनियरिंग कालेज खोलने के लिए ₹2.92 करोड़ अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

2015–16 के लिये लक्ष्यः–

एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में दो योजनायें आरम्भ की जायेगीः–

शिक्षा में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) :–

इस प्रणाली का उददेश्य शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को कंप्यूटरीकरण करना है। इस प्रणाली को (पायलट) परियोजना के रुप में जिला हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और मण्डी के 545 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व राजकीय उच्च पाठशालाओं में लागू किया जाएगा।

शाला दर्पणः

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना के लिए पायलट राज्य के रुप में चुना है। इस योजना के चरण–1 में सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी प्रणाली वाले विद्यालयों में सूचना सेवा उपलब्ध करवाने के लिए ई गर्वनस को मिशन मोड परियोजना प्रदेश के 628 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जायेगी।

तकनीकी शिक्षा

16.30 वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विभाग की स्थापना की गई थी

तथा जुलाई 1983 में व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस विभाग के अर्न्तगत् लाया गया। वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश मे इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकीय / प्रोद्यौगिकीय संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला, 1 राष्ट्रीय फैंशन टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 16 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 15 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 18 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 88 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 8 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल ऊना में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 136 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय, रोहडू, निजी क्षेत्र में 12 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 14 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. विभिन्न पाठयक्रमों द्वारा 27 इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार हैः–

1.	डिग्री स्तर	=	7,070
2.	बी फार्मेसी	=	980
3.	डिप्लोमा स्तर	=	11,298
4.	आई.टी.आई./ आई.टी.सी.	=	36,683
	कुल	=	**56,031**

16.31 इसके अतिरिक्त 05 बहुतकनीकी संस्थान क्रमशः एक–एक बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर तथा लाहौल एवं स्पिति में शैक्षणिक सत्र 2013–14 में शुरू किए जा चुके हैं। जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर को शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस महाविद्यालय में भौतिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने हेतु ₹1,225 लाख मंजूर किए गए हैं। भारत सरकार/ विश्व बैंक से कुल स्वीकृत राशि में से ₹622.80 लाख की धनराशि तथा ₹149.97 लाख राज्य भाग की धनराशि, 90:10 पैटर्न पर जारी कर दी गई है। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ₹100.00 लाख प्रत्येक संस्थान की दर से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी पहली किश्त ₹180.00 लाख तथा दूसरी किश्त ₹280.00 लाख प्राप्त हो चुकी है।

16.32 कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्किल डबल्पमैन्ट इन्सीएटिव स्कीम के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवान, अकुशल एवं कुशल कामगार, बेरोजगार व आई.टी.

आई. स्नातक इत्यादि गैर कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु इस समय विभाग में 140 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (68 सरकारी क्षेत्र और 72 निजी क्षेत्र) पंजीकृत हैं, कुल स्वीकृत राशि ₹991.83 लाख में से ₹854.54 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 30,615 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और 983 व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

16.33 विभाग में 11 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन, नाहन, शिमला तथा रिकांगपीओ तथा आई.टी.आई. (महिला) मण्डी, आई.टी.आई. (महिला) शिमला तथा आईटीआई रोंगटोंग (काजा) को श्रेष्ठ केन्द्रों (Centres of Excellence) में स्तरोन्नत किए हैं तथा कुल ₹ 2,456 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह राशि इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण एवं भवन निर्माण इत्यादि पर खर्च की जा रही है।

16.34 औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी.आई. आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ₹8,250 लाख की धनराशि सम्बन्धित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है। विभाग के अधीन 78,246 विद्यार्थियों की काउंसलिंग तथा 39,109 विद्यार्थियों तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

17. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारत्मक, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं, 61 चिकित्सालयों, 80 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 497 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 11 ई.एस.आई. औषधालयों तथा 2,068 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान कर रहा है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

17.2 वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) इस कार्य के अंतर्गत 4,92,263 रक्त पटिकाओं का परीक्षण किया गया जिनमें से 102 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, 30.12.2014 में घटकर 0.26 प्रति दस हजार रह गई। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से जिलों में कुष्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक 141 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 115 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 201 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

iii) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक, 50 क्षयरोग युनिट और 180 माईक्रोस्कोपिक केंद्र, जिनमें 310 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्ष 2014–15 में 31.12.2014 तक 15,083 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 88,976 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है। इस वर्ष कुल लक्ष्य 257 प्रति लाख प्रति वर्ष का था जिसके अन्तर्गत 208 प्रति लाख प्रति वर्ष की उपलब्धि पाई गई।

iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रमः–** वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य 25,000 के अन्तर्गत

दिसम्बर, 2014 तक 22,302 मोतिया बिन्द आप्रेशन किये गये जिनमें 21,970 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ.एल लगाए गये। वर्ष 2014–15 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2014 तक 2,69,070 विद्यार्थियों की जांच की गई।

v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः**– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण क्रियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्या की जरूरतों अनुसार बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक क्रमशः 9,327 बन्धयाकरण, 18,365 लूप निवेश, ओ.पी. प्रयोगकर्ता 27,673 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 81,500 किए गए।

vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः**– हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर. सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई हैः–

सारणी संख्या 17.1

क्र. सं.	मद	2014–15	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2014 तक)
1	डी0 पी0 टी0	115000	79345
2	पोलियो	115000	79412
3	बी0 सी0 जी0	115000	82318
4.	हैपाटाइटस–बी	115000	79334
5	मीजल	115000	83451
6	विटामिन ए (पहली खुराक)	115000	79686
7	पोलियो (बुस्टर)	118000	76941
8	डी0 पी0 टी0 (बुस्टर)	118000	76927
9	विटामिन ए (पांचवीं खुराक)	–	87284
10	डी0पी0टी0(5–6 वर्ष)	117000	84622
11	टी0 टी0 (10 वर्ष)	117000	95955
12	टी0 टी0 (16 वर्ष)	130000	109766
13	टी0 टी0 (गर्भवती मातायें)	132000	83731
14	माताओं को आयरन फालिक एसिड	132000	76572

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान इस अभियान का प्रथम चरण 18.01.2015 तथा दूसरा चरण 22.02.2015 के लिए निर्धारित किया गया है।

vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः**– वर्ष 2014–15 में नवम्बर,2014 तक 1,08,269 जांच किए व्यक्तियों में से 354 एच.आई. वी. के अनुकूल मामले पाए गए।

- **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यक्रमः**—हिमाचल प्रदेश में कुल 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्ष 2014—15 के दौरान कुल जांच किए गए लोगों में 36,219 गर्भवती महिलाएं थीं जिनमें से 7 एच.आई. वी. से ग्रसित हैं। हिमाचल प्रदेश में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन भी कार्यरत है।
- **यौन रोग नियंत्रणः**— हिमाचल प्रदेश में कुल 20 आर.टी.आई./एस. टी.आई क्लीनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। 2014—15 में 11,942 लोगों ने आर. टी.आई./एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः**—राज्य में 14 रक्त कोषों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन युनिट आई.जी. एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में कार्यरत हैं। वर्ष 2014—15 में 316 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया तथा प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता 2014—15 में 91 प्रतिशत पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस, 4 डोनर कोचों के साथ भी राज्य में कार्यरत हैं।
- **एंट्री रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः**— प्रदेश में 3 एंट्री रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र .आई.जी. एम.सी. शिमला, जिला अस्पताल हमीरपुर और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 10 लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा एच.आई.वी. के साथ रह रहे लोगों को मुफ्त दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेपः**— हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 32 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गत वर्ष में 40,948 लोगों को यौन रोग संबंधित सुविधाएं प्रदान करवाई गई हैं तथा 15,785 लोगों को एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र में इलाज करवाने हेतु भेजा गया। प्रदेश में गैर सरकारी संगठन द्वारा 457 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

viii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः**—इस योजना के अन्तर्गत 121 स्वास्थ्य संस्थाओं केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 573 रोगी कल्याण समितियां जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है। 31.12.2014 तक ₹11.87 करोड़ की राशि सभी रोगी कल्याण समितियों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

17.3 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996—97 में की गई।

17.4 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आई.जी.एम.सी. शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र 2014–15 से विभिन्न सरकारी संस्थानों में तथा गैर सरकारी (गैर सहायता प्राप्त) नर्सिंग संस्थानों में क्रमशः सीटें 1,250 सीटें जी0एन0एम0, 730 सीटें बी0एस0सी0 नर्सिंग, 80 सीटें पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग और 60 सीटें ए0एन0एम0 के कोर्स हेतु भरी गई। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में तीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय क्रमशः हमीरपुर, चम्बा एवं नाहन में स्वीकृत किए है जिसके लिए प्रत्येक मैडिकल कॉलेज को ₹189.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाएं जाएगें। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार कुल राशि का 90 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत भाग प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विभाग की (संस्थान अनुसार) निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयः

यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई। इसको उन्नयन कर सुपर स्पैशिलिटि संस्थान में तबदील कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आई.जी.एम.सी शिमला को पी.एम.एस.एस.वाई. चरण-III के अन्तर्गत ₹150.00 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹120.00 करोड़ तथा राज्य भाग ₹30.00 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं। जिसके लिये वर्ष 2014–15 में ₹5.17 करोड़ का प्रबंधन किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.12.2014 तक लगभग में ₹21.00 करोड़ के मशीनरी एवं उपकरण आई.जी. एम.सी. शिमला के विभिन्न विभागों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के द्वितीय कैम्पस की स्थापना के लिए चमयाणा में लगभग 164 बीघा जमीन चिन्हित की गई है इस सम्बन्ध में राजस्व, वन तथा आई.जी.एम. सी. के लोक निर्माण विभाग के उपमण्डल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया।

भविष्य योजनाएंः इस संस्थान द्वारा भविष्य में विभिन्न विभागों के लिए मशीनरी व उपकरण लगभग ₹1.09 करोड़, निशचेतन विभाग ₹1.77 करोड़ के उपकरण औरथो विभाग के लिए खरीदने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में शैक्षिणिक सत्र 2015–16 से एम0बी0बी0एस0 की सीटें 100 से 150 बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 11 मंजिला नया ओ0पी0डी0 ब्लॉक का निर्माण ₹56.20 करोड़ की लागत से होना है इस कार्य के लिये अभी तक हि.प्र. लोक निर्माण विभाग को ₹345.00 लाख दिये जा चुके है। शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में विभिन्न विषयों/पाठयक्रम की 14 पी0जी0 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय उपलब्धियांः

इस वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए कुल बजट ₹13,291.59 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें ₹4,199.09 लाख 31.12.2014 तक व्यय किए गए।

(ख) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाडाः–

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में 50 एम.बी. बी.एस. विद्यार्थियों के साथ आरम्भ किया गया प्रथम बैच 1999 में आरम्भ किया गया तथा 24.02.2005 को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। वर्तमान में इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0 के 100 विद्यार्थियों का 16वां बैच प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है। बर्न यूनिट की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा ₹440.80 लाख की स्वीकृति की गई जिसमें से ₹277.00 लाख की राशि निर्माण कार्य एवं फर्नीचर एवं उपकरण खरीदने के लिए जारी कर दी है। केन्द्र सरकार द्वारा नैत्र विभाग में आंख का बैंक स्थापित करने के लिए ₹20.00 लाख प्रदान कर दिए गए हैं। सुपर–स्पैशलिस्ट ओ0पी0डी0 की सेवायें अगस्त, 2014 से प्रारम्भ कर दी गई है।

भविष्य योजनाएं: नर्सिंग स्टाफ के लिये 120 न0 टाईप–3 आवास, प्रथम वर्षीय एम0बी0बी0एस0 तथा पी0जी0 विद्यार्थियों के छात्रावास का निर्माण कार्य प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-II के अन्तर्गत ₹67.00 करोड़ की लागत से केन्द्र सरकार की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है। शैक्षिणिक सत्र 2015–16 से डा0 आर0 पी0 जी0 एम0 सी0 टाण्डा में एम0बी0बी0एस0 सीटें 100 से 150 बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कुल बजट ₹ 6,626.41 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से ₹ 2,686.14 लाख 31.12.2014 मे व्यय किए गए।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालयः–

हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में 20 प्रवेशार्थियों की क्षमता के साथ की गई थी। वर्ष 2007–08 से यह क्षमता 60 विद्यार्थियों के लिए आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 स्नातकोतर विद्यार्थियों को 6 विशिष्ट एम.डी.एस. पाठयक्रम जैसे ओरल सर्जरी, पेयोडोटिक्स, आर्थोडोटिक्स, प्रोस्थोडोटिक्स, ऑपरेटिव डेन्टिस्ट्री एवं पेरियोडोंटिक्स में दाखिला दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 20 छात्रों को डैंटल हाईजीनिस्ट एवं डैंटल मकैनिकल डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्वेश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दंत चिकित्सों एंव पैरा मैडिकल स्टॉफ की मांग को देखते हुए किया गया तथा लोगों को पूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस संस्थान द्वारा आम जनता एवं स्कूली छात्रों की दान्तों से सम्बन्धित ईलाज के लिए विभिन्न स्कूलों व गांवों में दन्त चिकित्सा के 6 मोबाईल कैम्प लगायें तथा 423 रोगियों का ईलाज किया गया व मुफ्त

दवांईया रोगियो को वितरित की गई है। इस संस्थान द्वारा **मुसकान योजना** आरम्भ की गई तथा **आई0आर0डी0पी0** व **बी0पी0एल0** परिवारों के लिये मुफ्त दन्त चिकित्सा दी जा रही है।

वित्तीय उपलब्धियां :

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कुल बजट ₹ 1,139.19 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से 31.12.2014 तक ₹384.30 लाख व्यय किए गए।

आयुर्वेद

17.5 भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 28 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,111 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिसमें एक कार्यशील है), 17 पंचकर्मा 9 क्षार–सूत्रा केन्द् कार्यरत है। जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए.एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, द्रव्य गुण, रोग निदान, पंचकर्म एवं बाल रोग की स्नातकोतर कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा जोगिन्द्रनगर में 30 छात्रों की क्षमता का आयुर्वेदिक (बी) फार्मेसी कोर्स आरम्भ किया गया है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2014–15 के लिए ₹203.94 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें ₹183.44 करोड़ गैर योजना तथा ₹20.50 करोड़ योजना में है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

17.6 राज्य के विभिन्न जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला शिमला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत ₹97.54 लाख़ मूल्य की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत 2 माडल नर्सरियां प्रत्येक 4 हैक्टेयर तथा 10 लघु नर्सरियां–प्रत्येक एक हैक्टेयर के निजी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी तथा 72 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की जाएगी।

औषधि जांच प्रयोगशाला

17.7 वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान डी.टी.एल. जोगिन्द्रनगर द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के 504 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिससे ₹0.99 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

विकासात्मक गतिविधियां:

i) वर्ष 2014–15 में आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय एवं आम जनता को इस बारे जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्थानों में 27 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 40,919 रोगियों का उपचार किया गया। राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय, गैर सरकारी संस्थाओं व आम जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1,638 किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया। 57 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बैच के आधार पर 66 पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे गये।

ii) **राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी:** वर्तमान में तीन फार्मेसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफ्त वितरण हेतु दवाईयों का उत्पादन किया जा रहा है। यह फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। पपरोला में स्थित फार्मेसी राजकीय स्नात्कोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को क्रियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है। विभाग की तीनों फार्मेसियों से औषधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी–बूटियों का औषधियों निर्माण करने हेतु क्रय कर रहा है।

iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 155 सृजित पदों के विरूद्ध 134 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

वर्ष 2015–16 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य

विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये 5 नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, एक आयुर्वेदिक औषधालय का दर्जा बढाकर 10–बिस्तरीय अस्पताल बनाने तथा एक 10/20 बिस्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय को 50 बिस्तरीय अस्पताल में बदलने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

18. समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैः–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

18.2

क) वृद्धावस्था पैंशनः–ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम हो तथा उनकी देख–रेख/ पालन पोषण का उचित साधन न हों व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹35,000 से अधिक न हो को ₹550 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पैशनरों को बिना किसी आय सीमा के ₹1,000 प्रतिमाह की दर से पैशन दी जा रही है।

ख) अपंग राहत भत्ताः– ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो तथा जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹35,000 से अधिक न हो। को ₹550 प्रतिमाह की दर से पैंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक अंपगता वाले व्यक्तियों को ₹750 प्रतिमाह की दर से बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/ गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्वावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वितीय वर्ष 2014–15 में 1,29,819 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं हेतु ₹13,766.55 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹10,167.49 लाख व्यय किए जा चुके है।

ग) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन :–ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख /पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹35,000 से अधिक न हो, इनको भी ₹550 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2014–15 में 66,054 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹5,619.68 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹3,696.40 लाख व्यय किए जा चुके है ।

घ) कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ताः–ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे कुष्ठ रोगियों को ₹550 प्रतिमाह कुष्ठ रोगी पुर्नवास

भत्ता दिया जाता है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2014–15 में 1,482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹137.95 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹63.98 लाख व्यय किए जा चुके है ।

ड़) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना** :–इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 86,831 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹3,185.67 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹2,655.57 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

च) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजनाः**–इस योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2014–15 में 20,136 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹765.17 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹603.94 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

छ) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजनाः**–इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2014–15 में 599 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹21.60 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹16.40 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार से वृद्वावस्था पैंशन हेतु ₹200 व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों हेतु ₹500 प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते हैं। जबकि विधवा पैंशनरों व विकलांगता पैंशनरों हेतु ₹300 प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते है। शेष राशि वृद्वावस्था पैंशन हेतु ₹350 व 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹500 तथा विधवा पैंशनरों हेतु ₹250 प्रति प्रति पैंशनर दर से व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्वावस्था तथा विधवा पैंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि सभी प्रकार के पैंशनरों को एक सामान दर ₹550 प्रतिमाह व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों को ₹1000 प्रतिमाह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ₹450 प्रतिमाह प्रति पैंशनर की दर से व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय वहन कर रही है जिसका बजट प्रावधान राज्य अपंग पैंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले सभी पैंशनरों को एक सामान दर ₹750 प्रतिमाह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके।

स्वरोजगार योजना

18.3 विभाग 3 निगमों द्वारा जो कि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम, हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास

निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अंतर्गत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2014–15 के लिए ₹412.00 लाख के बजट का प्रावधान है तथा 31.12.2014 तक ₹20.00 लाख की राशि निर्गत कर दी गई।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.4 इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:–

i) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहनः**–अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह के लिए ₹50,000 प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2014–15 मे इस योजना के अंतर्गत ₹121.94 लाख के बजट में से 242 दम्पतियों को 31.12.2014 तक ₹102.00 लाख प्रदान किये गए हैं।

ii) **गृह अनुदानः**–इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, को ₹75,000 प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु ₹25,000 आवास मुरम्मत हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में ₹1,842.74 लाख के बजट प्रावधान में 2,452 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। 1,511 व्यक्तियों को इस वर्ष के दौरान 31.12.2014 तक ₹1,093.35 लाख खर्च करके लाभान्वित किया गया है।

iii) **कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः**–इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा ₹1,200 प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वंय व्यय करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को ₹1,000 प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्पयूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को ₹1,500 प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2014–15 के लिए ₹486.18 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2014 तक ₹228.24 लाख व्यय किए गए तथा 1,990 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

iv) **अनुवर्ती कार्यक्रमः**– इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के

लिए ₹1,500 प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अंतर्गत ₹101.39 लाख बजट का प्रावधान रखा गया और लक्ष्य 7,072 का रखा गया है जिसमें से ₹37.08 लाख की राशि 31.12.2014 तक व्यय की गई जिससे 2,472 लोग लाभान्वित हुए।

v) **अनु0 जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को राहतः**– उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उन परिवारों को वितीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति को ₹60,000 से ₹5.00 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है जो कि अत्याचार के प्रकार पर निर्भर है। वर्ष 2014–15 के लिए ₹25.00 लाख का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से ₹5.65 लाख की राशि 31.12.2014 तक व्यय करके 27 परिवारों को सहायता दी गई।

विकलांग कल्याण

18.5 विभाग विकलांगजन के लिए वर्ष 2008–09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 31.12.2014 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से है:–

i) **विकलांग छात्रवृतिः**– इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग विद्यार्थी जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, बिना किसी आय सीमा के इस घटक के अंतर्गत जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनकी छात्रवृति ₹350 से ₹750 प्रतिमास तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ₹1,000 से ₹2,000 तक प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में ₹96.71 लाख के बजट से 31.12.2014 तक ₹69.15 लाख व्यय किए गए तथा 932 विधार्थियों को लाभान्वित किया गया।

ii) **विकलांग विवाह अनुदानः**– सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु (जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो) प्रोत्साहित करने के आशय से ₹8,000 तथा 70 प्रतिशत से ऊपर वाले को 40,000 तक राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत ₹26.50 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2014 तक ₹9.29 लाख व्यय हुए जिससे 95 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

iii) **जागरूकता अभियानः**–इस घटक के अंतर्गत् खण्ड एवं जिला स्तर के केम्पों का आयोजन किया जाता है जिसमें विकलांगजन संघ के प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को आंमत्रित किया जाता है। इन शिविरों में विकलांगजनों के चिकित्सा प्रमाण–पत्र बनाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त विकलांगजन को चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। वर्ष 2014–15 में ₹10.00 लाख की राशि का प्रावधान है। 31.12.2014 तक इस योजना के अंतर्गत ₹4.10 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

iv) **स्वः रोजगारः**– 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ₹10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2014–15 में 31.12.2014 तक निगम द्वारा 41 विकलांग व्यक्तियों को ₹ 155.99 लाख के ऋण उपलब्ध करवाये गये जिस पर विभाग द्वारा ₹ 4.10 लाख का उपदान उपलब्ध करवाया गया।

v) **कौशल विकासः**– चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और ₹1,000 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृति दी जाती है। इस वर्ष 50 विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है वित्तीय वर्ष में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ₹5.30 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

vi) **पुरस्कार योजनाः**– इस योजना के अंतर्गत् निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बाबजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट विकलांगजन को ₹10,000 व श्रेष्ठ निजी नियोजक को ₹25,000 के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए ₹0.50 लाख का प्रावधान है।

vii) **विशेष योग्यता वाले बच्चों को शिक्षाः**– प्रदेश में मूक बधिर व दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो संस्थान ढल्ली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में 18 दृष्टिवाधित तथा 88 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए ₹29.00लाख के बजट में से 31.12.2014 तक ₹13.16 लाख व्यय हुए हैं इस वर्ष ढली स्कूल के लिए हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद को ₹42.62 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम ऊना में 50 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व रहने आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्ष ₹25.00 लाख का बजट प्रावधान था और 31.12.2014 तक ₹13.17 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

viii) **विकलांगता पुनर्वास केन्द्रः**–प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण विकास

अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति उपयोजना

18.6 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्र में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.19 प्रतिशत है।

18.7 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

18.8 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्वि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

18.9 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष "789" बनाया है। इस निधि को एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्य योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट ₹1,013.52 करोड़ में से ₹952.94 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं जबकि वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट ₹1,108.40 करोड़ में से 30.09.2014 तक ₹387.99 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। वार्षिक योजना 2014–15 में ₹1,209.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.10 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यन्वयन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड

विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जो कि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का 10 (क)

18.11 वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2013–14 में 17,790 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 44,981 परिवार लाभान्वित हुए। वर्ष 2014–15 में 31.12.2014 तक 17,790 लक्ष्य के मुकाबले 35,000 अनुसूचित जाति परिवार लाभाविन्त हुए हैं।

बाल कल्याण

18.12

क) मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना

अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिरस्सा, भरमौर, कल्पा(2), शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा में बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) तथा मशोवरा, टुटीकण्डी, मसली (शिमला), सुन्दरनगर(मण्डी), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किलाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन आश्रमों में 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क खाने–पीने तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इन आश्रमों में 1,150 बच्चों को रहने की सुविधा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹634.00 लाख का प्रावधान है तथा दिसम्बर, 2014 तक ₹341.69 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

ख) प्रदेश में बाल/बालिका सुरक्षा योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जिनका पालन बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित अन्य परिवार के पालना दम्पति द्वारा किया जाता है। ऐसे पालना दम्पति को ₹500 प्रति माह प्रति बच्चे की दर से इस योजना के अन्तर्गत राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत 31.12.2014 तक 116 पात्र बच्चों को लाभान्वित कर ₹6.11 लाख व्यय किये हैं।

ग) समेकित बाल संरक्षण योजनाः

कठिन परिस्थितियों में रहने बाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुभेद्यता में कमी लाने मे योगदान देना, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण उन्हें बेसहारा छोड देने तथा अलग कर देने की ओर जाते है, इसे अग्रलिखित द्वारा अर्जित किया जाएगा। इस वितीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत ₹371.75 लाख (केन्द्रीय हिस्सा) आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 31.12.2014 तक ₹310.31 लाख व्यय कर दिए गए हैं।

महिला कल्याण

18.13 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:–

क) नारी सेवा सदन मशोवरा:– इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाऐं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए ₹20,000 तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2014–15 में इस गृह के संचालन के लिए ₹ 36.56 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹19.06 लाख खर्च किए गए। वर्तमान में नारी सेवा सदन में 34 प्रवासी प्रवास कर रहे हैं।

ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:–इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए ₹25,000 का अनुदान दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो। वर्ष 2014–15 में इस उद्देश्य के लिए ₹306.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹203.84 लाख खर्च किये गये जिससे 802 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

ग) महिला स्वरोजगार योजना:– इस योजना के अंतर्गत ₹2,500 उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ₹7.00 लाख का प्रावधान किया गया। दिसम्बर, 2014 तक ₹6.10 लाख की राशि व्यय करके 244 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

घ) विधवा पुनर्विवाह योजना:– इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करके पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को ₹50,000 के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के अंर्तगत ₹32.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक 63 दम्पतियों को ₹23.50 लाख दिए गए।

ड़) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना:– इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय ₹35,000 से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु ₹3,000 प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के लिए ₹516.00 लाख का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹400.58 लाख व्यय किये गए तथा 20,589 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

च) **इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** :– वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित ''इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना'' प्रायोगिक तौर पर हमीरपुर जिला के लिए स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उचित पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से उपर की गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। (राज्य व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर) योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उनकी कमाई में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु ₹6,000 दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2010–11 में ₹64.98 लाख, वर्ष 2011–12 में ₹173.24 लाख, वर्ष 2012–13 में ₹64.84 लाख व वर्ष 2013–14 में ₹124.20 लाख 2014–2015 में दिसम्बर, 2014 तक ₹153.43 लाख भारत सरकार द्वारा जारी किए गए। इस प्रकार योजना आरम्भ होने से आज तक ₹580.69 लाख की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹547.84 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

छ) **माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजनाः** यह योजना अनुसूचित जाति की बी.पी. एल. श्रेणी के परिवारों की महिलाओं के लिए वित्त वर्ष 2011–12 में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत् 50 प्रतिशत की राशि जो कि अधिकतम ₹1,300 होगी उपदान के रूप में गैस कनैक्शन खरीदने के लिए पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत हर वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र मे 75 अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2014–15 के लिए इस योजना के अन्तर्गत ₹66.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक ₹65.98 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 2,290 गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं ।

ज) **विशेष महिला उत्त्थान योजनाः**– राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं, जो नैतिक खतरें में हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए ''विशेष महिला उत्थान योजना'' बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना शुरू की है । योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ₹3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से स्टाईफंड तथा ₹800 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से टेस्ट फीस देने का प्रावधान है। जो महिलाएं स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू करना चाहती हैं, उन्हें महिला विकास निगम से ऋण लेने पर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर उपदान अथवा ₹10 हजार प्रति लाभार्थी, जो कम हो देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में योजना के अन्तर्गत ₹124.97 लाख का बजट प्रावधान है। दिसम्बर,

2014 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला, गंगथ (जिला कांगड़ा) नाहन जिला सिरमौर, सोलन तथा शमशी (जिला कुल्लू) में 153 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जबकि 214 ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

झ) **बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना 2012**: यह योजना दिनांक 22.09.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है । इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में ₹25,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2014–15 में ₹25.00 लाख के बजट का प्रावधान है जिससे 67 महिलाओं को दिसम्बर, 2014 तक वित्तीय सहायता दी गई है।

समेकित बाल विकास सेवाएं

18.14 समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 18,385 आंनवाड़ी केन्द्रों व 515 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें बच्चों, गर्भवती / धात्री माताओं को प्रदान की जा रही हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाएं, टीकाकरण, स्वास्थ्यजॉच, संदर्भ सेवायें, पाठशाला पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है । वित्त वर्ष 2014–15 के लिए आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत प्रावधित बजट ₹17,049.00 लाख था, जिसमें से ₹1,557.00 लाख राज्य का हिस्सा व केन्द्र का हिस्सा ₹15,492.00 लाख है, जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹10,938.45 लाख व्यय किए गए। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रतिमाह ₹3,000, ₹1,500 व ₹2,250 क्रमशः का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के अलावा ₹450, ₹300 व ₹375 क्रमशः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रतिमाह प्रदान कर रही है।

बेटी है अनमोल योजना

18.15 यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली दो लड़कियों तक को लाभान्वित करने के लिए 05–07–2010 से आरम्भ की गई है। इस का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलना, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाना तथा आय के स्त्रोत उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना हैं।

i) **जन्म उपरान्त अनुदान**: गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म के पश्चात्

बालिका के नाम बैंक/डाकघर में दिनांक 2.06.2012 से ₹10,000 जमा कर दिये जाते हैं जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा खाते में से आहरित किये जा सकते हैं।

ii) **छात्रवृतिः** स्कूल जाने पर इन लड़कियों को स्कूल में प्रवेश से बारहवीं कक्षा तक निम्नलिखित दरों पर ₹300 से ₹1,500 प्रतिवर्ष छात्रवृति वार्षिक तौर पर भी दी जाती हैः

1. कक्षा एक से तीन	₹ 300 प्रति वर्ष
2. कक्षा चार	₹ 500 प्रति वर्ष
3. कक्षा पांच	₹ 600 प्रति वर्ष
4. कक्षा छः से सात	₹ 700 प्रति वर्ष
5. कक्षा आठ	₹ 800 प्रति वर्ष
6. कक्षा नौ से दस	₹1,000 प्रति वर्ष
7. कक्षा 10+ 1 व 10 +2	₹1,500 प्रति वर्ष

वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत ₹932.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर, 2014 तक ₹556.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा 15,439 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

किशोरी शक्ति योजना

18.16 यह योजना प्रदेश के 8 जिलों शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा लाहौल–स्पिति में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देना, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाना, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाना है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही विवाह करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के आधार पर केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष प्रति परियोजना ₹1.10 लाख प्रदान करती है। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक 35,325 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 1,061 को कौशल विकास प्रशिक्षण, 20,928 को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियॉ एवं 1,19,153 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई भी राशि नहीं दी गई हैं। लेकिन वर्ष 2013–14 के शेष ₹33.67 लाख में से दिसम्बर, 2014 तक ₹24.74 लाख की राशि खर्च कर दी गई है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रमः

18.17 समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम के तहत विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी0पी0एल0 किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चे ₹6.00, गर्भवती/ धात्री माताएं ₹7.00, बी0पी0एल0 किशोरियां ₹5.00, अतिकुपोषित बच्चे ₹9.00 है। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2014–15 में इस कार्य क्रम के अन्तर्गत ₹ 3,240.00 लाख का राज्य हिस्सा व ₹2,726.48 लाख भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है। जिसमें

से दिसम्बर, 2014 तक ₹5,156.48 लाख व्यय् हुआ है व 4,53,139 बच्चे, 1,02,334 गर्भवती धात्री माताएं तथा 35,732 बी.पी. एल. किशोरियां लाभाविन्त हुई है।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना–(सबला):

18.18 किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 4 जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगडा के लिए 19.11.2010 में प्रायोगिक आधार पर यह योजना चलाई गई है। योजना के अन्तर्गत इन ज़िलों में संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु ₹3.80 लाख भारत सरकार द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रदान किए जाते हैं। दिसम्बर, 2014 तक ₹280.63 लाख की राशि प्राप्त हुई है जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹272.34 लाख व्यय किये जा चुके हैं। किशोरियों को पूरक पोषाहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका व्यय 50:50 आधार पर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार से पोषाहार प्रदान करने हेतु 2014–15 में ₹343.63 लाख प्राप्त हो चुके हैं तथा सम्पूर्ण राशि व्यय हो चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से ₹394.27 लाख प्राप्त हुए है जिसका व्यय किशोरियों को पूरक पोषहार के अन्तर्गत कर दिया गया है।

19. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास

19.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

19.2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) प्रदेश में 1.04.2013 से शुरू किया गया जिसका कार्यन्वयन चरणबद्व तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 विकास खण्डों नामतः कण्डाघाट, बसंतपुर, मण्डी (सदर), नूरपुर और हरोली को कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत स्वरोजगार गतिविधियों जैसे कि ऋण वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता विकास एवं संस्था गत निर्माण आदि का कार्यन्वयन प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए ₹7.84 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है जिसे उक्त गतिविधियों के कार्यन्वयन पर व्यय किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में कुल 8000 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोडना प्रस्तावित है जिन्हें ₹48.00 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो जिलों नामतः शिमला व मण्डी में समस्त महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा शेष 10 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है। किन्तु उक्त ब्याज दरें मात्र उन स्वयं सहायता समूहों के लिए ही लागू होगी जिनकी ऋण अदायगी समय सीमा के भीतर नियमानुसार हुई हो।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) के घटक आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने 17 परियोजनाओं का अनुमोदन हाल ही में किया है जिनकी कुल लागत ₹166.49 करोड़ है। इस राशि का वहन भारत तथा राज्य सरकार के मध्य 75:25 की भागीदारी में किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 49,537 ग्रामीण युवकों को विभिन्न ट्रेड में 3 वर्षों के अन्तराल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तथा इन प्रशिक्षित युवकों में से 40,170 युवकों को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।

आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2014 तक जिला वार

वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹ लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उप–लब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
बिलासपुर	491	175	294	158.12
चम्बा	1314	62	788	95.03
हमीरपुर	553	111	331	262.20
कांगडा	1792	66	1075	434.60
किन्नौर	80	108	48	25.80
कुल्लू	319	123	192	87.20
लाहौल–स्पिति	68	71	41	27.10
मण्डी	1171	673	704	451.27
शिमला	898	2275	539	407.02
सिरमौर	388	44	232	64.57
सोलन	496	34	298	116.13
ऊना	430	37	258	61.75
कुल	**8000**	**3779**	**4800**	**2190.79**

वाटरशैड विकास कार्यक्रम

19.3 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर क्षेत्रों भूमि, सूखा ग्रस्त मरूस्थल क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विभाग द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लयू.एम.पी) चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारम्भ से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) के अन्तर्गत 67 परियोजनाएं (869 माइक्रो वाटरशैड) जिनकी कुल लागत ₹254.12 करोड़ है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म जलागम स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत ₹116.50 करोड़ तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 552 सूक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत ₹159.20 करोड़ है तथा 2,36,770 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु स्वीकृत हुई है। इस योजना के आरम्भ से दिसम्बर, 2014 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹242.92 करोड़ सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पर ₹113.40 करोड़ तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अनर्गत ₹107.15 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटरशैड प्रबन्धन योजना (आई.डब्लयू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 से 2014–15 में प्रदेश के सभी जिलों के लिए 163 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत ₹1,259.96 करोड़ है तथा 8,39,972 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ₹197.01 करोड़ की धनराशि (90:10 केन्द्र एवं राज्य भाग क्रमश:) निर्मुक्त की जा चुकी है तथा इस निर्मुक्त राशि में से दिसम्बर, 2014 तक ₹163.62 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना

19.4 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को ₹75,000 प्रति परिवार के हिसाब से नये मकान के निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार की भागीदारी 75:25 के अनुपात में होती है।

वर्ष 2014–15 में कुल 4,688 नए मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्व दिसम्बर, 2014 तक शत प्रतिशत मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं, जोकि निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹19.92 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है।

मातृ शक्ति बीमा योजना

19.5 यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना में परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो को राहत के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, प्रजनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू–स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत बीमा राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती हैः–

i) मृत्यु पर ₹ 1.00 लाख
ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर ₹1.00 लाख
iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर ₹1.00 लाख
iv) एक आंख या एक अंग की क्षति पर ₹ 0.50 लाख
v) पति की मृत्यु पर ₹1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक 111 परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत ₹111.00 लाख की धन राशि सहायता के रूप में प्रदान की गई हैं ।

राजीव आवास योजना

19.6 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को नये मकान के निर्माण हेतु ₹75,000 की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 2014–15 के लिए 1,333 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्व सभी मकानों की स्वीकृती प्रदान कर दी गई है। दिसम्बर, 2014 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹554.74 लाख व्यय किये जा चुके है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पूर्व में निर्मल भारत अभियान

19.7 निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन प्रदेश में वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान को पर्नगठित करके स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नए स्वरूप में 2014 से 2019 की अवधि में मिशन मोड में चलाने का निर्णय लिया है।

कार्यक्रम के मुख्य बदलाव के अन्तर्गत बिना शौचालय के शेष बचे बीवपी0एल0 व ए0पी0एल0 (Identified) परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर ₹12,000 का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है जबकि निर्मल भारत अभियान में अनुदान केवल ₹ 5,100 था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में ठोस एवं तरल

कचरा प्रबन्धन को प्रत्येक ग्राम पंचायत में परियोजना आधार पर क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को परिवार की संख्या 150/300/500 व 500 के आधार पर क्रमशः ₹7.00 ₹12.00 ₹15.00 व 20.00 लाख प्रदान किये जा सकते हैं।

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 12 जिलों में परियोजना आधार पर चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। निर्मल भारत अभियान की वर्तमान स्वीकृत परियोजना अनुसार 31.12.2014 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय प्रगतिः

(राशि लाख ₹ में)

भाग	कुल परियोजना परिव्यय	जारी राशि	खर्चा
केन्द्र	60195.67	9955.85	5242.57
राज्य	23185.98	2939.38	1703.10
लाभार्थी	1874.03	134.41	134.41
कुल	85255.68	13029.64	7080.08

भौतिक प्रगतिः–

घटक	लक्ष्य जो 1–4–2012 को निर्धारित किए गए	उपलब्धि	टिप्पणी
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	202746 (BPL-26829 APL-175917)	36295	-
स्कूल शौचालय	6130	2035	यह घटक स्वच्छ भारत मिशन में शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।
आंगनबाड़ी शौचालय	1997	1109	
समुदायिक स्वच्छता परिसर	1593	360	
ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन	3243 GPs	इस घटक का कार्यन्वयन चरणबद्व तौर पर होना है। वर्ष 2014–15 के लिए 477 ग्राम पंचायतों का चयन किया है।	

वर्ष वार प्रगतिः–

(राशि लाख ₹ में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	जारी राशि	खर्चा	जारी राशि	खर्चा
2012-13	1666.96	1659.06	501.63	557.86
2013-14	3049.74	2261.76	1091.62	783.10
2014-15 Upto 10/14	5239.15	1321.75	1346.13	362.14

भौतिक प्रगतिः–

वर्ष	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	स्कूल शौचालय	आंगनबाड़ी शौचालय	सामुदायिक शौचालय परिसर
2012-13	कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि परियोजना स्वीकृति चरण पर थी।	1215	1066	163
2013-14	3666	638	38	148
2014-15 Upto 12/14	32629	182	5	49

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजनाः

19.8 महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के दिशा निर्देशों अनुसार महिला मण्डल जिनके द्वारा अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाह्य शौच मुक्त करने व इसके स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2014–15 के लिए इस योजना में ₹131.04 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

19.9 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्तूबर, 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किए थे तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में वितरित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यो को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुरक्षित स्वच्छता व निर्मल वातावरण को बढावा देना।
2. पंचायती राज संस्थाओं को गांव को खुले में शौच मुक्त रखने व ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. निर्मल वातावरण को बनाए रखने हेतु बढावा देना।
4. निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन में सामाजिक लामबंदी हेतु उत्प्रेरक भूमिका निभाने में विभिन्न संस्थाओं को बढ़ावा देना।

हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या	वितरित पुरस्कार राशि
2007	22 ग्राम पंचायतें	26.00लाख
2008	245 ग्राम पंचायतें व एक खण्ड	363.00लाख
2009	253 ग्राम पंचायतें	364.50लाख
2010	168 ग्राम पंचायतें	261.50लाख
2011	323 ग्राम पंचायतें	430.50लाख
2012	भारत सरकार द्वारा इस वर्ष निर्मल ग्राम पुरस्कार की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई।	
2013	21ग्राम पंचायतें	76.00लाख
2014	भारत सरकार द्वारा इस वर्ष निर्मल ग्राम पुरस्कार की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई।	

राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

19.10 प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरूस्कार योजना प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत खण्ड/जिला/मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹1.00 लाख
2. जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹3.00 लाख
   क) 300 से कम ग्राम पंचायतों के लिए जिला में एक पुरस्कार
   ख) 300 से अधिक के ग्राम पंचायतों के लिए जिला में दो पुरस्कार
3. मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹5.00 लाख
4. राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹10.00 लाख

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2014–15 के लिए ₹148.00 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजनाः

19.11 राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत राज्य प्रोत्साहन योजना दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना में हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना है जो प्रति वर्ष फरवरी माह से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल को समाप्त होती है :–

- जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹50,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार ₹20,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।

- द्वितीय पुरस्कार (केवल खण्ड स्तर पर) ₹10,000

इस योजना में वर्ष 2014–15 के लिए ₹88.20 लाख का प्रावधान पुरस्कार राशि हेतु किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

19.12 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी, 2006 में इसे लागू किया गया। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्ड़ी और जिला कांगड़ा में लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को लागू किया गया है।

वर्ष 2014–15 तक भारत सरकार द्वारा ₹28,569.29 लाख तथा प्रदेश सरकार के राज्य हिस्से के रूप में ₹3,163.57 लाख रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं जिलों के पास कुल उपलब्ध राशि ₹33,770.58 लाख तथा स्टेट इम्पर्लामैंट गारंटी फण्ड में 2 जनवरी, 2015 तक ₹13.22 लाख की राशि उपलब्ध थी तथा ₹ 31,533.94 लाख व्यय किए जा चुके हैं। 3,82,250 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवा कर 132.68 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गए हैं।

20. आवास एवं शहरी विकास

आवास

20.1 हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फ्लैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। मार्च, 2014 तक प्राधिकरण द्वारा 12,670 मकान/ फ्लैटों का निर्माण तथा 4,695 प्लाटों का विकास विभिन्न आवासीयों योजनाओं के अर्न्तगत किया गया है।

20.2 इस वर्ष में ₹11,344.05 लाख बजट के अन्तर्गत 344 फ्लैटों का निर्माण करने, 179 प्लाटों को विकसित करने के लिए तथा विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों को करने का प्रावधान रखा गया है।

20.3 वर्ष 2013–14 के दौरान हिमुडा ने मार्च, 2014 तक 47 भवनों का निर्माण डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत किया है और 50 भवनों का निर्माण मार्च, 2015 तक करने का लक्ष्य है।

20.4 हिमुडा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवायें, पशु पालन, शिक्षा, मछली पालन, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, हिमाचल बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण, शहरी विकास निकाय, पंचायती राज और आर्युवेदा विभाग का निर्माण कर रहा है।

20.5 ठियोग,छबरोगटी, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला परवाणु, जुरजा (नाहन) और बटोलीखुरद (बद्दी) मे आवासीय कालोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सम्भतः मार्च, 2015 छवरोगटी, फ्लावरडेल और परवाणू का कार्य तक पूर्ण कर दिया जायेगा। वर्तमान में हिमुड़ा के पास 412.00 बीघा जमीन विभिन्न स्थानों पर है और भूमि अर्जित का कार्य भी कार्य भी विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है।

20.6 अगले वित्तीय वर्ष में नई आवासीय स्कीम सोलन, बटोलीखुरद, त्रिलोकपुर (नाहन) और वाणिज्य परिसर समीप पेट्रोल पम्प विकासनगर, शिमला में किया जायेगा।

20.7 जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनकरण मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबो के लिए मूलभूत सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत 176 फ्लैटों (आशियाना–2) ढली, शिमला में निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत हमीरपुर में 72 फ्लैटों का, परवाणु में 192 फ्लैटों का निर्माण और नालागढ़ 128 फ्लैटों का कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। यु0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत हिमुडा ने मण्डी कस्बे में सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजेशन का कार्य किया है।

20.8 मानवीय अवलोकन को कम करने के लिये हिमुडा में पारदर्शिता लाने के

लिये ई–गवरनेंस और रिकार्ड को मुख्य कार्यालय में डिजिटलाइजेशन किया है तथा हिसाब के लिये इन्टर प्राईस रिसोर्स पलानिंग (ई0आर0पी0) की स्थापना की है।

शहरी विकास

20.9 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्रूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदेश में नगर निगम, शिमला समेत कुल 50 शहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है।

20.10 चतुर्थ राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2014–15 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹7,040.12 लाख की राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी शामिल है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनाः

20.11 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य शहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कुशल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार शहरों की आर्थिक तथा सामाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मे केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गया।

20.12 इस योजना के अर्न्तगत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है। इस वितीय वर्ष में ₹7,078.00 लाख सामान्य योजना तथा ₹2,015.00 लाख अनुसूचित जाति उप–योजना विशेष घटक योजना के अनतर्गत 800 बसों को खरीदने हेतु जारी किए जा चुके हैं।

इस योजना में निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैः–

1. शिमला शहर के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बढ़ौतरी लाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, शिमला मोटर सड़क पर सुरंग का निर्माण व सड़क को चौड़ा करना।
3. शिमला शहर के लिए शहरी परिवहन में 75 बसों को खरीदना।
4 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए परिवहन व्यवस्था हेतु 800 बसों को खरीदना।
5 शिमला नगर के गरीबों को आशियाना–1 और 2 के तहत बुनियादी आवास योजना सेवाएं प्रदान करना।

एकीकृत गृह एवं मलिन बस्ती विकास योजना(आई.एच.एस.डी.पी.)

20.13 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी युनिट (दो कमरे, एक रसोई तथा शौचालय) के निर्माण

का प्रावधान है। एक रिहायशी ईकाई ₹1.00 लाख की लागत से बनाया जाना है। यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आठ योजनाओं हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन, परवाणू, बद्दी, नालागढ़, सुन्दरनगर तथा सरकाघाट के लिए ₹5,283.07 लाख जिसमें ₹3,794.42 लाख केन्द्र तथा ₹1,488.65 राज्य सरकार का अंश है। 402 रिहायशी ईकाईयों का निर्माण हो चुका है तथा 70 ईकाईयों का कार्य मार्च, 2015 तक सम्भवता पूर्ण हो जायेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2014–15 में ₹20.00 लाख का बजट प्रावधान है जो कि 31.3.2015 तक खर्च कर लिया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

20.14 50 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कों, रास्ते, गलियों तथा 1,139 किलोमीटर नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है अनुपात में उन्हें ₹600.00 लाख इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

20.15 इस महत्वपूर्ण योजना का उद्वेश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को क्षमता विकास, प्रशिक्षण एवम वितीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार अवसर प्रदान करना है ताकि वे गरीबी की परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक संपन्न अथवा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं:–

1. कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार।
2. सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास।
3. क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण।
4. स्वरोजगार कार्यक्रम।
5. बेघर के लिए आश्रय।
6. शहरी स्टीट वेन्डर को सहारा।
7. अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं।

वर्ष 2014–15 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹50.00 लाख राज्य भाग का प्रावधान है तथा ₹250.13 लाख केन्द्र द्वारा आबंटित किया गया है।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना(यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

20.16 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) रखा गया है इस योजना के तहत 13 शहरों हमीरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट, मण्डी, रिवालसर, रामपुर, नगरोटा, कांगड़ा, मनाली, कुल्लू, परवाणु, नालागढ़ तथा बद्दी शहरों को लाया जा चुका है। जिसके अनुमोदित योजना ₹40,654.11 लाख है जिसमें से ₹ 21,455.47 लाख राज्य भाग समेत जारी किया जा चुका है इस वित्तीय वर्ष ₹270.00 लाख केन्द्रीय भाग तथा ₹30.00 लाख राज्य भाग का बजट प्रावधान है।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)

20.17 मलीन बस्तियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना का उद्देश्य निश्चित तरीके से मलीन बस्ती में रहने वालों की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना है। इसमें निम्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना है:–

- मौजूदा मलिन बस्तियों को औपचारिक व्यवस्था के भीतर लाना और इन्हें सुदृढ करना ताकि वे शेष नगर की तरह ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सके।
- औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना जो स्लमों के निर्माण का कारण बनी हैं ।
- शहरी भूमि और आवास की समस्याओं को हल करना जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुँच से बाहर हुए हैं और आजीविका और रोजगार के अपने संसाधनों को बनाए रखने के उद्देश्य से वे अनेक अनुचित कार्यों का सहारा लेने के लिए विवश हुए हैं।
- भारत सरकार ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला शहर के कृष्णानगर स्लम के लिए ₹3,399.65 लाख की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत कृष्णानगर स्लम में 300 घरों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 224 लाभार्थी परिवारों को उसमें बसाया जाएगा तथा 76 आवास किराये के आधार पर दिये जाएगें। इस योजना में अभी तक ₹1,067.20 लाख जारी किये जा चुके है।

13वां वित्तायोग अनुदान

20.18 13वें वित्तायोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया है जो कि सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान हैं। यह अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को 60 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जा रही है। इसके लिए ₹2,423.00 लाख सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान का बजट प्रावधान है जिसमें से ₹1,064.40 लाख प्रदान किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त 13 सैलानी शहरों में पार्किंग निर्माण, मल निकासी तथा गंदा पानी निकास एवं ठोस कचरा प्रवंधन सयन्त्र के निमार्ण हेतु ₹5.00 करोड़ प्रदान किए जा चुके हैं।

मल व्यवस्था योजना

20.19 वित्त वर्ष 2014–15 में प्रदेश के शहरों में चल रही मल निकासी व्यवस्था योजनाओं को पूरा करने हेतु ₹28.00 करोड़ सामान्य योजना तथा विशेष घटक योजना में उपलब्ध करवाए गए हैं जो कि सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए जा चुके हैं। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

नगर एवम् शहरी योजना

20.20 सन्तुलित विकास और विनियमन द्वारा भूमि संसाधनों में कमी के दृष्टिगत जनसांख्यिक और सामाजिक आर्थिक तथ्यों का विवेकपूर्ण उपयोग करके कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 33 योजना क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र) का 1.42 प्रतिशत और 34 विशेष क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.27 प्रतिशत) है में लागू किया गया है।

20.21 योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए भोटा, सुजानपुर, नादौन, अम्ब–गगरेट, सुन्दरनगर, जोगिन्दरनगर, चौपाल, नारकण्डा, संगडाह, बैजनाथ–पपरोला, घुमारवीं और श्री नैना देवी जी 12 योजना क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। अतिरिक्त धर्मशाला योजना क्षेत्र और दो विशेष क्षेत्रों नामतः भरमौर और बाबा बालक नाथ में वर्तमान भू–उपयोग को अपनाया गया है।

20.22 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2015–16 हेतु निम्नलिखित आंचलिक क्षेत्रों के गठन, वर्तमान भू–उपयोग मानचित्रों, विकास योजना और क्षेत्रीय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

i) शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सोलन और बिलासपुर को योजना क्षेत्र गठित करना ।

ii) हमीरपुर, अम्ब गगरेट, और संगडाह योजना क्षेत्रों और काजा, पांगी, बीरबिंलिग और केलॉग विशेष क्षेत्रों हेतु भू–उपयोग मानचित्रों को तैयार करना।

iii) हमीरपुर, कमांद, चायल, सोलंग और बीरबिलिंग हेतु विकास योजना तैयार करना ।

20.23 13 स्थानीय शहरी निकायों नामतः अर्की, राजगढ़, दौलतपुर, सन्तोखगढ़, कांगड़ा, नूरपुर, नगरोटा, देहरा, ज्वालामुखी, चुवाड़ी, सरकाघाट, रिवालसर और करसोग को योजना क्षेत्र बनाने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ठियोग, रोहडू, सराहन, चिन्तपूर्णी और मैहतपुर की विकास योजनाएं तैयार कर ली गई है और इनमें संबृद्धि की जा रही है। राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीयकरण करने का कार्य प्रगति पर है।

20.24 चालू वित्त वर्ष 2014–15 के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों हेतु ₹150.00 लाख रूपये की राशि इस विभाग को आबंटित की गई, जिसमें से ₹24.50 लाख रूपये की राशि 31.12.2014 तक व्यय हो चुकी है।

20.25 हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में योजना स्वीकृति सम्बन्धी फीस आधी कर दी गई है ताकि जनसाधारण योजना स्वीकृति स्वेच्छा से प्राप्त करें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे तथा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए किसी प्रकार की फीस देय न होगी। स्थानीय मूल निवासियों को

आवासीय उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के वास्ते फीस देय न होगी।

20.26 हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में कालोनी / अर्पाटमैन्ट के निर्माण क्रय एवं रख रखाव हेतु विस्तुत नियम बनाये गये हैं।

20.27 माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार औद्योगिक उपयोग में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए औद्योगिक कस्बों में फीस आधी और एफ0ए0आर0 में वृद्धि की गई है।

20.28 यह नितिगत निर्णय लिया गया है कि समस्त नगरपालिका क्षेत्रों / कस्बों तथा उभरते विकास केन्द्रों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के दायरे में लाया जाएगा तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के अन्त तक प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान / विकास योजना तैयार की जाएगी। इस पहल से नियोजित विकास एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबन्धन, समग्र विकास तथा पर्यावरण आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करने हुए मानवीय बस्तियों को बसाने का उद्देश्य प्राप्त होगा।

शहरी निकायों की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

20.29 राज्य में विकास की प्रक्रिया को नियन्त्रित करने हेतु सरल एवं पारदर्शी नियम तैयार किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे सिस्टम का अध्ययन किया जा रहा है ताकि जनसाधारण तथा विशेषकर समाज के निम्न वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके।

प्रदेश के समस्त योजना / विशेष क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता की उत्तम सेवा के लिए टी0सी0 पी0 वैब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विकास योजनांए बनाने का कार्य आऊटसोर्स किया जा रहा है।

20.30 प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव से रीयल एस्टेट व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा जो कुशल एवं व्यवसायिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

21. पंचायती राज

पंचायती राज

21.1 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। सविधान के 73वें संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में चौथा कार्यकाल है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठशालाओं में अंशकालिक जलवाहक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। लेखापाल की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता तथा निजि सहायक की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है।

21.2 ग्राम पंचायतों को प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व तथा रखरखाव सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा शुल्क अधिरोपित करने तथा आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के मामले सुन सकती है तथा ₹500.00 प्रतिमाह तक भरण पोषण प्रदान करने हेतु आदेश दे सकती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

21.3 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर पर कार्यरत कर्मी उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कर्मचारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो

रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

21.4 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतु वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ii) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को ₹ 6,500 तथा ₹4,500 प्रति मास, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को ₹3,500 तथा ₹ 2,400 प्रति मास तथा प्रधान व उप–प्रधान ग्राम पंचायत को ₹2,100 एवं ₹ 1,800 प्रति मास मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹2,400 तथा ₹ 2,100 प्रति मास कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक फीस की दर को ₹ 200 प्रति बैठक कर दिया गया है।

iii) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतु भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

iv) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की है।

v) राज्य वित्तायोग के अर्न्तगत अनुदान के रूप में ₹1,850 प्रति चौकीदार, ग्राम पंचायत के हिसाब से समस्त 3,243 ग्राम पंचायतों के अनुदान के रुप में राशि प्रदान की जा रही है।

vi) वर्ष 2014–15 में राज्य वित आयोग के अन्तर्गत पंचायत समिति भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अपवर्धन के लिए ₹1.50 करोड़ का प्रावधान किया गया।

vii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध/ नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार से हैः–पंचायत सहायक को क्रमशः (अनुबंध) ₹7,000, पंचायत सचिव (अनुबंध) ₹7,810, कनिष्ठ लेखापाल (अनुबंध) ₹7,810, (नियमित) ₹5,910–20,200+1,900, कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबंध) ₹14,100 (नियमित)10,300–34,800 +3800, कनिष्ठ आशुलिपिक (अनुबंध) ₹8,710 (नियमित), 5,910–20,200+ 2,800, सहायक अभियन्ता (अनुबंध) ₹21,000, (नियमित) 15,600–39,100+5,400, सिलाई अध्यापिका ₹2,000, विकास खण्ड अभियंता ₹18,000, पंचायत चौकीदार को ₹2,000 कर दिए गए हैं।

viii) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो जिलों चम्बा तथा सिरमौर में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना को इन जिलों में कियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान विकासात्मक कार्यों के अनुदान की वार्षिक राशि ₹33.51 करोड़ अर्थात ₹18.46 करोड़ जिला चम्बा तथा ₹15.05 करोड़ जिला सिरमौर को आबंटित की गई।

ix) विभाग ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से चालू वित्त वर्ष में एक परियोजना 75:25 के आधार पर स्वीकृत करवाया है। इस परियोजना के अन्तर्गत ₹51.00 करोड़ की स्वीकृत राशि में से ₹20.34 करोड़ की प्रथम किश्त चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की ₹5.08 करोड़ की राशि प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों का निष्पादन किया जाना है:–

क) पंचायतों के भवनों का निर्माण/मुरम्मत तथा अपवर्धन ।

ख) जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ/एक्सटेंशन प्रशिक्षण केन्द्रों का अपवर्धन ।

ग) जिला पंचायत स्त्रोत केन्द्र तथा खंण्ड स्तरीय स्त्रोत केन्द्र का निर्माण।

घ) पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए राज्य के अन्तर्गत तथा बाहर के राज्यों में एक्सपोजर विजिट।

ड़) पंचायती राज प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों का क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण।

x) 13वें वित्तायोग अवार्ड के अन्तर्गत वार्षिक एनटाईटलमेंट ₹1.66 करोड़ है।

xi) भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 7 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को 12 प्रस्तावित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिया है। पंचायत/ विभागीय कर्मचारियों को इन एप्लीकेशनो के बारे में प्रशिक्षण पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में प्रदान किया गया।

22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

सूचना और प्रौद्योगिकी हिमस्वान

22.1 राष्टीय ई–शासन योजना के तहत, सूचना प्रौद्यिगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा (डी.आई.टी.एच.पी.) हिमस्वान नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया गया। हिमस्वान ब्लाक स्तर तक सब राज्य सरकार के विभागों के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हिमस्वान कुशलतापूर्वक विभिन्न इलैक्टोनिक सेवाऐं जी.टू. जी.(सरकार से सरकार) जी.टू.सी. (सरकार से नागरिक), जी.टू.वी. (सरकार से व्यापार) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलैक्टोनिक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने छः वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए इस परियोजना को वित पोषित किया था। हिमस्वान 5 फरवरी, 2008 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अवधि वर्ष 2014 तक समाप्त हो गई है। अब राज्य सरकार इस परियोजना के संचालन तथा रखरखाव का खर्च वहन कर रही है।

हिमस्वान परियोजना तीन स्तरीय वास्तुकला का उपयोग करते हुए वर्ष 2007–08 में बनाई गई। आजकल कम लागत वाली तकनीक सुलभ है। इसलिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एम. पी.एल.एस.(मल्टी प्रोटोकोल लेवल सविचिंग) बी.पी.एन.ओ.बी.वी.(वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ब्राडबैंड) जिससे तीन स्तरीय वास्तुकला के स्थान पर अधिक प्रबंधनीय एक स्तरीय वास्तुकला का उपयोग करने का फैसला किया। अब सभी कार्यालय का एस.एच. क्यू0–एन.ओ.सी. से सीधे जुड़ाव होगा।

हिमस्वान की वर्तमान स्थिति

- राज्य भर में 1,765 सरकारी कार्यालय हिमस्वान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- अब एम./एस. ओरेंज व्यापार सेवाएं को तीन वर्ष की अवधि के लिए एस. एच.क्यू. पी.ओ.पी. हिमस्वान के संचालक के रुप में नियुक्त किया गया है। एम.एस. ओरेंज व्यापार सेवाओं ने हिमस्वान की सेवाओं का प्रबंधन 1 सितम्बर, 2014 से शुरु कर दिया है।
- एम.एस.के.पी.एम.जी. सेवा को हिमस्वान की तीसरी पार्टी के लेखापरीक्षक (टी.पी.ए.) के रुप में हिमस्वान के संचालक स्तर की निगरानी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। टी.पी. ए. ने 18 जुलाई, 2014 से सेवाएं शुरु कर दी हैं।
- अब तक 428 कार्यालयों को नई वास्तुकला में स्थानांतरित किया गया है बाकि कार्यालयों की प्रवासन प्रक्रिया जारी है।

राज्य डाटा केन्द्र(एच.पी.एस.डी.सी.)

22.2 राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन.ईजी.पी.) के तहत, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में सूचना प्रोद्यौगिकी की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर की स्थापना प्रक्रिया में है। विभिन्न सरकारी विभागों के आवेदनों की मेजवानी के लिए तथा नागरिकों के लाभ के लिए जी.टू.सी. (सरकार से नागरिक), जी.टू.जी.(सरकार से सरकार) जी0टू0वी0(सरकार से व्यापार)

सेवाएं तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए आम बुनियादी ढांचा तैयार करना (सर्वर, बिजली, वातानुकूलन, कनेक्टिविटी यूपीएस, नेटवर्क घटकों आदि) जिसमें सूचना प्रोद्यौगिकी बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा एकीकरण (सर्वर, दूर संचार उपकरणों एकीकृत पोर्टल/विभागीय सूचना प्रणाली उद्यम और नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा, फायरवॉल/ आईडीएस नेटवर्किंग घटक इत्यादि) सोफटवेयर, डाटावेस तैयार करना शामिल है।

इलैक्टोनिक तथा सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार में पांच साल की अवधि के लिए स्थापना, संचालन और राज्य डाटा सेंटर के रख–रखाव की लागत को वहन कर रहे हैं।

एच.पी.एस.डी.सी. की स्थिति

- एच.पी.एस.डी.सी. के भवन का निर्माण हिमुडा द्वारा मैहली शिमला में किया गया है।
- एम./एस. ओरेंज व्यापार सेवा पहले डाटा केन्द्र की स्थापना तथा फिर इस परियोजना के चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। एम.एस. ओरेंज विजनेस सर्विसज ने 26 मई, 2014 से काम शुरु कर दिया है।
- एम./एस. ई. एण्ड वाई. की, एच.पी. एस.डी.सी. में सेवा के स्तर की

  निगरानी पांच वर्ष की अवधि के लिए तीसरी पार्टी नियुक्त किया गया है जिसका एच.पी.एस.डी.सी. संचालक द्वारा पालन किया जा रहा है। टी.पी.ए. में 24 सितम्बर, 2014 से सेवाएं शुरु कर दी है।

लोकमित्र केन्द्रों की स्थापना

22.3 इस योजना का उददे्श्य सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी के उपकरणों का उपयोग करके एक समन्वित तरीके से राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 3,366 लोक मित्र केन्द्रों की स्थापना करना तथा ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजि तथा सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं सीधे उपलब्ध करवाना है। लोक मित्र केन्द्र ग्राम स्तर पर राज्य के नागरिकों को जी.टू.सी. सेवाओं को उपयोगकर्ताओं तक सीधे पंहुचा रहे है। राज्य सरकार भी ई–जिला परियोजना लागू कर रही है। 51 सेवाओं को ई–जिला मिशन मोड परियोजना के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इन सेवाओं की डिलिवरी भी लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से की जा रही है।

स्थितिः–

वर्तमान में कुल 3,366 लोक मित्र केन्द्रों में से 2,301 सी.एस.सी. स्थापित किए गए है जिनमें से 1,940 लोक मित्र केन्द्र सक्रिय रुप से निम्न जी.टू.सी. सेवाएं प्रदान कर रहे हैः–

1) एच.पी.एस.ई.वी. बिजली बिल का संग्रह।
2) आई.पी.एच. पानी का बिल।
3) नकल जमाबन्दी के प्रति जारी करना (भू–अभिलेख) ।
4) एच.आर.टी.सी. टिकट बुकिंग आदि ।

राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

22.4 सेवा डिलिवरी गेटवे एन.ई. जी.पी. के तहत ई–शासन के बुनियादी ढांचे का मुख्य घटक है। इस परियोजना के अंतर्गत नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें एवं नागरिकों के द्वारा किए गए आवेदन इलैक्टोनिक रुप में सम्बंधित विभागों को भेजे जाएगें। 14 विभागों की 49 सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक सेवा के लिए कार्य प्रवाह के साथ पोर्टल और ई. फार्म को अन्तिम रुप दे दिया गया है और विकसित प्रणाली लागू की गई है।

स्थितिः–

वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 38 जी.टू.सी. सेवाओं को www.eserviceshp.gov.in पर राज्य पोर्टल से नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

22.5 भारत सरकार की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार के लिए तकनीकी व व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध करवाना तथा विभिन्न ई–गवर्नेस परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता प्रदान करना है।

1. एस.टी.ई.पी. कार्यक्रम एन.आई.एस. जी. के सहयोग से विभाग द्वारा आयोजित किया गया जिसमें ई–गर्वनेंस परियोजना के जीवन चक्र परिवर्तन, प्रबन्धन और परियोजना प्रबन्धन पर नीति निर्णय लेने एवं विशेष कौशल तैयार करने के लिए चर्चा की गई। डी.ई.जी.एस. सभी 12 जिलों में बनाई गई है।
2. आज तक 2,323 कर्मचारियों को क्षमता निर्माण परियोजना के तहत प्रशिक्षत किया गया है ।
3 SeMT परियोजना के अन्तर्गत 3 तकनीकी संसाधनों को NeGD के माध्यम से तैनात कर दिया गया है।
4 SeMT ने ई–प्रशासन परियोजना के तहत विभिन्न विभागों के लिए लगभग 87 दस्तावेज/रिपोर्ट तैयार की है।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

22.6 राजस्व न्यायालय मामले की निगरानी प्रणाली प्रभाग, जिला, मण्डलायुक्त और तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों के उपयोग के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा राजस्व अदालतों की दैनिक कार्यवाही अन्तरिम आदेशों/निर्णयों को प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व मामलों का ब्यौरा आम जनता के लिए ऑन लाइन उपलब्ध है नागरिकों को अपने मामलों की स्थिति सूची देखना अन्तरिम आदेशों/निर्णयों को ऑनलाइन डाउनलोड़ कर सकते हैं।

आर.सी.एम.एस. की स्थितिः

1. आर.सी.एम.एस. परियोजना को भारत में ई–गर्वेनस की पहल को पहचानने के लिए राष्टीय स्तर पर 2014 सी.एस.आई. निहिलैट ई. गर्वेनस पुरस्कार मिला है।
2. 242 राजस्व न्यायालयों में आर.सी.एम. एस.सोफ्टवेयर का उपयोग हो रहा हैं।

3. 54,940 अदालती मामले आर.सी.एम. एस. में दर्ज किए गए है। जिनमें से 24,842 मामलों का फैसला हो चुका है।

अभियोग निगरानी प्रणाली

22.7 किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक बड़ी चुनौती है। सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सामान्य साफ्टवेयर तैयार किया गया है इस साफ्टवेयर के प्रयोग से सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से कर सकते है और लम्बित मामलों का निर्धारित समय में उत्तर तैयार करना, वर्तमान स्थिति और व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों का निरीक्षण कर सकते हैं।

एल.एम.एस.की स्थितिः

1. सभी सरकारी विभाग अपने मामलों की दैनिक स्थिति को देखने के लिए एल.एम.एस. का उपयोग कर रहें हैं।
2. सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग में माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट एल. एम.एस. सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण के लिए माडयूल तैयार किया है। एल.एम.एस. साफ्टवेयर के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को देख व डाउनलोड़ कर सकते हैं।

निम्नलिखित विशेषताओं को एल.एम.एस. साफ्टवेयर में शामिल किया गया है।

- ई–मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना, अतिरिक्त निदेशकों, विभागों के प्रमुखों, नोडल अधिकारियों को भेजी जाती है।
- संबंधित विभाग के मामले का विवरण दर्ज होने पर स्वचालित पत्र तैयार हो जाता है।
- विलोपन/मामलों का स्थानांतरण सॉफ्टवेयर में शामिल है।

एकमात्र आई.डी. (आधार)

22.8 आधार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 2010 में शुरु किया गया था और तब से राज्य सरकार ने आधार बनाने में अग्रणी स्थान बनाए रखा है। 68.34 लाख (98.22%) से अधिक राज्य के निवासियों को नामांकित किया जा चुका है। 65.47 लाख (95.34%) से अधिक के यू.आई.डी. बनाए जा चुके हैं। शेष निवासियों का नामांकन मोबाईल वैन अभियान द्वारा स्थायी पते पर किया जा रहा है।

स्थिति

- एस.आर.डी.एच. (स्टेट रेजिडेंट डाटा हव) का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है जो आधार सिडिंग में विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करता है।
- आधार के डाटावेस का प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 75 प्रतिशत, मनरेगा में 82 प्रतिशत, शिक्षा में 89 प्रतिशत, एन.एस.ए.पी. में 53 प्रतिशत है।
- ₹54.07 करोड़ डी.वी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट टांसफर) द्वारा वितरित किए गए है।
- हिमाचल मनरेगा में डी.वी.टी. शुरु करने वाला पहला राज्य है।
- आधार पर आधारित बायोटिक उपस्थिति प्रणाली टी.सी.पी.(टाउन एवं

कंटी प्लानिंग) विभाग में तथा शिमला के एक स्कूल में चालू है। ऐसे ही प्रणाली हिमाचल प्रदेश के 300 स्कूलों में चालू होने जा रही है।

ई–कार्यालय

22.9 ई–कार्यालय एक उत्पाद है जिसका उद्देश्य अधिक–कुशल प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सरकारी लेन देन सरकारों के मध्य,सरकार के साथ करना है।

स्थिति

निम्नलिखित विभागों में ई–कार्यालय आवेदन को लागू करना प्रक्रिया में हैः–

- सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग।
- हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग।
- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था।
- कोष, लेखा और लाटरी विभाग।
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग।
- ई–कार्यालय समाधान आई.टी. विभाग। उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है

जिला अदालतों, जेलों और हिमाचल प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में ई–पेशी वीडियो कान्फ्रैंसिंग की सुविधा

22.10 यह सुविधा अदालत में कैदियों को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करेगी तथा तुरन्त न्याय देने में सहायक सिद्व होगी।

स्थिति

- एम./एस. भारती एयरटेल राज्य में विडियो कान्फ्रेसिंग के उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापित करने, इस परियोजना को चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
- एम./एस. भारती एयरटेल ने 63 विडियो कान्फ्रेसिंग की आपूर्ति तथा स्थापित करने का आदेश दिया गया सभी 63 वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाओं को वितरित कर दिया गया है।
- वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है अभी तक 42 वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाएं वितरित की गई हैं।

ई–जिला

22.11 ई–जिला परियोजना एक मिशन मोड़ परियोजना है जिसका उद्देश्य एकीकृत नागरिक केन्द्रीय सेवाएं प्रदान करना, जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सेवाओं के एकीकरण और सहज वितरण कार्य प्रवाह के स्वचालन, वैकेंड कम्पयूटरीकरण, डाटा डिजिटलीकरण की विभिन्न विभागों द्वारा परिकल्पना की गई है। इसके आगे का उद्देश्य आवेदनों का एकीकरण करना, सार्वजनिक मामलों/ अपीलों /शिकायतों का तेजी से प्रसंस्करण सुचनाओं का जनता की आवश्यकता के अनुसार सूचना का प्रसार, कोर सेवाओं को सामान्य सेवाओं के माध्यम से नया स्वरुप देना है।

जिला एम.एम.पी. की स्थिति

सभी 12 जिलों में डी.ई.जी.एस. सोसाइटी का गठन का कार्य पूरा कर लिया है।

1. ई–डिसटिक मेनेजर सभी 12 जिलों में तैनात कर दिए गए हैं।
2. एम./एस. विप्रो लिमिटिड ई– जिला एम.एम.पी. के लिए एस.पी.एम.यू. (राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई) टीम के रुप में नियुक्त किया गया है।
3. एम./एस. आई.एल. तथा एफ.एस. टैक्नोलोजी लिमिटिड को डिसटिक मिशन मोड परियोजना के राज्य न्यायी शेल आउट के लिए (सिस्टम इंटीग्रेटर) रुप में चयनित किया गया है।
4. सभी/सेवाओं के लिए बिजनेस प्रोसेसरी–इंजनीयरिंग कार्यात्मक आवश्यकता निर्देश (एफ.आर.एस.) दस्तावेज तैयार किए गए है।
5. प्रबंधन बदलना तथा क्षमता योजना तैयार करना।
6. ई–जिला मिशन मोड प्रोजेक्ट 51 जी.टू. सी. सेवाएं की पहचान की गई है तथा विभिन्न चरणों (चरण– I से चरण–III) तक राज्य में चलाई जाएगी।
7. हार्डवेयर डिलिवरी, साईट तैयारी 9 जिलों में चलाई गई है (चरण– I में कवर की जाएगी)
8. ई–जिला योजना की 7 सेवाओं के लिए यू.ए.टी. चरण के अन्तर्गत ई–जिला ऐपलिकेशन तैयार कर ली गई है।
9. ई–जिला योजना का एकीकरण यू.आई. डी.ए.आई. (आधार) एस. एम.एस.गेटवे तथा पे–मेन्ट गेटवे तैयार कर लिया गया है।
10. पुराने रिकार्ड का डाटा डिजिटाईजेशन करने वाले विभागों में (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) कार्य शुरु कर दिया गया है।

एन.ई.जी.पी.–ए प्रोजेक्ट

22.12 कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि एवं सहकारी विभाग राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस कार्यक्रम को कृषि क्षेत्र के लिए मिशन मोड़ कार्यक्रम के तौर पर चला रहा है तथा इसमें कृषि, पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस परियोजना के अंतर्गत 12 सेवा कलस्टर भी चिन्हित किये गए हैं। एन.ई.जी.पी.–ए परियोजना का देश भर से लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उददे्श्य केन्द्रीय कृषि पोर्टल (सी.ए.पी.) तथा राज्य कृषि पोर्टल (एस.ए.पी.) के माध्यम से सरकार से नागरिक/किसान (जी.टू.सी./जी.टू.एफ.), सरकार से व्यापार (जी.टू.वी.), सरकार से सरकार (जी.टू.जी.) तथा कृषि सेवाएं एकीकृत तरीके से पेश करना है।

स्थितिः–

- 193 स्थानों में से 192 स्थानों पर साईट तैयार हो चुकी है तथा हार्डवेयर की आपूर्ति कर स्थापित कर दी गई है।
- सभी कर्मचारियों का वेसिक कम्पयूटर प्रशिक्षण कार्य पूरा कर दिया गया है।
- एस.आर.एस. तैयार किया तथा अनुमोदित हो गया है।
- एन.आई.सी. द्वारा ऐपलीकेशन तैयार की जा रही है।